Friday 22, Nov,1974

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

Preservation 1-9-92
Fumigated On 30-7-85
Parliament Library

[खंड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8—शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1974/1 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 8—Friday, November 22, 1974/*Agrahayana* 1, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECTS	पृष्ठ PAGES
162.	मुद्रास्फीति की रोकथाम के लिए कार्यवाही	Steps to check inflation . .	1–3
163.	भारत-रूस व्यापार वार्ता	Indo-Soviet Trade Talks	4–7
164.	तस्करी की वस्तुओं की बिक्री	Sale of Smuggled Goods	7–10
166.	'स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर' के बारे में जालसाजी के मामलों की सतकर्ता अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल	Fraud Cases investigated by vigilance officer in respect of 'State Bank of Bikaner and Jaipur'	10–13
167	तस्करों की गतिविधियों का पुन: आरंभ होना	Revival of Smugglers' activities	13–19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q .Nos.			
165	हिन्दमहासागर के तटीय देशों के लिए एक साझाबाजर की स्थापना	Setting up of a Common Market for Indian Ocean Countries .	20
168	भारत और हंगरी के बीच व्यापार वार्ता	Indo-Hungarian Trade Talks .	20–21
168(ए)	'आंसुका' के अंतर्गत गिरफ्तार तस्कर	Smugglers Arrested Under MISA	21
169	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा घोषित नई ऋण नीति का मूल्यों पर प्रभाव	Impact of New Credit Policy announced by R. B. I. on Prices	22
170	इंडियन एयर लाइंस को विमान खरीदने के लिये अमरीकी एजेंसी से ऋण	Loan from U. S. Agency for purchase of Aircraft by Indian Airlines	22

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1–37 LSS(ND)/74

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
171	राज्यों द्वारा जनता से ऋण लेकर संसाधनों का जुटाया जाना	Raising of Resources by States through Market Borrowing .	22–23
172	मान्यता प्राप्त निर्यात गृहों को इस्पात का नियतन	Allocation of Steel to Recognised Export Houses . . .	23
173	कलकत्ता में तस्करों तथा कर अपवंचकों पर मारे गये छापे	Raids on Smugglers and Tax Evaders in Calcutta . .	23–24
173(ए)	तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against smugglers .	24–25
174	हाल ही में मारे गए छापों में पकड़ी गई नकदी तथा कीमती वस्तुएं	Cash and Valuable seized during Recent Raids . .	25
175	देश में विद्यमान काले धन का अनुमान	Estimated Amount of Black Money in the country . .	25–26
176	उमा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बम्बई के विरुद्ध कार्यवाही	Action taken against Uma Investments Private Ltd., Bombay	26–27
177	निषिद्ध कपड़ों की आमद की रोकथाम	Stopping Arrivals of Contraband Textiles	27
178	केन्द्रीय वित्त-मंत्री की राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक	Meeting held by Minister of Finance with State Finance Ministers	27–28
179	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान में बड़े व्यापार गृहों और लघु उद्योगों को दिए गए ऋण की राशि	Amount Advanced by Nationalised Banks to large business houses and small scale industries in Rajasthan . .	28–29
180	जापान द्वारा भारत को बड़ी मात्रा में अधिशेष वस्त्रों की सप्लाई	Supply of large amount of surplus Textiles to India by Japan .	29
181	निर्यात संभाव्यता के बारे में राज्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of State Ministers on Export Potentiality . .	29–31

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
1601	उर्वरकों की सप्लाई के लिए रुमानिया के साथ करार	Agreement with Rumania for supply of Fertilizers . .	31
1602	तस्करी रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check smuggling	31
1603	रुई का आयात	Import of Cotton . .	32
1604	गोआ के निर्यात की क्षमता	Export potential of Goa . .	32
1605	आर्थिक अपराध	Economic Offences . .	33
1606	भारतीय पटसन के सामान की मांग	Demand for Indian Jute Goods .	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECTS	पृष्ठ PAGES
1607	रूस को चीनी का निर्यात	Export of Sugar to Soviet Union	33–34
1609	कोचीन में निर्बाध व्यापार क्षेत्र (फ्री ट्रेड जोन) की स्थापना	Establishment of a free trade zone at Cochin . . .	34
1610	इंडियन एयरलाइन्स के अलाभकारी मार्ग	Un-economic routes of Indian Air-Lines	34
1611	रेशम के सामान का निर्यात	Export of Silk goods . .	34
1612	राजस्थान में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Rajasthan	34–35
1613	गुजरात द्वारा काउंटों के धागे की मांग	Demand by Gujarat for different counts of yarn . . .	35
1614	भारत में चाय संकट	Tea cricis in India. . .	35
1615	वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद में असम्बद्ध युनियनों/एसोसिएशनों में पृथक प्रतिनिधित्व की मांग	Demand for separate representation of disaffiliated Unions/ Associations in the Ministry of Finance Department Council	35–36
1616	चाय का उचित न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य	Reasonable minimum World Price for Tea . . .	36–37
1617	उड़ीसा की ऊनी कपड़ा मिलों को धागे की सप्लाई	Supply of Yarn to Orissa Woollen mills . . .	37
1618	न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में प्राइवेट निर्धारक	Private Assessors in New India Assurance Co. Ltd. .	37
1619	मध्य प्रदेश के बरहानपुर कस्बे में बुनकरों की संख्या	Number of Weavers in Burhanpur Town of Madhya Pradesh .	37–38
1620	तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Tamil Nadu .	38
1621	भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी	Smuggling on India-Bangladesh border	38–39
1622	यात्रा स्थलों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance to pilgrim Centres for Development as Tourist Centres . .	39
1623	आल इंडिया रिजर्व बैंक आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने की मांग	Demand made by All India Reserve Bank Officers' Association re : increase in Dearness Allowance . . .	39–40
1624	मुजफ्फरपुर और मोतीहारी में परिवहन संचालकों के हिसाब किताब की जांच	Investigations into accounts of transport operators in Muzaffarpur and Motihari . .	40
1625	तस्करों का रिजर्व बैंक	Reserve Bank of smugglers .	40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1626	तेल खरीदने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण	Credit from IMF to buy oil .	40-41
1627	सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to employees working in Public Sector Undertakings . . .	41
1628	बहराइच जिले में आयकर अपवंचन के मामले	Cases of evasion of Income Tax in Baharaich District . .	41-42
1629	अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को भेजी गई योजना	Scheme submitted to International Rubber Research and Development Board .	42
1630	राज्य व्यापार निगम और चीनी मिलों के बीच समझौता	Agreement between STC and Sugar Mills . . .	42
1631	अफ्रीकी देशों को वैगनों का निर्यात	Export of wagons to African Countries	42-43
1632	इलाहाबाद बैंक, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती	Recruitment of SC and ST candidates in Allahabad Bank, New Delhi	43
1633	विदेशों में संयुक्त उद्यम	Joint ventures abroad . .	43-44
1634	आयात लाइसेंसों के जारी किये जाने से तथा कथित संबद्ध संसद सदस्यों के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI enquiry into the alleged involvement of M. Ps in the Issue of Import Licences .	45
1635	मध्य प्रदेश को बाढ़ सहायता के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh for Flood Relief .	45
1636	केन्द्रीय मंत्री द्वारा श्री युसुफ पटेल को अतिथ्य देना	Hospitality offered to Shri Yusuf Patel by Union Minister .	45-46
1637	केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के आम अंतरण के बारे में सरकार द्वारा तैयार की गई योजना	Scheme devised by Government in regard to general transfer of resources from the Centre to States	46
1638	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा औद्योगिक संस्थानों को ऋण देने पर रोक लगाया जाना	Restrictions on advancing of loans to Industrial institutions by RBI	47
1640	तस्करों के नाम दर्ज मोटर गाड़ियों का जब्त किया जाना	Confiscation of vehicles in names of smugglers . . .	47
1641	पटसन तथा रुई की खरीद	Purchase of Jute and Cotton .	47-48
1642	अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में कमी	Decline in trade with African countries	48-49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1643	निर्यात गृहों को आसान शर्तों पर ऋण देना	Grant of loans to export houses on soft terms	49
1644	एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइंस की विस्तार योजनायें	Expansion plans of Air India and Indian Airlines . .	49-50
1645	विदेशी मुद्रा की चोरी संबंधी अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of Study Team on leakage of foreign exchange	50
1647	हिमाचल प्रदेश सरकार पर वित्तीय संकट	Financial crisis faced by Government of Himachal Pradesh	50
1648	कार्मिक संघो द्वारा अनिवार्य जमा योजना के बारे में आरम्भ किया गया अभियान	Struggles launched by trade Unions in regard to Compulsory Deposit Scheme . .	51
1649	वस्त्रों का निर्यात	Export of Garments .	51
1650	संकट ग्रस्त चाय बागानों के प्रबंध को अधिकार में लेना	Taking over the Management of sick Tea Estates . .	52
1651	मेंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore .	52
1652	दिल्ली के निकट शुष्क पत्तन की स्थापना के स्थान के बारे में निर्णय	Decision on location of Dry port near Delhi . . .	52-53
1653	विदेशी कम्पनियों द्वारा बोनस शेयरों का जारी किया जाना	Issue of bonus share by foreign companies . . .	53
1654	जीवन बीमा निगम की विनियोजन-नीति	Investment Policy of LIC .	53-54
1655	चाय व्यापार निगम द्वारा कुल किया गया व्यापार	Total business undertaken by Tea Trading Corporation .	54-55
1656	बम्बई में तस्करी के माल की बिक्री	Sale of Smuggled Goods in Bombay	55
1657	पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य	Remunerative Price to Jute Growers	55-56
1658	कपड़ा मिलों में बड़ी मात्रा में सूती कपड़े का स्टाक जमा हो जाना	Accumulation of Huge Stocks of Cotton Cloth with Textile Mills	56
1659	कालीकट के निकट कारीपुर में असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Civil Aerodrome at Karipur Near Calicut .	56
1661	अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी की मरम्मत	Repair work of Runway at Ahmedabad Airport .. .	56-57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1662	भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों संख्या	Occupancy of ITDC Hotels .	57
1663	कोचीन के निकट हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Aerodrome Near Cochin	57
1664	मुद्रा स्फीति रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check Inflation . .	58
1665	बेरोजगार विमान चालक	Unemployed Pilots . .	58–59
1666	किसानों को चैकों के माध्यम से वित्तीय सहायता	Grant of Financial Assistance to Farmers through Cheques	59
1667	बाजार में सूखी मिलावटी चाय की सप्लाई	Supply of adulterated dry tea in the market . . .	59
1668	अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात	Import of Essential Commodities	60
1669	चाय अधिनियम में संशोधन करने के बारे में कृतिक बल द्वारा सिफारिशें	Recommendations of Task Force on Amendment to Tea Act .	60
1670	भूतपूर्व पूर्वी तथा पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजा दिया जाना	Grant of Ex-Gratia Compensation to Evacuees of Former East and West Pakistan . .	60–61
1671	आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में गिरावट	Fall in Price Index of Essential Commodities . . .	61–63
1672	तस्कर विरोधी अभियान का प्रभाव	Impact of Anti-smuggling Drive	63
1673	ब्रिटेन को चीनी का निर्यात	Export of Sugar to U. K. .	63–64
1674	"पापी-हस्क" का निर्यात	Export of Poppy husk .	64
1675	होटल विकास निगम द्वारा दिया गया ऋण	Loans given by Hotal Development Corporation . .	65
1676	पर्यटन वाहन चलाने में भारतीय पर्यटन विकास निगम को हुई हानि	Loss suffered by ITDC on running Tourist Vehicles . .	65
1677	मुद्रा स्फीति से निपटने के लिये विकास खर्च में कमी	Reduction in Development Expenditure to deal with inflation	65–67
1678	विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिए करार	Agreements for Export of various Commodities . . .	67
1679	रिजर्व बैंक आफ इंडिया मद्रास में पुनः रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिक	Re-employed Ex-Servicemen in R. B. I. Madras . . .	67–68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1680	पांडिचेरी संघशासित प्रदेश के आयातकर्ता	Importers in the Union Territory of Pondicherry	68
1681	कम मूल्य पर आंकी गई सम्पत्तियां	Undervalued properties .	69
1682	सरकारी क्षेत्र के तथा निर्यात प्रधान उद्योगों के बारे में ऋण प्रतिबंधों पर छूट	Relaxation of Credit Curbs for Public Sector and Export Oriented Industries . .	70
1684	भारत के व्यापार संतुलन में प्रतिकूलता	Set Back in India's Balance of Trade. .	70
1685	बोनस शेयर जारी करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for Issue of Bonus Shares	70–71
1686	उत्तर प्रदेश में वित्तीय संकट	Financial Crisis in U.P..	71
1688	इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों की कुशलता-जांच	Proficiency checks of Pilots of Indian Airlines . . .	71–72
1689	"सेन्ट्रल गवर्नमेंट एजेक्स सोसाइटी" के पास अप्रयुक्त पड़ा धागा	Unutilised Yarn lying in 'Central Government Appex Society' .	72
1690	विदेशों से ऋण	Loans from foreign countries	72–73
1691	पटसन मिलों को भंडार स्थिति	Stock position of Jute Mills	73
1692	हरियाणा में पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Haryana . . .	73–74
1693	मैसर्स बोल्गा रेस्टोरेंट, नई दिल्ली और बम्बई	M/s Volga Restaurant New Delhi and Bombay . .	74
1694	जीवन बीमा निगम, इन्दौर के डिवीजन मैनेजर तथा जीवन बीमा निगम की ग्वालियर शाखाओं के विकास अधिकारी एसोसियेशन के बीच हुआ समझौता	Agreement reached between Divisional Manager of LIC Indore and Development Officers' Association of Gwalior Branches of LIC . . .	74
1695	चीनी के उत्पादन-शुल्क में कमी करना	Reduction in Excise Duty on Sugar	74–75
1696	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की भर्ती	Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector undertakings .	75–76
1697	मशीनरी का आयात	Import of Machinery	76–77
1698	अत्यधिक (हाइपर) मुद्रास्फीति	Hyper inflation .	77
1699	रूस द्वारा भारत से जूतों की खरीद	Purchase of Shoes from India by USSR	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1700	राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid for drought hit areas of Rajasthan . . .	77-78
1701	किसानों के लिये अनिवार्य जमा योजना	Compulsory Deposit Scheme for farmers	78
1702	तस्करों पर सार्वजनिक मुकदमे चलाया जाना	Public Trial of Smugglers .	78
1703	कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश के पास काला धन होना	Black Money in possession of a former judge of Calcutta High Court . . .	78
1704	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निधिस्रोत	Source of funds of IDBI . .	79
1705	गोआ के ऊनी कपड़ा मिलों को धागे की सप्लाई	Supply of yarn to Goa Woolen Mills	79
1706	गोआ में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Goa	79-80
1707	रुस को जूतों का निर्यात	Export of Shoes to USSR . .	80
1708	तकनीकी सहायता के लिए तन्जानिया के साथ करार	Agreement with Tanzania for Technical Assistance . .	80
1709	गोल्चा प्रोपरटीज लिमिटेड	Golcha properties Limited	80-81
1710	आयकर का अपवंचन करने के लिए दंड दिया जाना	Penalties for evasion of Income Tax	81-82
1711	इलायची उत्पादक देशों के समुदाय का गठन	Formation of Cardamom Commodity	82-83
1712	पर्यटक रुचि के स्थानों का विकास	Development of places of Tourist attraction	83
1713	आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का आयात	Import of Essential Consumer Goods.	83-84
1714	विदेशों में केरल के हस्तशिल्प उत्पादों की मांग	Demand of Kerala Handicrafts products Abroad . . .	84
1715	केरल सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध	Request made by Government of Kerala for financial assistance from LIC	84-85
1716	रबड़ उत्पादकों को पुनर्रोपण राज्य-सहायता में वृद्धि	Increase in replanting subsidy to Rubber Growers . .	85
1717	जीवन बीमा के पालिसी निगम बोनस में वृद्धि	Increase in Bonus to Policy Holders of LIC . . .	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1718	निर्यात-सामग्री के उत्पादन को बढ़ाने संबंधी नीति	Strategy to increase production of goods for export . .	85–86
1719	विदेशों में रह रहे भारतियों द्वारा स्वदेश भेजी नई धनराशि में कमी	Fall in remittances by Indians abroad	86
1720	तस्करी की वस्तुओं की बिक्री	Disposal of smuggled goods .	86–87
1721	तस्करी की वस्तुओं को जब्त किया जाना	Seizure of contraband articles .	87
1722	मफतलाल ग्रुप के कर्मचारियों के वेतन से काटा गया आयकर	Income Tax deducted from the Salaries of employees of Mafatlal Group . .	88
1723	जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा मफतलाल ग्रुफ मिल्स को ऋण मंजूर किया जाना	Loans sanctioned to Mafatlal Group of Mills by LIC and Unit Trust of India . .	88–89
1724	जे० के० सिन्थेटिक्स, लिमटेड, कोटा को जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ऋण	Loan advanced by LIC to J.K. Synthetic Limited Kota .	89
1725	विद्युत चालित करघा मालिकों द्वारा उत्पाद शुल्क की अदायगी	Payment of Excise Duty by Power Looms	89–90
1726	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विभिन्न देशों को अभ्रक की सप्लाई	Supply of Mica to various countries by MMTC . . .	90
1727	निर्यात की अधिक संभावनाओं वाली वस्तुएं	Commodities having large export potential . . .	90
1728	पी० वी० सी० कैबल्ज के निर्यात को बढ़ाने हेतु नकदी राज सहायता योजना को पुन: चालू करना	Revision in cash subsidy scheme for boosting export of PVC cables	90
1729	रूबल की तुलना में रुपये का मूल्य	Value of Rupee vis a vis Rouble	21
1730	भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों का बेचा जाना	Adulterated food stuffs sold by ITDC hotels	91
1731	आयात लाइसेंस के दुरुपयोग के बारे में विधान	Legislation regarding misuse of import licences . . .	92
1732	ऋण प्रतिबंध के बारे में "आल इंडिया कान्फ्रेंस आफ स्टेट को आपरेटिव्स मार्केटिंग फेडरेशनस की मांग	Demand made by All India Conferance of State Cooperatives Marketing Federations regarding credit squeeze .	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1733	राजस्थान की निर्यात क्षमता	Export potential of Rajasthan	92
1734	राजस्थान को धागे (यार्न) की सप्लाई	Supply of Yarn to Rajasthan	93
1735	गुजरात के कैरा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of branches of nationalised banks in Kaira District of Gujarat	93
1736	महाजनों के घरों पर आयकर अधिकारियों द्वारा छापे मारना	Raids by Income Tax Authorities on Money Lenders	94
1737	इक्विटी के मूल्यों पर बोनस शेयरों के बारे में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रभाव	Impact of guidelines issued in regard to bonus shares on prices of equity	94
1738	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तस्करी	Smuggling at International Airports	94-95
1739	कोका-कोला निर्यात निगम	Coca Cola Export Corporation	95-96
1740	आयकर कर्मचारी संघ (इनकम टैक्स एम्प्लाइज फेडरेशन) के विधान में संशोधन	Amendments to the Constitution of Income Tax Employees Federation	96
1741	आयकर कर्मचारी संघ (इनकम टैक्स एम्प्लाइज फेडरेशन) से संबंध यूनियन और एसोसियेशन	Unions and Associations affiliated to Income Tax Employees Federation	96
1742	रुई व्यापार को अधिकार में लेने की योजना	Take over plan of cotton Trade	96-97
1743	उड़ीसा की निर्यात क्षमता	Export of potential of Orissa	97
1744	श्रमिकों को दिए जाने वाले बोनस भुगतान पर अनिवार्य जमा योजना का प्रतिकूल प्रभाव	Adverse effect of Compulsory Deposit Scheme on Bonus payment to workers	97-98
1745	चीनी कारखानों को बैंक ऋण के लिए छूट देना	Relaxation in Banking Credit to Sugar Units	98
1746	तेल के आयात के लिए ऋण	Credit for Oil Imports	99
1747	पांडेचरी की फर्मों को आयात लाइसेंस देना	Grant of Import Licences to pondicherry Firms	99-100
1748	तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सशस्त्र सैनिकों को बकाया राशि की अदायगी	Payment of Arrears to Armed Forces Personnel under Third Pay Commission Report	100
1749	चौथी योजना के दौरान राहत कार्यों में वृद्धि	Increase in relief works during Fourth Plan	100-101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1750	भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा किए गए आर्थिक अपराध	Economic offences by Indian and Foreign Companies .	101
1751	दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से रेल डिब्बों के निर्यात के लिए क्रयादेश	Offer for export of railway wagons from South East Asian countries	101–102
1752	गुजरात और महाराष्ट्र में पकड़े गए तस्कर	Smugglers held in Gujarat and Maharashtra	102
1753	आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने संबंधी अधिनियम के अधीन पहले गिरफ्तार किए गए तस्करों की रिहाई	Release of Smugglers formerly arrested under MISA . .	102–103
1754	आयात लाइसेंस घोटाले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे	Raids by CBI Re : Import Licences Scandal . .	103
1756	तस्करों को नजरबंदी	Detention of Smugglers . .	103–104
1757	"इन-प्लांट" विद्युत उत्पादन के लिए विश्व बैंक से ऋण	Loans from World Bank for In-plant Power Generation .	104–105
1758	कपड़ा मिलों द्वारा उत्पादन में कटौती	Cut in Production by Textile Mills	105
1759	अफीम की तस्करी	Smuggling of opium . .	105–106
1760	केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशों के दौरे पर हुआ व्यय	Expenditure on Foreign Tours of Central Ministers . .	106
1761	खनिज धातुओं का निर्यात	Export of Minerals . . .	106
1762	विभिन्न राज्यों द्वारा आयात/निर्यात व्यापार में समान अवसर प्राप्त करना	Enjoyment of Equal Opportunity in Import/Export by Different States	106–107
1763	चम्पारन (बिहार) में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Champaran (Bihar) . .	107
1764	एयर इंडिया में तालाबंदी	Lock-out in Air India .	107–108
1765	पटसन के मूल्य	Prices of Jute.	109
1766	तस्करों के सहयोग के साथ भारत विरोधी शक्तियों की गतिविधियां	Activities of anti-Indian Forces in collaboration with Smugglers	109
1767	गुजरात में प्रशासन और तस्करों के बीच सांठ-गांठ	Collusion between Administration and Smugglers in Gujarat	109–110
1768	कृषि सम्पत्ति पर कर	Tax on Agricultural Property .	110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1769	अनिवार्य जमा योजना के बारे में राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझाव	Suggestion made by State Government re : Compulsory Deposit Scheme . . .	111
1770	आयकर अधिकारियों की पदावनति का प्रभाव	Impact of reversion of Income Tax Officers . . .	111–112
1771	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर की शाखाओं में सामने आए धोखा-धड़ी और गबन के मामले	Frauds and embazzlement cases unearthed in Branches of State Bank of Bikaner and Jaipur	112
1772	जीवन बीमा निगम के संसाधनों का मध्यम क्षेत्र में निवेश	Investment of LIC resources for Medium Sector . . .	112
1773	तस्करी को रोकथाम के लिए भेदिये बिमान और हेलीकाप्टर	Sportter Planes and Helicopters to check smuggling . .	112–113
1774	तस्करो की जायदाद की कुर्की	Attachment of properties of Smugglers	113
1775	तस्करों और कर अपवंचकों के विरुद्ध अभियान में शिथिलता	Slackness in drive against smuglers and tax evaders . .	113
1776	पंजाब लघु उद्योग निगम द्वारा सिलेसिलाये वस्त्रों का निर्यात	Export of Ready made Garments by Punjab Small Scale Industries Corporation . .	113–114
1777	पंजाब के किसानों को स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण	Loan granted by SBI and Nationalised Banks to Farmers in Punjab	114
1778	राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा पंजाब में कृषि क्षेत्र को दिए गए अग्रिम ऋण	Advances made by Nationalised Banks to Agricultural Sectors in Punjab	114
1779	जमा स्टाक का कपड़ा उद्योग पर प्रभाव	Effect of accumulated stocks on Textile Industry . .	115
1780	जब्त की गई वस्तुओं का निपटान	Disposal of Confiscated Goods .	115
1781	मध्य प्रदेश में हथकरघो द्वारा अच्छे किस्म के कपड़ें का उत्पादन	Production of Fine Quality Cloth by Handloom in Madhya Pradesh . . .	116
1782	व्यापारियों के माध्यम से बुनकरो द्वारा सूत की खरीद	Purchase of Yarn by Weavers through Private Dealers .	116
1783	छोटे व्यापारियों पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापे	Raids by Income Tax Authorities on Small Businessmen . .	116–117
1784	जीवन बीमा निगम के पास बिना दावे की राशि	Unclaimed Amount with LIC .	117–118

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1785	जीवन बीमा निगम के कार्यकलाप का व्यय	Over head Expenditure on LIC	118
1786	अधिक निर्यात की क्षमता वाली वस्तुओं की कम सप्लाई	Short Supply of items having High Export potential	119
1787	दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंको की शाखाओं को खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Dinajpur, West Bengal . . .	119
1788	पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में पर्यटन परियोजनाएं	Tourism projects in West Bengal and Orissa	120
1789	चाय का निर्यात	Tea Export . .	121
1790	शिवरामन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें	Recommendations of Sivaraman Committee Report . .	121
1792	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रुप बीमा योजना	Group Insurance Scheme for Central Government Employees	121-122
1793	भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to check Smuggling on India Bangladesh Border .	122
1794	राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन के साथ वित्त मंत्री की बैठक	Meeting of Finance Minister with Chairman of Nationalised Banks	123
1795	अक्तूबर, 1974 में आयकर प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापे	Raids by Income Tax Authorities in October, 1974 . .	123
1797	विदेशी मुद्रा संबंधी धोखाधड़ी	Foreign Exchange Rackets .	123
1798	उत्तर प्रदेश में अवैध सौदों का पता लगाया जाना	Investigation of illegal transaction in U. P. . . .	124
1799	कर्नाटक में लघु उद्योगों को स्टेनलेस स्टील का वितरण	Distribution of Stainless Steel to Small Scale Industries in Karnataka . . .	124
1800	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजरात के जिलों में ब्याज की अधिमान्य दरों पर की गई अदायगी	Payment made by Nationalised Banks on preferential rates of interest in District of Gujarat	124-125

विशेषाधिकार का प्रश्न— / Question of Privilege—

	आयात लाइसेंस संबंधी मामला	Import Licences Case . .	126-145

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 22 नोव्हेंबर, 1974/1 अग्रहायण, 1896 (शक)
Friday, November 22, 1974/Agrahayana 1, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Steps to check inflation

*162. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take some concrete new steps to check inflation ; and

(b) if so, the nature thereof?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार ने मुद्रास्फोति को रोकने के लिए अभी हाल के महीनों में कई उपाय किये हैं और उनका मूल्यों पर पड़ने वाला प्रभाव धीरे-धीरे स्वतः जाहिर होता जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर, 1974 तक मुद्रा की उपलब्धि की दर में अपेक्षाकृत काफी कमी हो गयी है अर्थात् 1.8 प्रतिशत की हो वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। नवम्बर, 1974 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को 174.1 करोड़ रुपये का निवल **ऋण** दिया गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दिए गए **ऋण** से एक तिहाई कम है। सितम्बर 1974 के तीसरे सप्ताह से थोक मूल्य सूचकांक में धीरे धीरे गिरावट आने की प्रवृत्ति दिखाई दी है तथा बाद के पांच सप्ताहों में यह सूचकांक 3.2 प्रतिशत तक गिर गया। लेकिन इन उपायों के प्रभाव को, मौसमी मूल्य प्रवृत्ति के फिर से शुरू हो जाने से अलग कर बताना संभव नहीं है।

फिर भी, सरकार मुद्रास्फीति की स्थिति पर बराबर कड़ी नजर रख रहा है और जैसी स्थिति पैदा होगी उसके अनुसार इस तरह के और आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, I want to know the extent of reduction in productive and non productive expenditure achieved by Government and private Sector ? I want to know the exact amount and not the percentage.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : योजना और गैरयोजना व्यय के संदर्भ में किए गए विभिन्न मितव्ययता उपायों के परिणामस्वरूप तथा विशेषकर चालू वर्ष के बजट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जहां कि अनिवार्य खर्चों को शामिल किया गया है, बचत की राशि बताना कठिन है। उदाहरण के लिए टेलिफोन बिलों के संबंध में बचत उपाय किए गए हैं और उन पदों को नहीं भरा गया जो पिछले छह महीनों से रिक्त पड़े है। इन उपायों का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, we give the notice of questions quite in advance but still Government is not ready to tell how much money has been saved in respect of plan and non-plan expenditure. What is the use of asking another question when Government is not able to give facts and figures?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यह बताना बहुत कठिन है कि कुल कितनी बचत की गई और यह भी किन मदों पर। मैं प्रतिशतता के रूप में फिर भी बता सकता हूं। विभिन्न क्षेत्रों में यह 15 से 20 प्रतिशत तक है। सही आंकड़े देना संभव नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, I want to know the quantum of black-money operating in the economy and the value of gold, silver and other goods that have been seized by Government and how far it has resulted in reducing inflation ? What other steps does Government propose to take? The prices can fall only when the purchasing capacity is reduced. This is a simple rule of economics.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : अर्थव्यवस्था में परिचालित काले धन के संबंध में विभिन्न आंकड़े आंकलित किए गए हैं। वाँचू समिति ने इस संबंध में कई सिफारिशें की हैं। तस्कर विरोधी अभियान में अक्तूबर के अन्त तक लगभग 28 करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया है।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know the quantum of increased production, We will only be able to check inflation when production increases.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जुलाई 1973 से किए गए उपायों के परिणामस्वरूप उत्पादन में हुई वृद्धि की मात्रा अभी से बताना संभव नहीं है।

श्री वसंत साठे : इससे पहले की आप अन्य पूरक प्रश्नों को लें मेरा सुझाव है कि आप प्रश्न संख्या 169 को भी इसके साथ ही ले लें क्योंकि यह भी इससे मिलता जुलता प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न थोड़ा भिन्न है।

Shri B. S. Bhaunra : I want to know from the hon. Minister whether Government propose to ban private ownership of gold to check inflation ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्य जानते ही हैं कि योजना मंत्रालय के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री मोहन धारिया ने इस संबंध में एक सुझाव दिया था और उस सुझाव पर सरकार विचार कर रही है।

Mr. Speaker : We can take up question number 169 alongwith this question because they deal with the same subject matter. I don't have any objection.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि श्री धारिया के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री कृष्णराव पाटिल : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री महोदय ने सरकार द्वारा किए गए उपायों के प्रभावों का उल्लेख किया है। प्रश्न है कि क्या सरकार मुद्रास्फीति को रोकथाम के लिए कोई नए ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है? मेरे विचार में प्रश्न का उत्तर संगत नहीं है। प्रश्न नए ठोस उपाय करने के संबंध में है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह सब नए उपाय हैं। इनमें से कुछ उपाय सरकार द्वारा जुलाई 1974 से किए गए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मारे गए छापों के दौरान विशेषकर बड़े शहरों में मारे गए छापों के दौरान इस तथ्य का पता चला है कि काफी लोगों के पास बड़ी मात्रा में बैंक नोट पड़े है जिनका कोई लेखा जोखा ही नहीं हैं। स्पष्टतया काले धन का लेखा जोखा होता ही नहीं है अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या छापों के दौरान प्रकाश में आए इस तथ्य को देखते हुए सरकार का विचार विमुद्रीकरण करने का है क्योंकि पहले कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति बड़ी राशि में बैंक -नोट अपने पास नहीं रखता पर इन छापों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि काफी लोगों के पास बड़ी संख्या में बैंक नोट जमा पड़े हैं जिनका कोई लेखा-जोखा ही नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विमुद्रीकरण पर अभी भी लाभकारी उपाय के रूप में विचार नहीं कर रही है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : सरकार का अभी मुद्रा के विमुद्रीकरण का कोई विचार नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पिछले कुछ महीनों के दौरान मुद्रास्फीति रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की प्रशंसा करते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी हैं कि रिजर्व बैंक और बैंकिंग संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिबंध लगा देने के बाद प्रायः सभी राज्य सरकारों को बाजार से उधार लेने की अनुमति दे दी गई है और क्या वह इस बात से अवगत नहीं है कि इस प्रकार बाजार से ऋण लेने पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रभाव बढ़ता है क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा व्यय मुख्यतः अनुत्पादक कार्यों पर किया जाता हैं ?

दूसरे क्या मंत्री महोदय को इस बात की भी जानकारी है कि इन उपायों को अपनाने के बावजूद भी घाटे का बजट इस वर्ष 400 करोड़ रुपये तक बढ गया हैं।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहाँ तक बाजार से उधार लेने का प्रश्न है हमने प्रत्येक राज्य के लिए अधिकतम सीमा नियत कर दी है जिससे अधिक वह बाजार से उधार नहीं ले सकती और राज्य सरकारों को यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि उधार और रिजर्व बैंक से निकाले गए धन को वह अपना बजट पूरा करने का उपाय न समझें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है क्या वह आपके निर्देशों के अनुसार हो रहा है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : हमें कोई ऐसी सूचना नहीं है कि घाटे की अर्थव्यवस्था सीमा से बाहर जा रही है !

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने के विभिन्न उपायों में से हाल ही में अतिरिक्त आय तथा अतिरिक्त बोनस अदायगी को जमा करने के संबंध में अपनाए गए उपायों ने देश में औद्योगिक संबंधों में बड़ा असंतोष उत्पन्न कर दिया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस विषय पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इसका अच्छा असर पड़ा है। मुद्रास्फीति की स्थिति पर इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों को हमने स्पष्ट कर दिया है अतः सरकार इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेगी।

श्री के० एस० चावड़ा : मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों में ऋण पर लगाए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरूप दवाईयों के उत्पादन में बहुत कमी हुई है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार ड्रग्स और फार्मेस्यूटिकल्स उद्योग के संबंध में लगाए गए ऋण-प्रतिबंधों पर छूट देने की है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : रिजर्व बैंक ने अपनी हाल ही की ऋण नीति में कुछ उद्योगों को ऋण देने के संबंध में प्राथमिकताएं निर्धारित की है। किन्तु मुझे मालूम नहीं हैं कि यह विशेष उद्योग इसके अंतर्गत आता हैं या नहीं।

+ भारत-रूस व्यापार वार्ता

*163. श्री भोगेन्द्र झा :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस व्यापार वार्ता का पहला दौर हाल में मास्को में समाप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1974-75 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल कितने मूल्य का व्यापार होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) 1975 भारत-सोवियत संघ व्यापार संलेख तैयार करने के लिये प्रारम्भिक वार्ताएं अक्तूबर में मास्को में की गई थीं। ये वार्ताएं, इस प्रयोजन के लिये सोवियत प्रतिनिधिमंडल के यहां आने पर नई दिल्ली में भी चलेंगी और तभी 1975 हेतु संलेख को अन्तिम रूप दिया जाएगा। संलेख को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही व्यापार परिमाण सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना संभव होगा।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय मैंने यह पूछा है कि वर्ष 1974-75 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल कितने मूल्य का व्यापार होगा और मंत्री महोदय ने बताया है कि बातचीत को 1975 से अंतिम रूप दिया जाएगा। मैंने वर्ष 1974-75 के दौरान होने वाले कुल व्यापार के मूल्य के बारे में पूछा है और इस बारे में मुझे जानकारी दी जाए। मैं बाद में पूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : दूसरे देशों की तरह न होकर सोवियत संघ से हमारा व्यापार कैलेंडर वर्ष के रूप में तय होता है 1973 में हमारा उनसे 412 करोड़ रुपये के मूल्य का व्यापार हुआ और 1974 के संबंध मे हम पूरे वर्ष के आकडे नही दे सकते किन्तु आशा है कि व्यापार 650 करोड के लगभग का होगा।

श्री भोगेन्द्र झा : पूंजीवादी मंडियों से हमारे संबधों की पृष्ठभूमि में तथा उन देशों में व्याप्त मुद्रास्फीति की स्थिति को देखते हुए क्या उनसे हमारे व्यापार संबंधों के परिणामस्वरूप हमने इन देशों से मुद्रास्फीति का एक प्रकार से आयात नहीं कर लिया हैं और इसके फलस्वरूप हमारे रुपये का मूल्य बिना घोषित हुए ही गिर गया है और चूंकि विश्व मंडी में पौंड का मूल्य कम हो गया है तो रुपये का अवमूल्यन होना स्वभाविक ही है ? अमरीका और इग्लैंड में मुद्रास्फीति और मंदी का चक्र चल रहा है अतः ऐसी स्थिति में क्या सरकार का विचार इन विकसित पूंजीवादी देशों से व्यापार संबंध समाप्त कर सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों से व्यापक रूप में व्यापार संबंध बनाने का है ताकि हम पूंजीवादी देशों से आने वाली मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोक सकें और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ और शक्तिशाली बना सकें ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : निश्चय ही हमारा अन्य देशों से व्यापार संबंध है। हम विदेशी मुद्रास्फीति के प्रवाह को अपने देश में कम से कम कर सकते हैं। हम अपने हित को देखते हुए समाजवादी और पूंजीवादी सभी देशों से व्यापार करते हैं। अमरीका के बाद हमारा सबसे अधिक व्यापार सोवियत संघ से हि होता है अतः हम उस को काफी महत्व देते ह। हम समाजवादी देशों से भी व्यापार करते हैं लेकिन गैर-समाजवदी देशों से व्यापार संबंध बिलकुल समाप्त कर लेना हमारे लिए संभव नहीं हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका से हमारा बड़ी मात्रा में व्यापार होता है...

अध्यक्ष महोदय : आप दो पूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विकसित देशों को रुपये के आधार पर भुगतान करना स्वीकार्य है और यदि कोई देश विनिमय के रूप में वस्तुएं स्वीकार करने को तैयार है तो क्या हम उस देश को प्राथमिकता देंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या रुपये के आधार पर भुगतान स्वीकार करने के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका से बातचीत की गई है ? यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को आप पर छोड़ता हूं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले ही सुझाव दे चुका हूं कि जो भी माल हमें रुपये में भुगतान करने वाले देशों से प्राप्त हो सकता है हमें उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये बशर्ते कि उसकी किस्म अच्छी हो । हम उन्हें इस शर्त के आधार पर स्वीकार कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर नियमित चर्चा की अनुमति नही दे रहा हूं । कृपया बैठ जायें ।

Shri Bhogendra Jha : I want to know whether U.S.A. has been approached on the basis of Rupee payment.?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि इस मामले से सम्पर्क न जोड़ना कठिन हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : उन्होंने इस मामले के बारे में जरा भी उल्लेख नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात समझने में असमर्थ हूं कि माननीय सदस्य इस ओर ध्यान नहीं देते और बैठते नहीं हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

Smt. Savitri Shyam : At the time of Shri Brezenev's visit it was decided that Indo-Soviet trade in 1974-75 would be doubled as compared to 1973-74. According to the reports published in the Press we are of the impression that neither Russia has liked our conditions of import nor we have liked their export conditions. I want to know whether these are the main reasons of breaking the talks ?

I want to know whether at the time of second round of talks in India this matter would be taken up at political level and not at official level because, Russia is our friend and it has helped up on several occasions and we should try to procure from Russia essential goods such as fertilisers, kerosene and industrial goods which we have in great demand.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : भारत रूस संयुक्त आयोग की बैठक मास्को में सितम्बर में हुई थी और उसमें हमने व्यापार तथा अन्य आर्थिक मामलों के मूल ढांचे पर चर्चा की है । इसके बाद निर्यात उत्पादन सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई । अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में हमने उपयोगी बातचीत की । लेकिन जैसा कि मैंने मूल उत्तर में बताया कि रूसी प्रतिनिधि मंडल के अगामी मास दिल्ली पहुंचने की आशा है । चर्चा के बाद ही माल की मात्रा के बारे में पता लगेगा ।

दूसरे, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि हमें रूस से मुख्यतया उर्वरक, मिट्टी के तेल, डीजल तेल, मट्टी तेल, बेल्लित इस्पात उत्पाद, जिंक, गंधक आदि की आवश्यकता होती हैं । रूस ने भी अपनी रूचि के मदों के बारे में सूचित कर दिया है । इस बारे में अन्तिम परिणामों का पता भारत में होने वाली बातचीत के बाद ही लगेगा ।

श्रीमती सावित्री श्याम : मेरा प्रश्न यह था कि रूस सरकार से पहले दौर में हुई बातचीत में क्या प्रगति हुई ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : प्रगति संतोषजनक रही है ।

श्री० प्रबोध चन्द्र : क्या रूस से व्यापारिक करार करते समय हमारे सामने राजनीतिक कठिनाइया आई थीं और हमारी व्यापारिक बातचीत के स्थान पर राजनीतिक बातों से मार्गदर्शन किया जाता है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि राजनीतिक सूझ-बूझ और सद्भावना से व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों में वृद्धि होती है तो हम इसका समर्थन करते हैं ।

श्री पीलू मोदी : चूंकि आयात/निर्यात मुद्रास्फीति और अवमूल्यन का उल्लेख किया गया था, मैं यह जानना चाहूंगा कि डालर, पौंड और रुबल की तुलना में रुपये का कितना अवमूल्यन हुआ ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस बारे में मैं उत्तर नहीं दे सकता । इस बात का उत्तर शायद वित्त मंत्रालय उचित दे सके ।

श्री पीलू मोदी : यहां विदेश व्यापार मंत्री बैठे हैं वह अपना समय उन देशों से व्यापार करने में व्यतीत कर रहे हैं जो मुद्रा की कीमत भी नहीं जानते । वित्त मंत्रालय मूल्य निर्धारित नहीं करता । वह क्रय-विक्रय भी नहीं करता । आप ही वह व्यक्ति हैं जो क्रय-विक्रय करते हैं । अतः आपको इसकी जानकारी होनी चाहिये । क्या उन्होंने जानकारी प्राप्त की हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध हैं मेरा इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब तक वित्त मंत्रालय द्वारा किसी असमानता का पता नहीं लगता हम स्वयं मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं ।

श्री पीलू मोदी : तब आप यह कैसे कहते हैं कि आप मुद्रास्फीति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं ? जब तक आपको रुपये और रूबल के बीच अवमूल्यन की जानकारी न हो आपने किस आधार पर उक्त वक्तव्य दिया ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरा उत्तर रिकार्ड में है । मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ।

श्री पीलू मोदी : अध्यक्ष महोदय क्या आपने यह सुना था अथवा नहीं कि मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम इस सम्बन्ध में सावधानी से काम ले रहे हैं कि मुद्रा स्फीति को बढावा न मिले ? मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य किस आधार पर दिया ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने यह कहा था कि जब हम निर्यात का ठेका करते हैं तो हम इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि मुद्रास्फीति कम से कम हो । लेकिन जब हम देश के व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक सम्बन्धों को उन देशों से जोड़ रहे हैं जिनमें मुद्रास्फीति है तथा जिनमें मुद्रास्फीति नहीं है तो आप मुद्रास्फीति की सम्भावना से कैसे इंकार कर सकते हैं ?

श्री पीलू मोदी : मुझे अपने प्रश्न का उत्तर देने दें । पौंड की तुलना में रुपये का अवमूल्यन नहीं के बराबर है क्योंकि रुपये का पौंड से सम्बन्ध जुड़ा है । डालर की तुलना में रुपये का अवमूल्यन इतना नहीं हुआ जितना अन्य मुद्राओं का क्योंकि डालर का मूल्य रुपये की भांति घटता-बढता रहता है और इसका अवमूल्यन करना पड़ता हैं । जहां तक रुबल का सम्बन्ध है भारतीय मुद्रा का रुबल की तुलना में यथासम्भव अधिकतम अवमूल्यन किया गया है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी नहीं ।

श्री पीलू मोदी : आप कैसे 'नहीं' कह सकते हैं जब आपको इसकी जानकारी नहीं है? अतः यह उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दिया जाना चाहिये था ।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : आपने मात्रा बताये बिना प्रश्न का उत्तर दिया है ।

श्री पीलू मोदी : उत्तर के आधार पर और अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हाल ही के महीनों में भारतीय रुपए की कीमत लगभग 19 प्रतिशत कम हुई है इसका बाह्य और आन्तरिक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह विस्तृत प्रश्न है । हम ऐसे विस्तृत प्रश्न के लिये तैयार होकर नहीं आये हैं कि इससे व्यापार की मात्रा पर कितना प्रभाव पड़ा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वाणिज्य मंत्री को इसके लिये तैयारी की आवश्यकता है । इसके लिये कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या मास्को में हाल ही में रुस-भारत की वार्ता का पहला दौर समाप्त हुआ था; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और वर्ष 1974-75 के दौरान इन देशों के बीच कुल कितना व्यापार होगा ।

श्री पीलू मोदी : यह व्यर्थ का कार्य है । हम उत्तरों के आधार पर अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं प्रश्नों के आधार पर नहीं । यह संसदीय प्रक्रिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे विचार से मंत्री महोदय को इन बातों की जानकारी होनी चाहिये ।

तस्करीकी वस्तुओं की बिक्री

*164. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तस्करी की पकड़ी गयी वस्तुएं को-ओपरेटिव स्टोरों तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेची जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तस्करी की वस्तुओं की इस बिक्री के कारण ऐसी वस्तुओं के प्रति जनता की पसन्द अथवा मोह उत्पन्न हो रहा है जो केवल तस्कर व्यापार से ही उपलब्ध होती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जप्त किये गये तस्करी के माल को केन्द्रीय तथा राज्य की एजेंसियों द्वारा चलायी जा रही सहकारी समितियों तथा कैन्टीनों के जरिए तथा वास्तविक उपभोक्ताओं और कोटाधारियों तक सीमित सार्वजनिक नीलामी द्वारा भी उपभोक्ताओं को बेचा जाता है ।

(ख) जी हां । इस बात की संभावना है । इस समस्या को हल करने के लिए किये जाने वाले उपायों की जांच की जा रही है ।

Shri Raj Deo Singh : Four factors are responsible for smuggling. Firstly, what is invested by the smugglers, secondly, their organisation; thridly their agents who sell those goods and fourthly, the customer or the consumer . My point is that in case there are no consumers, the smuggling cannot remain in operation in the country. Part (b) of my question says : "यदि हां, तो क्या तस्करी के माल की उक्त बिक्री से चोरी छिपे माल खरीदने का एक चक्कर सा पड़ता जा रहा है ?"

And in his reply he has stated :

"जी हां, यह संभव है । इस समस्या के हल के लिये उपायों पर विचार किया जा रहा है ।"

He himself has admitted that it is a possibility. This means there are still some. more possibilities. I want to know what those are.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : प्रश्न के (क) भाग में पूछा गया है कि क्या तस्करी के माल की बिक्री से चोरी छिपे लाई जाने वाली चीजों जैसे घड़ियां, बिजली के गेजेटों आदि का एक चस्का सा पड़ता जा रहा है । मेरा उत्तर है : जी हां, इसकी संभावना है । यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या अन्य संभावनायें भी हैं तो वह प्रश्न पूछे ।

Shri Rajdeo Singh : My question has not been replied to. In his main reply he has said that there is a possibility . In case there are more possibilitics, let him enumerate as to what they are.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : वह एक विशिष्ट प्रश्न पूछें । प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में मैंने कहा है कि ऐसे माल की बिक्री से ऐसी संभावना पैदा हो रही है । मुझे नहीं पता कि वह किन किन संभावनाओं का जिक्र कर रहे हैं ।

Shri Raj Deo Singh : He has clearly stated that this is the only possibility. That clearly means that there these things are creating a taste among the people selling of smuggled goods would not end till we are their consumers. They seize goods worth only a few lakhs in a month and collect money for in which they have made no investment. He has stated that they are considering steps to check it. May I know whether he would consider destroying these goods so that there is a general hatred for these things and people refrain from purchasing them ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : पकड़े गये माल को नष्ट करने का कोई विचार नहीं है । इस माल को बेचने के लिये कदम उठाये गये हैं । यह माल राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ को वितरित किया जाता है जो उसको विभिन्न सहकारी संस्थाओं तथा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से बेच रही है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी कि तस्करी की पकड़ी गई वस्तुओं को केवल विदेशी मुद्रा के बदले ही बेचा जाये ताकि हमारी विदेशी मुद्रा की आय बढ़े ?

श्री प्रणग कुमार मुखर्जी : यह एक अच्छा सुझाव है । परन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं । उदाहरणार्थ यह सोचा गया था कि तस्करी की पकड़ी गई घड़ियां हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से विदेशियों को बेची जायें परन्तु क्योंकि इन घड़ियों की कोई गारंटी नहीं थी तो यह प्रयास असफल रहा । फिर भी, हम विभिन्न संभावनाओं की खोज कर रहे हैं कि इन वस्तुओं को बेचने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो ।

श्री पी० गंगादेव : आंसूका के अन्तर्गत कार्यवाही के फलस्वरूप तस्करी का माल बड़ी मात्रा में सुलभ हो जाने से क्या सरकार ने कोई ऐसा सूत्र निकाला है जिसके अनुसार इन वस्तुओं का दाम निर्धारिति किया जा सके तथा इससे प्राप्त धन का क्या उपयोग हो ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मुख्य निर्धारण करने के लिये हम उन क्षेत्रों का बाजारभाव देखते हैं जहां ये वस्तुएं बिकती हैं । अब हम ये वस्तुयें सरकारी संस्थाओं को देते हैं । तो उन्हें 25 प्रतिशत की छूट देते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके उत्तर से क्या हम यह निष्कर्ष निकाले कि इन वर्जित वस्तुओं का पकड़ा जाना और उनकी बिक्री संबंधी कार्य को वैध तथा सम्मानित कार्य बताया जा रहा है जोकि पहले अवैध था ? तस्करों के एजेंटों को इन वस्तुओं को खरीद लेने तथा फिरसे काले बाजार में बेचने के लिये कौन रोक सकेगा ? माल की इस प्रकार पकड़ने तथा पुन: बेचे जाने से देश को कितना लाभ होता है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : सामान्य प्रक्रिया उन्हें सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बेचने की है। जब ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आती है तो हम उस विशिष्ट संस्था को माल बेचना बन्द कर देते हैं। उदाहरणार्थ, एक राज्य में एक सहकारी संस्था के विरुद्ध एक शिकायत मिली कि वह राष्ट्रीय सहकारी महासंघ से प्राप्त माल के कुछ भाग को कहीं और भेज रहे हैं। हमने उसी समय राष्ट्रीय सहकारी महासंघ को निदेश दे दिये कि उक्त संस्था को कोई माल न दिया जाये। इस प्रश्न पर भी विचार करने की जरूरत पड़ेगी कि हम इस माल का बेहतर से बेहतर किस ढंग से विक्रय करें। अन्यथा इसका केवल एक विकल्प यही रह जायेगा कि इस माल को नष्ट कर दिया जाये। परन्तु साथ ही इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा कि क्या 40-50 करोड़ रूपए के माल को नष्ट कर दिया जाये।

श्री एस० ए० कादर : तस्करी का माल आंसुका के कारण नहीं बल्कि सतर्कता के कारण उपलब्ध हो रहा है। यदि इस माल की सहकारी संस्थाओं आदि के जरिये बाजार में लाया जाता है तो इसका अर्थ है कि तस्करी के माल को प्रभुत्व दिया जा रहा है और तस्करों की तस्करी के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि पुन: निर्यात हो सकने वाले सामान को फिर से निर्यात कर दिया जाये तथा शेष को नष्ट कर दिया जाए।

क्या वह इस सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इस पर भी पहले विचार किया गया था। इसमें कुछ कठिनाईयां हैं। फिर भी हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह सच है कि वर्ष प्रतिवर्ष अधिकाधिक माल पकड़ा जा रहा है। यदि हां, तो गत वर्ष इस माल के विक्रय से सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय के पास इस बारे में आंकड़े हों तो वह दे सकते हैं।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं। वर्ष 1971-72 में कुल 2034 लाख रुपए के मूल्य का माल पकड़ा गया था और 1,188 लाख का बेचा गया। 1 वर्ष 1973-74 मे अगस्त तक 4,054 लाख रुपये का माल पकडा गया तथा 352 लाख रुपये का बेचा गया।

Shri Hukam Chand Kachwai : The main reason for our people's craze for the foreign goods is that the Indian goods are not properly advertised. If the Government propagates that the indigenous goods are superior in quality it would diminish the craze for foreign goods. Is it true that the smuggling is being done in collusion with the Government officials ? Also, I would like to know whether it was ascertained as to wherefrom and through which border these goods were smuggled and whether any action was taken against the autorities responsible for checking such smuggling in the concerned areas ?

Mr. Speaker : You have far exceeded the scope of the question . Shrimati Deshpande.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have asked as to why indigenous goods are not properly advertised, which has resulted in attraction towards foreign goods ? The hon. Minister is willing to answer that.

Mr. Speaker : He is always prepared. But I have to see whether the supplementary is relevant or not.

श्रीमती रोज़ा देशपांडे : तस्करी को रोकने के लिये मंत्री महोदय अन्य क्या उपाय सोच रहे हैं ? एक महिला होने के नाते मैं एक उदाहरण दे सकती हूं । मिलों से प्राप्त होने वाली सामान्य वायेल की साड़ी का मूल्य 60 रुपए है । उनमें कलफ देना पड़ता है, धोना पड़ता है तथा फिर इस्त्री करनी पड़ती है । उसकी बजाय, यदि एक महिला एक विदेशी नायलन की साड़ी खरीदती है जो कि 70 रुपए की आती है तो उससे यह सब कुछ नहीं करना पड़ता । इस लिये, यदि मंत्री महोदय सहृदयता के साथ तस्करी को रोकना चाहते हैं तो क्या वह स्थानीय कपड़ों का मूल्य कम करवायेंगे ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह तो एक बड़ा ही व्यापक प्रश्न है कि इन कपड़ों के मूल्यों पर नियंत्रण किया जाये । परन्तु मैं नहीं जानता कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न के परिधि मे कैसे आता है ? तथापि, सरकार मूल्य घटाने के लिये विभिन्न उपाय कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल साड़ियों के बारे में ही क्यों पूछ रही हैं, पगड़ियो के बारे क्यों नहीं ?

श्री वसन्त साठे : मंत्री महोदय को शायद दोनों के बारे में ही नहीं पता ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे धुलाई के लिये इसके मूल्य से भी अधिक खर्च करना पड़ता है ।

Shri Md. Jamilurrahman : It is evident that throughout India particularly among educated people, unemployment is an acute problem. I am referring to unempoyed graduates. I want to know whether the Government would provide smuggled goods to the co-operative Societies of unemployed graduates at cheap rates and if so, whether any circular to this effect has been issued to the customs and if not when they intends to issue such circular ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : ये बेरोजगार लोग सहकारी समितियाँ बना सकते हैं ।

"स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर" के बारे में जालसाजी के मामलों की सतर्कता अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल

***166. श्री डी० के० पण्डा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में 'स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर' के अधिकारियों की जालसाजी अनियमितताओं और आमदनी से अधिक परिसंपत्तियों के बारे में सतर्कता अधिकारी द्वारा कितने मामलों की जांच पड़ताल की गई; और

(ख) सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) एवम् (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 1971, 1972 और 1973 के वर्षों के दौरान 8 मामले धोखाधड़ी के संबंध में और पांच मामले बैंक के कुछ अधिकारियों के पास उचित से अधिक परिसंपत्ति होने के विषय में जांच के लिये दर्ज किये गये थे । तत्पश्चात् धोखाधड़ी के इन 8 मामलों में से 4 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के

सुपुर्द किये गये, एक मामला स्थानीय पुलिस को तफ्तीश के लिये सौंप दिया गया था तीन मामले विभागीय जांच के बाद, पर्याप्त सबूत के अभाव में आगे और कार्रवाई किये बगैर ही बैंक द्वारा समाप्त कर दिये गये। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को सौंपे गये चारों मामलों की जांच अब पूरी हो चुकी है और बैंक के दो एजेंटो सहित संबंधित व्यक्ति न्यायालयों में अभियोजित किये जा चुके हैं। स्थानीय पुलिस को सौंपे गये मामले की तफतीश जारी है। अनुचित मात्रा में परिसंपत्ति पास होने विषयक 5 मामलों में से 4 मामलो की जांच बैंक द्वारा की गयी थी और एक मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया था। आरोप सिद्ध न हो पाने के कारण ये पांचो मामले समाप्त कर दिये गये हैं।

इनके अतिरिक्त, बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 1971, 1972 और 1973 के दौरान कार्यविधि संबंधी भूलों जैसे, संस्वीकृति विषयक प्रधान कार्यालय के निबंधन और/अथवा ऋणों और अग्रिमों के संबंध में विहित निर्देशों की अवहेलना आदि के 149 मामले दर्ज किए गए। इन में से 95 मामले पर्याप्त प्रमाण के अभाव में प्रारंभिक अन्वेषण के पश्चात् समाप्त कर दिये गये। 24 मामलों की जांच रिपोर्ट संवीक्षाधीन हैं। शेष बचे प्रकरणों में से 27 मामलों के विषय में विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है और शेष तीन मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सुपुर्द कर दिए गए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गये तीन मामलों से संबद्ध दो बैंक अधिकारियों को निलम्बित किया जा चुका हैं।

श्री डी० के० पंडा : विवरण में कहा गया है कि जालसाजी से संबंधित आठ मामले थे और अनुचित परिसंपत्ति रखने के पांच मामले थे, इसमें आगे कहा गया है :—

> "तीन मामले विभागीय जाँच के बाद, पर्याप्त सबूत के अभाव में आगे और कार्रवाई किये बगैर ही बैंक द्वारा समाप्त कर दिये गये। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गये चारो मामलों की जांच अब पूरी हो चुकी है और बैंक के दो एजेंटो सहित संबंधित व्यक्ति न्यायालयों में अभियोजित किये जा चुके हैं।"

कुल मिलाकर बहुत अधिक मामले हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने 149 मामले दर्ज किए हैं।

जालसाजी के मामलों के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन दो अधिकारियों को जिन पर अब मुकदमा चलाया गया है, सेवा से पहले ही निकाल दिया गया है तथा कितने और व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या समाप्त किये गये मामलों में एक मामला ऐसा भी है जहां श्री बी० एस० कपूर को जो स्वयं अनेक जालसाजियों तथा च्योखकडियों में अन्तर्ग्रस्त था, जैसा के लोकसभा के 27 फरवरी, 1973 के प्रश्न संख्या 4974 के उत्तर में वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है, बैंक की न्यू रोहतक रोड़ शाखा में, जहाँ कि 5 लाख रुपए की जालसाजी का मामला हुआ था, जाँच करने के लिए भेजा गया था और उन्होंने जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसका बैंक के उक्त शाखा के एजंट के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध था?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सवाल है, जिनके विरुद्ध अभियोग चलाये गये हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। श्री बी० एस० कपूर के मामले में माननीय सदस्य को बता दूं कि यह आरोप लगाया गया था कि श्री बी० एस० कपूर नाम के एक अधिकारी ने अपनी पत्नी की बीमारी का एक जाली डाक्टरी बिल प्रस्तुत किया था और इस बिल पर भुगतान नहीं किया जा सकता था तथा यह संबंधित अधिकारी को 30 अप्रैल, 1973 को बिना भुगतान किए वापिस कर दिया गया था।

श्री डी० के० पंडा : मेरा प्रश्न बड़ा विशिष्ट है कि क्या इसी अधिकारी को, जिसके विरुद्ध कुछ आरोप हैं और जो सिद्ध हो गए हैं, जांच करने के लिये भेजा गया था?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इन 149 मामलों में यह जानने के लिये कि क्या इस खास अधिकारी को जाँच कार्य के लिये भेजा गया था, मुझे नोटिस चाहिये । मेरे पास इस समय ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री डी० के० पंडा : मैं जानना चाहता हूं कि बैंक की न्यू रोहतक रोड शाखा में 5 लाख रुपये की जालसाजी के मामलो में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जो पहले ही भ्रष्ट साबित हो चुका है तथा जिस के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध ही गए हैं, मामलों की जांच करने के लिये भेजा गया था और इसलिये मामले को एक दफा कर दिया गया ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैंने पहले ही बता दिया है कि इस प्रश्न के लिये, कि क्या श्री कपूर को इस विशेष मामले की जांच का कार्य सौपा गया था, मुझे विशेष नोटिस चाहिये ।

श्री डी० के० पंडा : मैं उनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या उनके पास यहां यह दर्शाने वाली ची है कि वे कौन से विशेष मामले हैं जिनकी जाँच की गई है तथा संबंधित अधिकारियों के नाम क्या हैं अर्थात् उनके स्पष्ट नाम तथा जालसाजी के मामलों का ब्यौरा बताने वाली सूची है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मेरें पास सभी 149 मामलों का ब्यौरा नहीं है ।

श्री डी० के० पंडा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है...

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया का अनुचित लाभ न उठाइये ।

श्री डी० के० पंडा : यह मेरा दूसरा प्रश्न नहीं था । यह पहले प्रश्न का स्पष्टीकरण मांगे जाने के बारे में था, जिसके उत्तर मंत्री महोदय ठीक ढंग से नहीं दे सके हैं, मेरा दूसरा प्रश्न बहुत छोटा और सीधा सा है, मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय में बैंकिंग विभाग के कुछ अधिकारी उन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ में है । मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच किए जाने के बाद भी वे मामले को रफा दफा कर रहे हैं । जब पहले वाले प्रश्न के उत्तर में ऐसी बातें स्वीकार की गई हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, जिनकी बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ है, हटाने के लिए कोई प्रशासनिक कार्यवाही की है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि क्या किसी अधिकारी की इन लोगों के साथ, जीन पर जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं का आरोप है, साठ-गांठ है । जहां तक कार्यवाही करने का संबंध है, मैंने अपने उत्तर में बताया है कि कुछ मामलों में कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है ।

श्री वसंत साठे : रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक आफ इंडिया ने नई दिल्ली, शाखा, कानपुर, बम्बई और जोधपुर में कथित जालसाजी के बारे में 1973 में जांच की थी, क्या सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां तो क्या सरकार इसको सभा पटल पर रखेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर के बारे में है ।

श्री वसंत साठे : बीकानेर और जयपुर बैंक के मामले में श्री कपूर के नाम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जांच की थी । मुझे बताया गया है कि उन्होंने रिपोर्ट भी पश कर दी है । क्या सरकार वह रिपोर्ट भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : पता नहीं माननीय सदस्य किस रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं ।

श्री वसंत साठे : बीकानेर और जयपुर बैंक की 1973 की जांच रिपोर्ट का मैं उल्लेख कर रहा हूं।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मुझे नहीं पता कि श्री कपूर को किसी विशिष्ट जांच का काम सौंपा गया था।

श्री वसंत साठे : उन्हें 5 लाख रुपए की जालसाजी के मामले की जांच करने का काम सौंपा गया था। अगर ऐसा कोई मामला है, तो क्या आप वह रिपोर्ट उपलब्ध करेंगे ? वह यह कह सकते हैं कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है, तो वह उपलब्ध कर देंगे। छिपाने की क्या बात है ?

तस्करों की गतिविधियों का पुनः आरम्भ होना

***167. श्री मधु लिमये :**

श्री राम देव सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि सरकार के तस्करी विरोधी अभियान का बम्बई में तस्करी की वस्तुओं के लाये जाने और उनकी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा;

(ख) क्या सरकार ने एक अन्य प्रेस समाचार भी देखा है कि कच्छ के तस्करों की एक बैठक हुई और उन्होंने अपनी शक्तियों को पुनर्गठित किया है और उनके विचार में कुछ समय के बाद सम्पूर्ण स्थिति पुनः "सामान्य" हो जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे युवकों को कोई लाभप्रद वैकल्पिक रोजगार देने के लिये योजनाएं बनाई हैं जिनका ये तस्कर इस समय अनुचित लाभ उठा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) ये समाचार सरकार की जानकारी में आये हैं। किन्तु गुप्त सूचना रिपोर्ट से पता चलता है कि तस्करी-विरोधी अभियान के बाद तस्करी की गतिविधियां और तस्करी के माल की बिक्री काफी कम हो गई हैं। तथापि, तस्कर-व्यापारियों द्वारा अपने गिरोहों के पुनर्गठित किये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। साथ साथ ही साथ, सरकार उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है।

(ग) सरकार ने देश के देहाती तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के बहुत अधिक अवसर पैदा करने के लिये विशेष उपाय आरंभ किये हैं जिनमें शिक्षित बेरोजगारों के लिए अनेक स्वयं-नियोजन योजनाएं भी शामिल हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, he has stated that these news reports have come to Government's notice. Intelligence reports, however, suggest that smuggling activities have been considerably restrained. I would like to know from the honourable Minister whether any action has been taken against the persons in power having links with the smugglers during the last two months, such as Government, Ministers and politicians ? Shri Kanungo had indulged in per jury. Whether a case would be launched against him for indulging in perjury ? Whether it is proposed to take action against Shri Bhanu Shanker Yajnik, the then leader of ruling party, who had recommended telephone connections to smugglers. Wheher any case would be launched against him?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक तस्करों की बढ़ती हुई गतिविधियों का संबंध है और जिनके बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं, हमारे गुप्तचर विभाग का यह कहना है कि तस्करी विरोधी अभियान शुरू होने के बाद तस्करों की गतिविधियों में कमी हुई है। विभिन्न

पार्टियों और अन्य राजनैतिक दरों के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की तस्करों के साथ सांठगांठ होने का संबंध है, पिछले सप्ताह एक प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तस्करों की गतिविधियों में राजनीतिज्ञों और मंत्रीयों के शामिल होने के बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, the case of perjury has been established in Court against Kanungo .....

Mr. Speaker : You say it almost everyday.

Shri Madhu Limaye : It is said almost everyday, does it mean that it would not be replied ? Whether case would be launched under Indian Penal Code aginst the Governors, against whose cases of perjury have been established? This is my first supplementary question, it should be replied first, then I would ask my second question.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, your statement that such things are said almost everyday is a proof that the ministers are aware of all these things.

अध्यक्ष महोदय : किसी न किसी तरह इसे प्रश्न के दायरे में ले आया गया है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और इस पर आपका निर्णय चाहता हूं। संसद् के पिछले सत्र में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक निश्चित वक्तव्य दिया था और सदन में अनेक बार इस बात को दोहराया गया था कि उच्च स्थानों के राजनीतिज्ञ तस्करी की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। वर्तमान वित्त राज्य मंत्री के पूर्ववर्ती राज्य मंत्री ने ही वह वक्तव्य दिया था जिससे समाचार पत्रों और जनता में एक तूफान उत्पन्न गया था की और अब मन्त्री महोदय यह कहते है कि उन के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। क्या इसका अर्थ यह लगायाँ जाय कि यह सरकार अपने राज्य मंत्री के माध्यम से एक रहस्यमय वक्तव्य दिलाती है

अध्यक्ष महोदय : श्री लिमये पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : यह व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

Shri Madhu Limaye : If answer comes, we will not raise points of order.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ऐसी कोई बात नहीं कह सकते, जो पूर्ववर्ती मंत्री के कथन के पूर्णतया विरुद्ध हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने इस बारे में आपको पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि प्रश्न काल पहले ही समाप्त हो चुका है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, my question is not being replied to, my time is being wasted. I would like to know whether a case for perjury would be launched against him or not ?

अध्यक्ष महोदय : आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं ? इस प्रकार से आप बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री प्रणबकुमार मुखर्जी : जहां तक नित्यानन्द कानूनगो का संबंध है, सदन को यह पता ही है कि उन्होंने पासपोर्ट के लिये हाजी मस्तान को 31 मई, 1966 को एक प्रमाणपत्र दिया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि किसी को प्रमाणपत्र देना किस प्रकार का अपराध है।

श्री मधु लिमये : उन्होंने झूठ बोला था।

श्री पीलू मोदी : क्या मंत्री महोदय को यह बताने की जरूरत है कि झूठी हलफ उठाने का क्या मतलब होता है ? उन पर झूठा हलफ उठाने का आरोप है ।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके दृष्टिकोण से भाषण नहीं दे रहे हैं । वह सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने ऐसा झूठ बोला है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : जिन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनका नाम पहले देना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir the full information relating to this case should be collected and laid before the House on Monday.

Mr. Speaker : The pending question might be completed.

Shri Madhu Limaye : Whether it is a fact that ten thousand smugglers and their affiliates in Bombay have been given telephone connections ? Whether it is also a fact that Ramlal Narang , a smuggler, who has been detained under MISA these days, was nominated on the Film Censor Board and perhaps he is member even now. He has also nominated in the Telephone Advisory Committee. Has it not given a fillip to smuggling activities ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : क्या 10,000 टेलीफोन कनैक्शन तस्करों को दिये गये हैं अथवा नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

Mr. Speaker : It happens daily, you may discuss this matter on any day.

Shri Madhu Limaye : It happens daily, what does it mean ? This is your failure that you can ensure replies.

Mr. Speaker : This is not good. You should not say like that.

Shri Madhu Limaye : My both questions are specific , but they are not replying those questions.

श्री पीलू मोदी : आप उनसे पूछते क्यों नहीं ?

Shri Madhu Limaye : You may get answer to my questions.

श्री पीलू मोदी : जब मंत्री महोदय प्रश्न से बचना चाहें तो आप उसका अनुवाद करके उन्हें अपने आप सीधे पूछें ।

श्री मधु लिमये : मैं निर्देश एवं प्रक्रिया नियमों के अधीन बात कर रहा हूं । आप स्वयं अपने निर्देशों और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । श्री मुखर्जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं जान सकता हूं कि मैंने क्या उल्लंघन किया है ?

श्री मधु लिमये : कृपया अपने निदेश देखें । आप का निदेश है कि प्रश्न का उत्तर स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आपने किसी सदस्य का अथवा किसी अन्य के नाम का उल्लेख करना हो तो आपको मंत्री महोदय एवं अध्यक्ष महोदय को उस बारे में पूर्व सूचना देनी होती है ।

श्री मधु लिमये : मैंने कई बार नोटिस दिए हैं । और क्या पूर्व सूचना चाहिये । उच्च न्यायालय ने भी निर्णय दे दिया है । आप इस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार विषय से परे क्यों हटते हैं ? क्या आपने पूर्वसूचना मुझे दी थी ? मैं यहां पर टेलीफोन कनेक्शनों की बात कर रहा हूं ।

श्री मधु लिमये : मैं 17 मार्च, 1970 की लोक सभा के वादविवाद की ओर निर्देश कर रहा हूं । मैंने लिखित सूचना भी दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार मत करें । मैं केवल इस प्रश्न के बारे में पूछ रहा हूं कि नोटिस दिया गया था अथवा नहीं ?

Shri Madhu Limaye : What notice should be given ? I gave you a notice in 1970 about Kanungo.

प्रो० मधु दण्डवते : श्री मधु लिमये ने यह मामला अनेक बार उठाया है । इसका अर्थ है कि माननीय मंत्री को इसकी जानकारी है कि यह प्रश्न विशेष रूप से सब के मन पर छाया है । **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to raise a matter. The Home Minister had stated yesterday that a copy of the charge sheet would be placed in the library, but it has not yet been laid.

Shri Madhu Limaye : Don't jump over to chargesheet. I want a reply to my both specific questions.

अध्यक्ष महोदय : बारह बजे कर पांच मिनट हो चुके हैं । प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है ।

श्री मधु लिमये : आप कृपया उन्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने को कहें ।

श्री वसन्त साठे : अभी उस दिन वह तस्करों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहे थे ... **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाएं । जब तक आप बैठेंगे नहीं मैं आपमें से किसी का नाम नहीं पुकारूंगा । मैं किसी भी सदस्य की बात नहीं सुन सकता । मैंने कह दिया है कि प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है और अब मैं अगला विषय लूंगा । **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाएं । जब तक आप बैठेंगे नहीं मैं किसी की ओर नहीं देखूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया इस बारे में आप अपना निदेश दें कि यदि मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर न दें तो सदन में क्या प्रक्रिया अपनाई जाए । सदन में क्या विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए । मैं आपका निदेश चाहता हूं । **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको अनुमति दूंगा । तब तक मैं नहीं उठूंगा जब तक आप सब नहीं बैठते । क्या आप बैठ जाएंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय मैं आप से निदेश चाहता हूं कि जब कोई सदस्य किसी विशेष प्रश्न पर जानकारी पूछ रहा हो और मंत्री महोदय द्वारा उत्तर न दिया जा रहा हो तो हमारे पास क्या रस्ता बचता है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं ।

श्री पीलू मोदी : कृपया मेरी बात सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा । कृपया बैठ जाएं । अब बारह बज कर पांच मिनट हो चुके हैं । मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यदि आप इस सुझाव को माने तो अच्छा होगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति अथवा सदस्य के बारे में प्रश्न पूछना चाहें तो आप अध्यक्ष महोदय को नोटिस दें जिससे वह तैयार हो कर आएं । और जब किसी के नाम का उल्लेख करें तो उसकी प्रक्रिया के बारे में सदन के नियम हैं ।

श्री मधु लिमये : मैंने विषय के बारे में कुछ नहीं कहा है । यह मामला गत वर्ष समुचित नोटिस के उपरांत उठाया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा । मैं इस समय इस विशेष प्रश्न की बात कर रहा हूं ।

Shri Madhu Limaye : Time and again you are saying that Notice is required. Have we no other work ? Notice is required ten times. Should we give notices on the same subject time and again.

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सदन की कार्यवाही इसी प्रकार चलाएगें तो इसका क्या लाभ ? मैं यह पसन्द नहीं करता ।

श्री मधु लिमये : कृपया मुझे बताएं कि कितनी बार नोटिस दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा ।

श्री मधु लिमये : मैं आपको 10,000 नोटिस दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया का पालन किया जाय ।

श्री मधु लिमये : प्रक्रिया क्या है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि किसी व्यक्ति का नाम लेने से पूर्व श्री मधु लिमये के लिये आपको पूर्व सूचना देनी आवश्यक है तो यह भी आवश्यक होना चाहिये कि मंत्री महोदय उस व्यक्ति के आचरण के बचाव का प्रयास न करें । उन्होंने यहां पर उस व्यक्ति के आचरण के बचाव का प्रयास क्यों किया ? क्या उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया ? **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे इस बात से सहमत हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जब हम कोई प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री उसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं तो सीधा रास्ता यही है कि वह नोटिस की मांग करें और मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है । अध्यक्ष महोदय को इस मामले में तटस्थ रहना चाहिये ।

श्री पीलू मोदी : आपनें मुझे तीन बार बैठने को कहा और मैं तीनों बार बैठ गया ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठे रहें मैं आपका नाम पुकारुंगा । उन्होंने यह प्रश्न उठाया था...

श्री समर गुह : अगला विषय लेने से पूर्व कृपया मुझे यह कहने की अनुमति दें...

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत दुख है। यह बहुत बुरा है। क्या आप बैठेंगें ? हमने इसे पिछली बैठक में निलंबित रखा था। जैसा कि आपने पूछा यह मामला समाप्त नहीं हो जायेगा। यह चलता रहेगा। मैं 168-क प्रश्न को लेना चाहता था। उन सभी प्रश्नों को, जिनके बारे में आप चिंतित है, इस प्रश्न के आने पर अनुपूरक प्रश्नों के रूप में उठाने को अनुमति दी जायेगी। दुर्भाग्य से इस प्रश्न के आने से पूर्व ही प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया। उन सभी प्रश्नों को जिनके बारे में आप चिंतित है उसमें सम्मिलित किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप इसे किसी अन्य दिन के लिए अन्तरित कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से केवल वही विकल्प उपलब्ध है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे समाप्त नहीं होने देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसे समाप्त नहीं माना जायेगा। मेरा विकल्प यही था।

(अन्तर्बाधाएं)

श्री पीलू मोदी : महोदय, दो मामले उठाये गए हैं। एक मामला है प्रश्नों का उत्तर देने के बारे में मंत्री महोदय के कार्य निष्पादन का और दूसरा मामला है इस बारे में अध्यक्ष पीठ के कर्तव्य तीसरा मामला जो आपने उठाया है वह सदन में उल्लेख किये जाने वाले व्यक्ति के नाम की पूर्व सूचना देने के संबंध में आपने उठाया है। इन तीनों मामलों पर मैं आपको अपने विचार बताना चाहता हूं। जब किसी पूछे गए विशिष्ट प्रश्न का मंत्री महोदय द्वारा उत्तर न दिया जाय तो आपके सामने दो विकल्प हैं। एक तो यह कहना है कि प्रश्न असम्बद्ध है और उस स्थिति में आपको उसके सम्बद्ध होने के बारे में तर्क सुनने होंगे। दूसरा यह है कि यदी मंत्री महोदय पूछे गये प्रश्न का उत्तर न दें तो आपको उन्हें विशिष्ट बातों का उत्तर देने के लिये कहना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यदि मंत्री महोदय पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वयं प्रश्न को इस ढंग से ढाले ताकि वे इसे समझ पाये और आप उन्हें इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहें। फिर भी यदि ये उत्तर नहीं देते तो आप इनकी भर्त्सना करें। तीसरी बात यह है...

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार मे हमें नियमों में संशोधन करना चाहिये।

श्री पीलू मोदी : कृपया सुनें। ताली दोनों हाथों से बजती है। यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम भी आप की बात नहीं सुनेंगे। आप यह न समझें कि आप हर किसी की बात में बाधा डाल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार नहीं दब सकता। यदि आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो मैं कुछ और भी कर सकता हूं।

श्री पीलू मोदी : यदि मुझे हर बार चिल्लाना पड़े तो...

अध्यक्ष महोदय : आप अपना रुख बदले। मैं इसे सहन नहीं कर सकता।

श्री पीलू मोदी : मैं भी सहन नहीं कर सकता । मैं यहां समानान्तर सरकार तथा समानान्तर अध्यक्षता चलाने नहीं आया हूं । मैं यदि कोई विचार रखना चाहता हूं तो आपको इसे सुनना चाहिये ।

श्री वसंत साठे : चाहे यह नियम के अन्तर्गत हो अथवा नहीं, आपको सुनना ही पड़ेगा ।

Shri Shankar Dayal Sharma : Is it a way to speak in the Parliament ? Is Hon. Piloo Mody bigger than the Parliament ? You should prevent all such things. He wants to say things heavier than his body. You should expunge all what he said just now. We can also throw the ear-phone as done by Shri Modi.

श्री पीलू मोदी : जहां तक उचित नोटिस का संबंध है, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सदन में टिप्पणी की जानी है अथवा आरोप लगाने हैं तो नोटिस जरूरी है । लेकिन यदि यह किसी व्यक्ति संबंधी सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय का निर्णय हो, जिसका यहां बार बार जिक्र हुआ हो तो यदि आप उचित नोटिस के लिये कह तो यह बहुत ही अनुचित है । ये अधिक समय के लिये कह सकते हैं । आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं । लेकिन यदि आप इस मामले में नोटिस के लिये कहते हैं तो मेरे विचार में यह वर्तमान नियमों के अनुसार नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न बहुत ही विशिष्ट था, क्या श्री कानूनगो पर मुकदमा चलाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं क्यों कि इन्होंने उच्च न्यायालय के सामने मिथ्या शपथ ली है । मंत्री महोदय ने प्रश्न को टाला है और एक टालने वाला उत्तर दिया है । यदि आप वाद-विवाद के 22 अगस्त, 1974 के अंक को देखे तो आपको पता लगेगा कि डा० वी० के० आर० वी० राव जैसे व्यक्ति ने भी ऐसा कहा है :

"मैं टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित मंत्री महोदय के 19 अगस्त के वक्तव्य का एक अंश पढ़ना चाहता हूँ :

"श्री गणेश ने कहा कि भारत की विधि प्रणाली ऐसी है जिसके अनुसार केवल छोटे मोट तस्करों पर ही मुकदमा चलाया जाता है. . .बर्ड एंड को० तथा श्री रिखी जैसे थोड़े से बड़े बड़े मामलो में न्यायालयों में वर्षों तक कानूनी कार्यवाही चलती रही । अनेक तस्करों को अदालत खुलने तक की ही सज़ा दी गयी । बड़ बड़े तस्करों के बहुत अच्छे राजनैतिक तथा अन्य प्रकार के सम्पर्क थे" ।

ऐसा कौन कहता है ? जैसा कि डा० वी० के० आर० वी० राव ने कहा, ऐसा श्री गणेश कहते हैं । श्री गणेश ने बहुत बड़ा उत्तर दिया लेकिन इसका उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया । अतः जब भी अवसर हो सदन को गृह मंत्री से यह प्रश्न बिना नोटिस के पूछने का अधिकार होना चाहिये ।

जहां तक श्री तुलमोहन राम सम्बन्धी विशेषाधिकार का प्रश्न है, उसके बार में हमारी यही मांग है कि केन्द्रीय जांच ब्यरो की रिपोर्ट, सभा पटल पर रखी जाय **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की बातें पहले ही दिन से जारी हैं । कृपया सभा की कार्य सूचि का विशेष ध्यान रखें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्द महासागर के तटीय देशों के लिये एक साझा बाजार की स्थापना

*165. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

श्री एच० एन० मुखर्जी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरान के शाह ने हिन्द महासागर के तटीय देशों के लिए एक साझा बाजार की स्थापना किए जाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डॉ० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) 2 अक्तूबर से 4 अक्तूबर, 1974 तक के अपने नई दिल्ली के दौरे के दौरान महामहिम ईरान के शहंशाह की हमारे प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत में यह स्वीकार किया गया कि हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के इस समग्र क्षेत्र में और अधिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग की गुंजाइश है। वे इस बात पर सहमत थे कि इस प्रकार के सहयोग स अधिकाधिक व्यापार तथा अधिक क्षेत्रीय आत्म निर्भरता को और क्षेत्र के खनिज, प्राकृतिक और जनशक्ति स्रोतों का सभी सम्बन्धित देशों का जनता के लाभ के लिए पूरे उपयोग को बढ़ावा मिलेगा ।

भारत और हंगेरी के बीच व्यापार वार्ता

*168. **श्री विरभद्र सिंह :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हंगेरी के बीच व्यापार में वृद्धि करने के लिए नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत हंगेरी आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की पहली बठक में गठित व्यापार विनिमय सम्बन्धी संयुक्त कार्यकारी दल की 28 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 1974 तक नई दिल्ली में बैठक हुई जिसमें भारत हंगेरी व्यापार सम्बन्धों से सम्बन्धित विभिन्न मामलो पर चर्चा की गई ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें उन निष्कर्षों का सारांश दिया गया है जो भारत हंगेरी-व्यापार विनिमय सम्बन्धि कार्यकारी दल ने निकाले हैं ।

विवरण

भारत-हंगेरी आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग संयुक्त आयोग की पहली बैठक में गठित व्यापार विनिमय सम्बन्धि संयुक्त कार्यकारी दल ने दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों के व्यापारिक सम्बन्धों ी समिक्षा की। यह आशा की गई कि 1974 में दोनों देशों के बीच लगभग 45 करोड़ रुपये का कुल व्यापारिक लेन देन होगा जो 1973 के लेन देन की अपेक्षा लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि का सूचक होगा ।

2. भारत से हंगरी को गैर-परम्परागत माल का निर्यात बढ़ाने के प्रश्न पर चर्चा की गई। यह आशा की गई कि विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी सहकारिता तथा सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों से, जिन पर अलग से विचार किया जा रहा था, दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार की गुंजाइश निकलेगी और दोनो ओर की अनेक वस्तुओं के बारे में दीर्घावधि व्यवस्थाओं के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

3. यह भी स्वीकार किया गया कि दोनों देशों के नौवहन संगठन द्विपक्षीय नौवहन करार सम्पन्न करने की संभाव्यताओ का पता लगाएंगे जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार का सुप्रवाह बना रहना सुनिश्चित हो सके।

"आंसुका" के अन्तर्गत गिरफ्तार तस्कर

***168-क श्री बीरेन एंगती।**
श्री समर गुह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) "आंसुका" के अन्तर्गत कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या इस अधिनियम और अन्य समपार्श्वी उपायों के परिणामस्वरूप तस्करी के जाल को तोड़ने के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकी है;

(ग) क्या प्रमुख तस्कर, हाजी मस्तान ने आरोप लगाया है कि उसकी गतिविधियों में राजनीतिज्ञों और मंत्रियों का भी हाथ था;

(घ) क्या सरकार के पुलिस, निवारक और प्रवर्तन विभागों के पास राजनीतिज्ञों और प्रशासन के ऐसे लोगों की सूचियां हैं जिनकी तस्करों से नियमित एवं समय-समय पर धनराशि प्राप्त हो रही थी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) केन्द्रीय सरकार के आदेशो के अधीन 19 तस्कर व्यापारी नजरबन्द किए गए। केन्द्रीय सरकार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा 5-11-74 तक 550 से भी अधिक व्यक्तियों को तस्करी में अथवा विदेशी मुद्रा संरक्षण विरोधी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण नजरबन्द किया गया है।

(ख) तस्करी विरोधी तंत्र को सुदृढ़ करने की दष्टि से सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण जिनमें अध्यादेश के अधीन की गई कार्यवाही भी शामिल है, तस्करो के गिरोहों से भारतीयों का सम्पर्क समाप्त हो गया है।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(घ) तथा (ङ) जिन अधिकारियों की तस्करव्यापारियों के साथ सांठगांठ पायी जाती है उनके मामले में विभागीय कार्यवाही की जाती है। जिन मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिल जाता है उनके विरुद्ध कानून में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार मुकदमा भी चलाया जाता है। सरकार के पास ऐसे राजनीतिज्ञों की कोई सूची नहीं है जिनके बारे में यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें तस्कर व्यापारियों से समय-समय पर धन प्राप्त होता रहता है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा घोषित नई ऋण नीति का मूल्यों पर प्रभाव

***169. श्री बी० मायावान :**

श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा घोषित नई ऋण नीति की मुख्य बातें क्या हैं और मुद्रास्फिति और स्थिरता के निवारण में यह कहां तक सहायक हुई है ; और

(ख) क्या मूल्य वृद्धि भी रुक गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दिनों उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक द्वारा 29 अक्तूबर, 1974 को अधिक कामकाज के चालू दिनों के लिए जो ऋण नीति घोषित की गई थी उसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

1. ऋण देने पर लगी पाबन्दियों को जारी रखना और मुद्रा स्फीति को बढ़ने से रोखना; और
2. पूंजी-निवेश को बनाए रखने, उत्पादन को बढाने और अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए चुने हुए मामलों में ऋण देना ।

सितम्बर के तीसरे सप्ताह से कई वस्तुओं की कीमतो में गिरावट आनी शुरू हो गई है । लेकिन यह गिरावट उन विभिन्न उपायों के मिलजुल असर के कारण हुई है, जो हमने मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए उठाए हैं । अभी इतनी जल्दी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस स्थिति को लाने में ऋण नियंत्रक का कितना हाथ रहा है और इसी प्रकार भावी प्रवृत्तियों के बारे में भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती ।

इंडियन एयरलाइन्स को विमान खरीदने के लिए अमरीकी एजेन्सी से ऋण

***170. श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स को बोइंग विमान खरीदने के लिए ऋण देने वाली अमरीकी एजन्सी ने उसी प्रकार के दो विमान और खरीदने के लिए पुरानी शर्तों पर और ऋण देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जिन अमरीकी एजेंसियों ने हाल ही में इण्डियन एयर लाइन्स को बोइंग खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी थी उन्होंने कारपोरेशन द्वारा दो और बोइंग खरीदने के लिए वित्त-व्यवस्था करने में रुचि दिखाइ है । शर्तों पर बातचीत हो रही है ।

राज्यों द्वारा जनता से ऋण लेकर संसाधनों का जुटाया जाना

***171. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता से ऋण लेकर साधन जुटाने के बारे में अनुमति देने के राज्यों के सुझाव केन्द्रीय सरकार ने अस्वीकार कर दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जनता से ऋण लेने के कार्यक्रम को चलाने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं वे इतने नहीं हैं कि चालू वर्ष में राज्य सरकार या उनके अभिकरण और बाजार ऋण ले सके।

मान्यता प्राप्त निर्यात गृहों को इस्पात का नियतन

***172. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में मान्यता प्राप्त निर्यात गृहों को अपने सहायक निर्माताओं को इस्पात और कच्चे लोहे का वितरण करने का अधिकार दिए जाने के प्रश्न पर कार्यवाही की है ;

(ख) क्या उनका मंत्रालय ऐसे मामलों में आयात करने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है जिनमें स्वदेशी कच्चे माल का मूल्य बहुत अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं। मान्यताप्राप्त निर्यात गृहों को अपने सहायक विनिर्माताओं को इस्पात तथा कच्चे लोहे का वितरण करने वाली एजेन्सी बनाने की कोई प्रस्थापना नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) जी हां। रजिस्टर्ड निर्यातकों के लिए आयात नीति में ऐसे आवश्यक कच्चे माल तथा संगठकों का आयात करने की अनुमति देने की व्यवस्था है, जहां स्वदेशी स्थानापन्न वस्तु की कीमत इतनी ऊंची है कि निर्यात उत्पादन की प्रतियोगी क्षमता को नहीं बनाए रखा जा सकता।

कलकत्ता में तस्करों तथा कर अपवंचकों पर मारे गये छापे

***173. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में ऐसे तस्कर और कर अपवंचक कितने हैं जिनके कार्यालयों/निवास स्थानों की सितम्बर और अक्तूबर 1974 के दौरान तलाशी ली गयी थी ;

(ख) क्या काफी मात्रा में सोना, चांदी, और जेवरात अधिकारियों को मिले तथा पकड़े गए और यदि हां, तो पकड़े गए धन का निपटान किस प्रकार करने का विचार है ; और

(ग) इन मामलों से सम्बद्ध कितने व्यक्ति आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम अथवा अन्य कानूनो के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए हैं अथवा कितने व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किए गए हैं और क्या पटसन, कागज और कोयला कम्पनियों सहित बड़ी व्यापार फर्मों के अनेक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी इन मामलों से सम्बद्ध है परन्तु गिरफ्तार नहीं किए गए है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सितम्बर और अक्तूबर, 1974 में सीमाशुल्क अधिकारियों ने कलकत्ता में 90 से अधिक व्यक्तियों के कार्यालयों/निवासों की तलाशियां लीं। पश्चिम बंगाल में आयकर आयुक्तो ने, काले धन का पता लगाने के लिए, 73 मामलो में तलाशियां अधिकृत की थीं।

(ख) सीमा शुल्क अधिकारियों ने 1,64,000 रु० मूल्य का माल पकड़ा। आयकर विभाग ने इन छापों में 64,42,712 रु० मूल्य की नकदी तथा जवाहिरात और गहने पकड़े। सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए माल का निपटान सीमाशुल्क कानून के संगत उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा। आयकर विभाग द्वारा पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों पर कर लगाया जाएगा। इस प्रकार लगाए गए करों और यदि कोई बकाया होंगी तो उनकी वसूली, पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों से की जाएगी।

(ग) सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। वे अदालतों द्वारा जमानत पर छोड़ दिए गए हैं। इन पांच व्यक्तियों में से जो एक व्यक्ति फरार है उसके खिलाफ आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के संशोधक अध्यादेश के अधीन नजरबन्दी का आदेश जारी किया गया है। सीमाशुल्क विभाग द्वारा ली गई तलाशियों में जूट, कागज और कोयला कम्पनियों के अथवा अन्य बड़ी फर्मों के कोई निदेशक अथवा कार्यकारी अधिकारी ग्रस्त नहीं पाए गए है।

आयकर विभाग द्वारा ली गयी तलाशियों में अलबत्ता बड़ी व्यावसायिक फर्मों के भी कुछ निदेशकों और कार्यकारी अधिकारियों के मामले शामिल हैं; परन्तु कर-अपवन्चन के लिए, प्रत्यक्ष-कर कानूनों के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार करने अथवा नजरबन्द रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

***173-क. श्री भागीरथ भंवर :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समाजवादी संसद सदस्य ने वित्त मंत्री से 1967 से लेकर 1970 तक यह सुझाते हुए पत्र व्यवहार किया था कि नेपाल से भारत में स्टैनलेस स्टील, नायलौन, पोलिस्टर धागे, तथा कपड़ों और शराब आदि की, जो किसी तीसरे देश की वस्तुएं है, तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए ;

(ख) क्या उस समाजवादी संसद सदस्य ने 1970 में अनेक ऐसे प्रश्न संसद में पूछे थे जिन में कुली मस्तान जैसे तस्करों को राजनैतिक सम्बन्धों के प्रकाश में लाने की मांग की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तस्करों और तस्करी के विरुद्ध सितम्बर, 1974 तक कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, इन मामलों से सम्बन्धित कुछ अतारान्कित प्रश्नों का वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में 1970 में उत्तर दिया गया था।

(ग) भारत-नेपाल के बीच तस्करी की समस्या का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(i) जनवरी, 1969 में भारत-नेपाल सीमा पर सीमाशुल्क निवारक एककों का जाल कायम किया जाना और बाद में 1970 और 1971 में उसका और अधिक बढ़ाया जाना।

भारत-नेपाल सीमा पर अब सात सीमाशुल्क प्रभाग कार्य कर रहे हैं। इन निवारक एककों को गतिशील बनाए रखने के लिए जीपों की व्यवस्था की गई है और सेना के भूतपूर्व कर्मचारियों को भरती किया गया है। इन निवारक एककों को रिवाल्वर और राइफलों भी सप्लाई की गई है।

भारत-नेपाल सीमा पर तैनात अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पटना और इलाहाबाद में सीमाशुल्क सम्बन्धी प्रशिक्षण देने की दृष्टि से विशेष प्रशिक्षण केन्द्र कायम किए गए हैं।

(ii) भारत-नेपाल सीमा पर होने वाले तस्कर-व्यापार से सम्बन्धित गुप्त सूचना, निवारक उपाय तथा तस्करी विरोधी अभियान के बारे में समन्वय कायम करने की दृष्टि से जनवरी, 1970 में राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय में एक विशेष कार्यअधिकारी का पद निर्मित किया गया।

(iii) सम्पूर्ण-भारत नेपाल सीमा को सीमाशुल्क समाहर्ता (निवारक) की एकीकृत कमान के अधीन रखा गया है जिसका मुख्यालय पटना में है।

(iv) समय-समय पर नेपाल के महामहिम को सरकार से सहयोग मांगा गया है और नेपाल की सरकार द्वारा किए गए उपायों से भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी को रोकने में सहायता मिली है।

Cash and Valuables seized during Recent Raids

*174. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has received complaints to the effect that the inventories of goods, money and jewellery seized in the raids conducted by the Income Tax and Central Excise Department officers do not have the same figures as are reported in the press ; and

(b) whether Government have ascertained from their own sources that the goods or money seized have been correctly entered in the inventories ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kuma. Mukherjee) : (a) & (b) Complaints of this nature are received once in a while only When such a complaint is received, the same is looked into by the Government. When searches are made and inventories are prepared, a number of officers are present. The inventories of seizures are prepared also in the presence of punchas (witnesses). The punchas as well as the persons from whose premises seizures are made, sign the copies of the inventories.

Estimated amount of Black Money in the Country

*175. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the estimated amount of black money in the country during each of the last three years and at present ;

(b) the steps taken to eliminate the black money and the extent to which success has been achieved in this regard and the steps to be taken in future in this regard ; and

(c) the State-wise break-up of black money unearthed in the raids conducted by Government during the current year and the share out of that to be given to each State ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Government have not made any estimate of black money in the country. However, the Direct Taxes Enquiry Committee (Wanchoo Committee) has estimated the income on which tax was evaded for the year 1968-69 at a figure of Rs. 1,400 crores.

(b) The process of eliminating and unearthing black money is a continuing one. Necessary steps in this regard are taken by the Government from time to time. The measures lately taken in this context and the results achieved are given in the Statement 'A' which is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 8553/74]**

In particular, the Select Committee of the Parliament is considering the Taxation Laws (Amendment) Bill, 1973, which contains number of provisions to fight the problem of black money and tax evasion, following the recommendations of the Wanchoo Committee and Law Commission. The report of the Select Committee is to be submitted shortly.

(c) The number of searches conducted by the Income-tax authorities in the various charges of the Commissioners of Income-tax during the current financial year upto the end of September, 1974 and the value of assets seized in these searches are given in the Statement 'B' which is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 8553/74]**

The assets seized as a result of searches are not shareable, as such, with the States. However, when the regular assesssments are completed on the basis of seized materials and, thereafter, taxes are collected as a result thereof, the divisible pool out of such collections is distributed among States in accordance with the Presidential Order issued under Articles 270 and 275 of the Constitution.

उमा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के विरुद्ध कार्यवाही

***176. श्री बीरेन दत्त :**

श्री कुमारी कमला कुमारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई में चोट फण्ड चलाने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, उमा इन्वेस्टमेन्ट, द्वारा की गई अनियमितता से वहां के चिट फण्डस् के अंशदाता चिन्तित है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम्पनी ने अपने 80 से अधिक कार्यालयों के माध्यम से चीट अंशदान के रूप में 2 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एकत्र की है ; और

(ग) यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अक्तूबर, 1971 में भारतीय रिजर्व बैंक ने उमा इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया था। निरीक्षण करने पर चूंकि कम्पनी के कार्य में कतिपय अनियमिततायें पायी गयीं अतएव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति कम्पनी कार्य विभाग को भेज दी गयी थी और ये अनियमितताएं केरल, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडू राज्यों के चिटों के निदेशकों के ध्यान में भी ला दी गयीं थीं। इस बीच, कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अधीन उक्त कम्पनी के खातों के निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं।

यह भी सूचना मिली है कि तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने उक्त कम्पनी के विरुद्ध भारतीय दण्ड सहिता की धारा 420/406 के अन्तर्गत कुछ मामलें दर्ज किए हैं, किन्तु इस विषय में आगे कार्रवाई बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में आस्थगित कर दी गई हैं। इस न्यायालय के आदेश द्वारा उक्त कम्पनी और उसके अधिकारियों के विरुद्ध वे सभी मामले जो इस समय चल रहे हों अथवा जो आगे चलाये जाने वाले हैं, आस्थगित कर दिए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचना दी है कि इस कम्पनी द्वारा चिटों के अंशदान से प्राप्त और बकाया राशि 31 मार्च, 1973 को 157.20 लाख रुपये थी।

निषिद्ध कपड़ों की आमद की रोकथाम

*177. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संश्लिष्ट कपड़ों की 60 प्रतिशत मांग चोरी-छिपे आयात करके पूरी की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और निषिद्ध कपड़ों की आमद को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) देश में चोरी छिपे आयात किये जाने वाले संश्लिष्ट वस्त्रों के आयातों की मात्रा के सम्बन्ध में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1973 के दौरान और अगस्त, 1974 तक सीमाशुल्क अधिकारियों ने क्रमशः 13.97 करोड़ रुपये और 20.23 करोड़ रु० के संश्लिष्ट फैब्रिक्स और धागे पकड़े।

वस्त्रों के गैर-कानूनी आयातों के खिलाफ किए गए उपायों में ये शामिल हैं :

(1) पत्तनों, हवाई पत्तनों और स्थल सीमाशुल्क केन्द्रों और देश के भीतर महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्रों पर सतर्कता।

(2) विदेशों से आने वाले जहाजों और अन्य वाहनों की जांच पड़ताल।

(3) आयातों तथा निर्यातों की संवीक्षा।

केन्द्रीय वित्त मंत्री की राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक

*178. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्री की राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ हाल में कोई बैठक थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक बुलाने के क्या कारण थे ;

(ग) इस बैठक में किन राज्यों ने भाग लिया था और उन्होंने राज्यवार क्या विचार व्यक्त किए ; और

(घ) बैठक के बाद क्या कार्यवाही की गई और इसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) से (घ) केन्द्रीय वित्त मंत्री और योजना मंत्री ने राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने, विशेषरूप से कृषि क्षेत्र के समृद्ध वर्गों के सन्दर्भ में अतिरिक्त साधन जुटाने की आवश्यकता पर बल देने और सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं पर लगी पूंजी पर हो रही हानि को कम से कम करने के लिए चालू वर्ष में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया था। इस विचार विमर्श के दौरान अनावश्यक और कम प्राथमिकता वाले खर्च को कम करने तथा अति-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगी पूंजी को सुरक्षित रखने की आवश्यकता का भी जिक्र किया गया था।

इस सिलसिले में आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इन सुझावों के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया आम तौर पर अनुकूल रही है और उन्हों ने अपने साधनों में वृद्धि करने और अपने खर्चों में कमी करने के लिए कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान में बड़े व्यापार गृहों और लघु उद्योगों को दिए गए ऋण की राशि

*179. **श्री लालजी भाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान राजस्थान में विभिन्न बड़े व्यापार गृहों तथा लघु उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है ?

(ख) इन पार्टियों ने अब तक कितनी राशि वापिस लौटा दी है ; और

(ग) ऋण के रूप में दी गई राशि को वसूल करने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) (i) बैंक साधारणत : कार्यचालन पूंजी प्रयोजनों के लिए ऋण सहायता मंजूर करते हैं जिसे ओवर ड्राफ्टों, नगद ऋणों, हुण्डियों गारंटियों, आदि के तौर पर सामान्यत: सीमा के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और ऋणकर्त्ता को इस सीमा के भीतर कार्य करना पड़ता है। इन सीमाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और ऋणकर्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए उदभ घटौतरी बढ़ौतरी या उन्हें रद्द आदि करने की कारवाई की जाती है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि किसी विशेष अवधि के दौरान ऋण कर्त्ताओं की किसी श्रेणी को कितनी रकम मंजूर की गई। तथापि, विशेष तारीखों को, इन सीमाओं के भीतर ऋणकर्ताओं के पास बकाया अग्रिमों के सम्बन्ध में आंकड़े बैंकों द्वारा खोले जाते हैं। चूंकि ऋणकर्त्ता को स्वीकृत सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करना होता है, इसलिए किसी अवधि विशेष के दौरान इस प्रकार दिए गए ऋणों की वसूली का सवाल नहीं उठता। तथापि, यदि किसी ऋणकर्त्ता का खाता सीमाओं के भीतर कार्य करने के दौरान अशोध्य अथवा संदिग्ध शोध्यतावाला अथवा निष्क्रिय हो जाता है तो उस स्थिति में बैंक, कानून के अनुसार वसूली की सामान्य कार्रवाई का सहारा लेते है।

(ii) एकाधिकार जांच आयोग द्वारा सूचीबद्ध 75 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित और विभिन्न राज्यों से अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिए गए अग्रिमों की बकाया रकमों के आंकडें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्य-वार तैयार नहीं किए जाते और न ही 31-3-73 अथवा 31-3-74 के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध है। तथापि, 18-7-1969, 30-6-1972, 29-6-1973 और 28-12-1973 को, 75 बड़े औद्योगिक घरानों को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सारे भारतवर्ष में दिए गए कुल अग्रिमों की बकाया रकमों के विषय में उपलब्ध सूचना नीचे दी जा रही है :—

निम्नलिखित तिथियों को सारे भारतवर्ष में किये गये अग्रियों की कुल बक़ाया रकम

(करोड़ रुपयों में)

	18-7-1969	30-6-1972	29-6-1973	28-12-1973
(i) 75 बड़े औद्योगिक घराने	440.28	522.68	568.79	582.32
(ii) सभी ऋणकर्त्ता . .	1819.40	2949.20	3480.80	3827.44
(iii) की प्रतिशतता (i) से (ii)	24.2%	17.7%	16.3%	15.2%

(iii) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान राज्य में स्थित लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिमों की बकाया रकम को मार्च, 1973 और मार्च, 1974 के अन्तिम शुक्रवार को स्थिति के विषय में सूचना उपलब्ध है और नीचे दी जा रही है :—

(करोड़ रुपयों में)

	अन्तिम शुक्रवार को मार्च, 1973		अन्तिम शुक्रवार को मार्च, 1974	
	एककों को संख्या	बकाया रकम	एककों को संख्या	बकाया रकम
लघु उद्योगों को ऋण	948	3.62	1743	6.78

बाद टिप्पणी : इस उत्तर में प्रयुक्त शब्दावली "बकाया अग्रिमों" का अर्थ है ऋणकर्ताओं द्वारा किसी विशिष्ट तारिखों को मंजूर की गयी सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करने के दौरान ली गयी रकम। इसका यह अर्थ नहीं है कि ये अग्रिम ऋणकर्ताओं से कालातीत (ओवरड्यू) है।

जापान द्वारा भारत को बड़ी मात्रा में अधिशेष वस्त्रों की सप्लाई

*180. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भारत को आर्थिक सहायता के रूप में बड़ी मात्रा में अधिशेष वस्त्रों की सप्लाई करने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस बारे में अन्तिम रूप से कोई करार हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारत सरकार को जापान को किसी ऐसी योजना का पता नहीं है जिसके अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में सूती वस्त्र दिए जाएंगे।

(ख) से (घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

निर्यात संभाव्यता के बारे में राज्य मंत्रियों की बैठक

*181. **श्री एस० एन० सिंह देव :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा सरकार ने निर्यात संभाव्यता सम्बन्धी राज्य मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लिया ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के बैठक में भाग न लेने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस बैठक में किन राज्यों ने भाग लिया और राज्यवार व्यक्त किए गए विचारों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस बैठक में किए गए निर्णयों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) निर्यात प्रयासों के में राज्यों सहयोग के बारे में विचार विमर्श करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों के साथ 1 अक्तूबर 1974 को हुई बठक में पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्रतिमिधि भेजा था। त्रिपुरा सरकार के प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया।

(ख) भाग न लेने के कारण मालूम नहीं है।

(ग) उन राज्यों के नाम जिन्होंने इसमें भाग लिया तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सूझाओं का सार, सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

(घ) बैठक में दिए गए सुझाओं पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

1. बैठक में भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. दिल्ली
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू तथा काश्मीर
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. मेघालय
13. मिजोराम
14. उड़ीसा
15. पंजाब
16. राजस्थान
17. तमिलनाडु
18. उत्तर प्रदेश
19. पश्चिम बंगाल

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाओं का सार :—

(1) निर्यातकों को, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल जैसे इस्पात, रासायनिक पदार्थ तथा प्लास्टिक सम्बन्धी कच्चे माल तथा डीजल तल, इन्धन तेल, कोयले जैसे अन्तर्निविष्ट साधनों को दुर्लभता के बारे में राहत देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

(2) निर्यात ऋण, और अधिक उधार शर्तों पर उपलब्ध किया जाना चाहिए।

(3) मुख्य व्यापार क्षेत्र और स्थापित लिए जाने चाहिए।

(4) राज्यों को अपने उत्पादों के विपणन के बारे में सहायता दी जानी चाहिए।

(5) राज्य निर्यात निगमों के कार्य को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। राज्य व्यापार निगम को भी राज्य निगमों को मार्फत माल का निर्यात करना चाहिए।

(6) केन्द्रीय अभिकरणों के पास उपलब्ध बाजार सम्भाव्यताओं के सम्बन्ध में जानकारी, राज्य सरकारों को भी वितरित की जानी चाहिए।

(7) राज्य व्यापार निगम को राज्यों के उन उत्पादों के बाजार ढूंढने के सम्बन्ध में मदद करनी चाहिए जिन्हें निर्यात करने में राज्य सरकारों को कठिनाई हो रही हो।

(8) लघु पैमाने के एककों को उनके निर्यात प्रयासों के लिए वित्तिय सहायता दी जानी चाहिए। आयात निर्यात बैंक जैसे कतिपय अभिकरण, निर्यात एककों को बहुत कम ब्याज पर ऋण देने के लिए स्थापित किए जान जाहिए।

उर्वरकों की सप्लाई के लिये रूमानिया के साथ करार

1601. गजाधर माझी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों को सप्लाई के लिए रूमानिया और भारत के बीच हाल में कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तों सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० ने रूमानिया से 40,000 मे० टन कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के आयात हेतु, जिसका पोतलदान नवम्बर, 1974 से जनवरी, 1975 के दौरान किया जायेगा सम्बन्धित विदेश व्यापार प्रतिष्ठान मैं० एजोएक्सपोर्ट के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए।

तस्करी रोकने के लिये कार्यवाही

1602. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी रोकने के लिए तथा तस्करों को पकड़ने हेतु अनुवर्ती कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ व्यक्तियों की कोई नामिका (पेनल) तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन व्यक्तियों (पैनल) ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है तथा इस दिशा में इन्होंने क्या प्रमुख निर्णय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) जी नहीं। तथापि वर्तमान तस्करी विरोधी अभियान की प्रगति के बारे में अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

Import of Cotton

1603. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of cotton imported during the last three years ;

(b) the amount of foreign exchange expenditure incurred thereon ;

(c) the rate at which it was imported ; and

(d) the difference between the rates of imported cotton and Indian cotton ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) :

(a) & (b)

Year	Quantity (Bales of 180 Kgs. in lakhs)	Approximate value (Rs. in crores)
1971-72	7.44	101.73
1972-73	4.42	64.90
1973-74	0.49	23.53

(c) *(Price per candy in Rs.)*

Year	Egyptian variety	Sudanese variety	Others
1971-72	4100—4600	2300—3500	2300—2500
1972-73	4200—5000	2600—3300	Nil
1973-74	4200—5300	4600—6900	Nil

(d) Although India also produces long staple cotton, there are differences between Indian cotton and foreign cotton with regard to physical properties and prices. Therefore , comparison in rates is not feasible.

गोआ के निर्यात की क्षमता

1604. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ की निर्यात क्षमता के बारे में जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात योग्य वस्तुएं कौनसी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत सरकार ने अभी तक गोआ राज्य के किसी निर्यात सम्भाव्यता सर्वेक्षण को प्रयोजित नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आर्थिक अपराध

1605. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में कुछ आर्थिक अपराधों को दाण्डिक अपराध माना है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन अपराधों को ऐसा माना गया है तथा उनको किस तारीख से ऐसा किया गया है ; और

(ग) क्या इस सूची में कुछ और आर्थिक अपराधों को शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जहां तक वित्त मंत्रालय द्वारा शासित अधिनियमों का सम्बन्ध है, आय कर अधिनियम, धन-कर अधिनियम, सीमा-शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम में पिछले कहीं वर्षों से ही ऐसे उपबन्ध निहित हैं जिनमें उक्त अधिनियमों के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की व्यवस्था है।

(क) कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 का आशय अपने खण्ड 71 के द्वारा, आयकर अधिनियम 1961 में एक नई धारा 276सी अन्तःस्थापित करना है, जिससे जान-बूझ कर कर अपवंचन करने की कोशिश करने पर अथवा जानबूझकर कर की अदायगी से बचाने की कोशिश करने पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। धन-कर अधिनियम 1957 में भी उक्त विधेयक के खण्ड 108 के द्वारा, ऐसी ही व्यवस्था करने का विचार है। वह विधेयक फिलहाल प्रवर-समिति के विचाराधीन है।

भारतीय पटसन के सामान की मांग

1606. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट के सामान के लिए पश्चिमी देशों में बेहतर बाजार सुविधाओं का पता लगाने के लिए एक शिष्ट मण्डल भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल किन-किन देशों में गया ;

(ग) इस सम्बन्ध में उनके विचार क्या हैं तथा विभिन्न देशों में भारतीय पटसन के सामान की मांग कितनी है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किसी देश के साथ कोई करार हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) गत दो वर्षों में पटसन के बारे में कोई प्रतिनिधिमण्डल नहीं भेजा गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Export of sugar to Soviet Union

1607. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether India has been exporting sugar to Soviet Union ;

(b) if so, the quantity and price of sugar exported during the last three years, year-wise; and

(c) the items imported from Soviet Union against this export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanth Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

कोचीन में निर्बाध व्यापार क्षेत्र (फ्री ट्रेड जोन) की स्थापना

1609. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कोचीन में एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) अनेक स्थानों पर, जिनमें कोचीन भी शामिल है, निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। ये विचाराधीन है। अलग अलग स्थानों के बारे में विनिश्चय प्रत्येक स्थान के विषय में सम्भाव्यता अध्ययन के आधार पर किया जाएगा।

Un-economic routes of Indian Airlines

1610. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a number of routes of Indian Airlines are operating at a loss; and

(b) if so, the names of such routes and the extent of loss suffered during the last six months ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) Routewise economics of services operated during the last six months have not yet been compiled.

रेशम के सामान का निर्यात

1611. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–74 के दौरान रेशम के सामान का कितना निर्यात किया गया, और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ख) किन-किन देशों को निर्यात किया गया तथा, देश-वार, कितना-कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8554/74]**

राजस्थान में पर्यटन का विकास

1612. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में पर्यटन के विकास हेतु कोई योजना स्वीकृत की की ; और

(ख) योजना-वार आज तक कुल कितनी राशि स्वीकृत तथा व्यय की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय राज्य में मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8555/74]**

गुजरात द्वारा काउन्टों के धागे की मांग

1613. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ने हाल में विभिन्न काउन्टों के धागे की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मांग की गई थी ; और

(ग) इसमें से कितनी मांग पूरी की गयी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) से (ग) भारतीय सूती मिल संघ द्वारा चलाई जा रही सूत की कीमतों को नियंत्रित करने की स्वैच्छिक योजना के अन्तर्गत, वस्त्र आयुक्त ने गुजरात सरकार से अपनी आवश्यकताएं बताने और उन नामितो के नाम भी बताने का अनुरोध किया जो सुपुर्दगियां लेंगे। मांग तथा उप-आबंटनो के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गए थे जो अभी आने हैं।

भारत में चाय संकट

1614. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** :
श्री रानेन सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सामने चाय का संकट आने वाला है ;

(ख) क्या दार्जिलिंग तथा अन्य स्थानों पर लगे चाय बागानों में चाय के नये पौधें लगाने की आवश्यकता है क्योंकि वहां चाय की झाड़ियां सैकड़ों वर्ष पुरानी हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां,तो सरकार का देश में चाय उत्पादको को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि चाय उद्योग को संकट से बचाया जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) 31 मार्च, 1971 के मुताबिक भारत के कुल चाय क्षेत्र के लगभग 34 प्र०श० भाग में 50 वर्ष से अधिक पुरानी झाड़ियां हैं। सामान्यत: 60 से 80 वर्ष तक पुरानी झाड़ियां का पुनर्रोपण जरूरी होता है किन्तु इनमें से कुछ सैक्शनों का कृषि सम्बन्धी उचित पद्धतियों को अपनाकर भी सुधार किया जा सकता है जैसे कि नवीकरण, कांट-छांट, खाद इनफिलिंग आदि।

झाड़ियों का पुनर्रोपण हो तो रहा है किन्तु उस हद तक नहीं जितना की लक्ष्य रखा गया था। पुनर्रोपण की गति को सुधारने के लिए चाय बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता की योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही हैं।

वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद में असम्बद्ध यूनियनों/एसोसिएशनों में पृथक प्रतिनिधित्व की मांग

1615. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद में असम्बद्ध यूनियनों/एसोशिएशनों में पृथक प्रतिनिधित्व की मांग के बारे में 30 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2948 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

4—37 LSS/74

(क) उन तीन पंजीकृत कर्मचारी संगठनों के नाम क्या है, जो आय-कर कर्मचारी फेडरेशन से अलग हो गए है ;

(ख) क्या संयुक्त परामर्शदात्री समिति योजना के अन्तर्गत स्थापित विभागीय परिषद में पृथक प्रतिनिधित्व के बारे में सरकार ने अब निर्णय ले लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपना निर्णय सम्बद्ध एसोसिएशनों को बता दिया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) दिल्ली आयकर (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी संघ, जिसका गन्तव्य एक नए नाम 'दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ' के रूप में काम करना है ; वैस्ट बैंगाल इन्कम टैक्स क्लास iv एम्प्लाइज एसोसिएशन, कलकत्ता ; और तामिलनाडु इन्कम टैक्स एम्प्लाइज एसोसिएशन, मद्रास ने इन्कम टैक्स एम्प्लायज फेडरेशन से अपने अलग होने की सूचना भेजी थी। बाद में ऐसी सूचना मिली थी कि दिल्ली आयकर (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी संघ ने जो अपने मूल नाम में काम कर रहा है, अलग होने के निर्णय को रद्द करने का निश्चय किया था और यह भी निर्णय किया था कि वह इन्कम टैक्स एम्प्लायज फैडरेशन, नई दिल्ली के प्रतिनिधित्व में चल रहे आयकर कर्मचारियों के प्रमुख संचलन में ही बना रहेगा।

(ख) सरकार ने निर्णय किया है कि विसम्बद्ध हुए एसोसिएशनों को, संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की व्यवस्था के अन्तर्गत, वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित विभागीय परिषद में अलग से प्रतिनिधित्व पाने का हक्क नहीं है ।

(ग) सरकार ने सम्बन्धित एसोसिएशन को अपने निर्णय की सूचना दे दी है ।

चाय का उचित न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य

1616. श्री धामनकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय का उचित न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पांच सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह):(क) से (ग) चाय के सम्बन्ध में अन्तःसरकारी दल के निर्यातकों के उप-दल के जून 1974 में रोम में हुए 7वें सत्र में सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया गया कि चाय के लिए एक बहु आयामी अन्तर्राष्ट्रीय करार के निम्नोक्त तत्वों की तकनीकी तथा आर्थिक सम्भाव्यताओ का गहराई से अध्ययन किया जाए :

1. एक न्यूनतम निर्यात कीमत की व्यवस्था करना जिससे कम पर निर्यातों की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
2. विपणन का समन्वय तथा विनियमन ताकि आयातकर्ता देशों में उन स्टाकों का बनाया जाना रोका जा सके जिससे क़ीमतों पर मंदी लाने वाले प्रभाव पड़ें ।
3. नये बाजारों सहित विश्व व्यापी संवर्धन को गहन बनाकर तथा उसमें सहयोग देना ।
4. विपणन का सुव्यवस्थीकरण करना ताकि उत्पादनकर्ता देशों में नीलाभियों की सम्भाव्यताओं को बढ़ाने के विशष संदर्भ में अत्यधिक अनकूल कीमतें प्राप्त की जा सके ।

5. चाय की विभिन्न किस्मों के सम्बन्ध में बाजार परिवर्तनों तथा भावी दृष्टिकोण के बारे में अद्यतन तथा नियमित जानकारी देने के उद्देश्य से चाय निर्यातकर्ता देशों के लिए स्वतन्त्र बाजार जानकारी सेवा की व्यवस्था करना।

उपरोक्त प्रस्थापनाओं का एक कार्यकारी दल द्वारा, जिसमें अर्जेन्टिना, भारत, इंडोनेशिया, कीनिया, मलावी, श्रीलंका तथा तंजानिया शामिल हैं, अध्ययन किया जाना है।

उड़ीसा की ऊनी कपड़ा मिलों को धागे की सप्लाई

1617. श्री अनादि चरण दास :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में उड़ीसा की उनी कपड़ा मिलों को कोई धागा सप्लाई किया गया है ;

(ख) क्या सप्लाई की गई मात्रा उड़ीसा की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) ऊनी धागे के उत्पादन कीमत और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्न में उल्लिखित अवधि के लिए किसी कानूनी आदेश के अन्तर्गत ऊनी धागे की सप्लाई का प्रश्न नहीं उठता। हालांकि ऊनी प्रणाली पर चलने वाली मिलें अपनी जरूरतें स्वदेशी स्रोतों से पूरी करती हैं किन्तु वर्स्टेड तथा शाडी क्षेत्र की मिलों को ऐसे आयातित कच्चे माल पर निर्भर रहना पड़ता है जिसकी मात्रा विदेशी मुद्रा की प्राप्यता पर आश्रित हैं। कच्चे माल की कमी के कारण देशभर में वर्स्टेड तथा शाडी एकक दो शिफ्टों से भी कम के आधार पर चलते हैं और यही बात उड़ीसा पर भी लागू होती है।

न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में प्राइवेट निर्धारक

1618. श्री के० के० शेट्टी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने नियमित दावा निरीक्षकों के अतिरिक्त दावों के निपटान के लिये और प्राईवेट निर्धारक भी रखे हुए है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में इंजीनीयरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की बेरोजगारी की हालत में रहते हुए, सरकार का विचार प्राईवेट निर्धारकों को हटा देने का है; और

(ग) प्राइवेट निर्धारकों को पूरी तरह कब तक हटा दिया जायेगा और उनके स्थान पर बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों को कब तक नियुक्त किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Number of weavers in Burhanpur Town of Madhya Pradesh

1619. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of weavers in Burhanpur town of Madhya Pradesh ;

(b) whether the manufacture of the articles of silk and zari (gold brocade) by these weavers which used to be exported has declined considerably ;

(c) whether Government propose to extend certain facilities to the weavers engaged in this work ; and

(d) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

1620. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोली गयी हैं ;

(ख) क्या पांचवी पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान तमिलनाडू में इन बैंकों की और अधिक शाखायें खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी शाखायें खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के कार्यालयों की संख्या तमिलनाडु में राष्ट्रीयकरण के समय 714 थी वह जून, 1974 क अंत तक बढ़कर 1239 हो गई।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंक शाखाओं के विस्तार के सबंध में तीन वर्षीय "रोलिंग" योजनाएं बनाते है। आजकल, बैंक 1975-77 की तीन वर्ष की अवधि के लिए योजना बनाने में लगे हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि तमिलनाडू में शाखायें खोलने के लिए 14 राष्ट्रीयकृत बैंको सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के पास जून, 1974 के अंत तक 111 लासैंस/आबंटन पत्र थे।

भारत बंगलादेश सीमा पर तस्करी

1621. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि तस्करों के संगठित गिरोह भारत-बंगला देश सीमा पर तस्कर व्यापार में सक्रिय है; और

(ख) इन गतिविधियों को सख्ती से रोकने तथा तस्करों के गिरोहों और उनके धनदाताओं को पकड ने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी की गतिविधियों और इस तस्करी में अन्तर्ग्रस्त कुछ संगठित गिरोहों के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करों को रोकने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(i) सीमा पर सीमाशुल्क कर्मचारी तैनात कर दिये गये हैं जो निवारक गश्त लगाते हैं;

(ii) तस्करी विरोधी कार्यों के लिये सीमा सुरक्षादल और राज्यों की पुलिस के साथ विभिन्न स्तरों पर निकट सम्पर्क रखा जाता है ;

(iii) सीमा सुरक्षा दल और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस कार्यचारियों को तस्करी विरोधी कार्य के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अधिकार दिये गये हैं ;

(iv) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 द्वारा यथा संशोधित आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम का भी तस्कर-व्यापारीयो को नजरबन्द करने के लिए उपयोग किया जा रहा है जिसमें इस सीमा पर तस्करी को रोका जा सके।

यात्रा स्थलों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिये वित्तीय सहायता

1622. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा स्थलों का पर्यटक केन्द्रों के रुप में विकास करने के लिये वित्तीय व्यवस्था करने हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उन विभिन्न यात्रा स्थलो के राज्यवार नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में केन्द्र से इस योजना के अधीन सहायता मिली है ;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जब से भाग II की स्कीमें अथवा केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमें समाप्त कर दी गई हैं तीर्थयात्री यातायात के लिए सुविधाओं को विकसित करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हो गया है। विदेशी पर्यटको के लिए सुविधाओं का विकास करना मुख्यतया केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग रामेश्वरम् (तमिल नाडु) तथा मंत्रालय (कर्णाटक) में पर्यटक बंगलो, पुरी (उड़ीसा) तथा अमृतसर (पंजाब) में युवा होस्टलो और वाराणसी (यू० पी०) में पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण कर रहा है परन्तु ये सुविधायें मूलरुप से तीर्थयात्री यातायात के लिये अभिप्रेत नहीं हैं।

(ग) और (घ) शबरीमाता, गुरुवूयूर, मलयाथुर तथा मम्बूरम में तीर्थयात्रियों के लिये सुविधाओं का विकास करने के लिए केरल सरकार से 24.00 लाख रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। चूंकि ये स्थान मुख्यरूप से प्रादेशिक महत्व के हैं वहां पर सुविधाओं का विकास करना राज्य सरकार की जिम्मेंवारी है जिस की सूचना उन्हें दे दी गयी है।

आल इंडिया रिजर्व बैंक आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा महंगाई भत्ता बढाये जानें की मांग

1623. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रिजर्व बैंक आफिसर्स एसोसियशन ने अपने महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग सम्बन्धी आन्दोलन को समुचय देश में तेज कर दिया है ;

(ख) क्या इसका कारण बक अधिकारियों द्वारा अपना आश्वासन पूरा न किया जाना है; और

(ग) रिजर्व बक के अधिकारियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने यहां सेवारत अधिकारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान के विषय में किये गये कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि बैंक के अधिकारियों की दो एसोसिएशनों ने जिनमें 'एक ग्रेड' 'ए' के स्टाफ आफीसरों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा ग्रेड 'बी' के स्टाफ आफीसरों तथा अन्य उच्चतर अधिकारियों का, अपने सदस्यों का आह्वाहन किया है कि वे उच्चतर मंहगाई भत्ते की संस्वीकृति विषयक अपनी मांग पर जोर देने के लिए 18 नवम्बर, 1974 को एक घण्टे विलम्ब से कार्यालय आयें और 2 दिसम्बर, 1974 को सामूहिक आकस्मिक अवकाश लें।

मुजफ्फरपुर और मोतीहारी में परिवहन संचालकों के हिसाब-किताब की जांच

1624. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर और मोतीहारी के कुछ परिवहन संचालकों के पास उनकी आय से अधिक आस्तियों होने के कारण उनके खातो की कोई जांच की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

तस्करों का रिजर्व बैंक

1625. श्री मधु दंडवते : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट पर सक्रीय तस्करों के गिरोहों के आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन हाल ही में गिरफ्तार किये गये नेताओं ने कालवा देवी, बम्बई में अपना 'रिजर्व बैंक आफ इण्डिया' स्थापित किया हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह बैंक कब से चल रहा है;

(ग) क्या बैंक की निधि की अधिकांश राशि होटलों, सिनेमा घरों और यात्रा तथा पर्यटक एजेंसियों और उद्योगों में लगायी गयी है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या जांच की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार को तस्करों द्वारा कोई बैंक स्थापित किये जाने की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तेल खरीदने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण

1626. श्री के० लकप्पा :
श्री डी० के० पंडा :
श्री सोमनाथ चटर्जी :
श्री नुरूल हुडा :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने तेल खरीदने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 180 करोड़ रुपये का ऋण लेने का निर्णय किया है, यदि हां, तो किन देशों से तेल का आयात किया जायेगा;

(ख) क्या इस वर्ष तेल खरीदने के लिए इस कोष से तीन-बार ऋण लिया गया है; यदि हां, तो इन राशियों का किस प्रकार उपयोग किया गया ;

(ग) ऋण भुगतान कब आरम्भ होगा ; और

(घ) इस ऋण से तेल की आवश्यकता किस हद तक पूरी होगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) चालू वर्ष के दौरान भारत ने केवल एकबार अक्टूबर म 20 करोड़ एस० डी० आर० (193.86 करोड़ रुपये) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तेल सम्बन्धो सुविधा के अन्तर्गत लिये है। तैल का आयात पहले के प्रबन्धकों के अनुसार किया जा रहा है ।

(ख) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अप्रैल, 1974 में सोने की किस्त (गोल्ड ट्रांशे) के अन्तर्गत 7.62 करोड़ एस० डी० आर० (72.84 करोड़ रुपये) और मई 1974 में पहली किस्त के (फर्स्ट ट्रांशे) के अंतर्गत 23.50 एस० डी० आर० (22142 करोड़ रुपये) लिये है यह सभी रकमें तेल, उर्वरकों और अन्य महत्वपूर्ण कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण बाहर से मंगायी जाने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए शोध शेष को सन्तुलित बनाये रखने के उद्देश्य से निकाली गई है।

(ग) तेल सम्बन्धी सुविधा के अन्तर्गत ली गयी राशि ऋण लेने के चौथे वर्ष से चुकानी शुरु की जाएगी ।

(घ) भारत द्वारा बाहर से मंगाये जाने वाले तेल की लागत में जो वृद्धि हुई, है, वह तेल सम्बन्धी सुविधा के अन्तर्गत ली गयी राशि से आंशिक रुप से ही पूरी हो सकेगी।

सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

1627. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्सी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के कितने एककों अथवा भारत सरकार के उपक्रमो ने इस वर्ष अपने कर्मचारियो को 8.33 प्रतिशत से अधिक बोनस का भुगतान किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : चूंकि 1973–74 के लेखे अभी हाल ही में बंद हुए है इस लिए केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों से सम्बन्धित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। आंकड़े एकट्ठे किए जा रहे है, जिन्हें संसद-पटल पर रख दिया जाएगा ।

बहराईच जिले में आयकर अपवंचन के मामले

1628. **श्री वी० आर० शुक्ल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराईच जिले के अथवा बाहर के उन लोगों को संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में आयकर-सर्कल, लखनउ तथा आयकर अधिकारी, बहराइच के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आयकर देने का उत्तरदायी माना गया और जिन्होने कृषि आय को अपनी कुल आय का एक अंग दिखाया तथा इस प्रकार आंके गये आयकर से छूट पाई ; और

(ख) क्या उन्हीं व्यक्तियो ने वर्ष 1974-75 के लिये अपने आयकर की विवरणी में कृषि से लगभग इतनी ही आय दिखाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) की व्यवस्था के अनुसार, कृषि से होने वाली आय, कर-निर्धारण वर्ष 1973–74 तक आयकर आयात करने के प्रयोजनार्थ कुल आमदनी में शामिल करने के योग्य

नहीं थी। इसलिए कर निर्धारण वर्ष 1972–73 और 1973–74 के लिये कर निर्धारितियों द्वारा अपनी आय की विवरणियों में, कृषि से प्राप्त आय को अपनी कुल आय के अंग-रुप में दिखाने का प्रश्न नही उठता। 1974–75 के लिये आय की विवरणियो में दिखायी गयी कृषिजन्य आय की पूर्ववर्ती दो वर्षो के साथ तुलना करना भी संभव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान एवं विकास बोर्ड

1629. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने छोटे रबड़ बागान के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को प्रस्तुत अपनी 10 करोड़ रुपये की योजना के लिये सरकार की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के कहने पर रबड़ बोर्ड ने हाल ही में दो परियोजनाएं तैयार की है जिनमें एक रबड़ बागान उद्योग के लघ क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए है और दूसरी प्राकृतिक रबड़ उत्पादन तथा प्रायोगिकी सम्बन्धी अनुसंधान प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिये है। इन योजनाओं पर अब सरकार विचार कर रही है।

Agreement between STC and Sugar Mills

1630. Shri Shrikrishna Agrawal :
Shri K. Mallanna :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether an agreement has been signed between the State Trading Corporation and the Sugar Mills of the country under which the corporation will purchase sugar for export direct from the mills ;

(b) if so, the terms of the agreement and the quantity and value of sugar to be purchased ;

(c) whether it would have no adverse effect on the consumption and prices of sugar in the country ; and

(d) if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Trading Corporation has reached an Agreement with the Sugar Industry for supply of 80,000 tonnes of sugar valued at Rs. 27.20 crores for exports during the months of November and December, 1974.

(c) & (d) Exports of sugar may have an impact on the prices of Free sale sugar within the country, but will not affect the prices of levy sugar.

अफ्रीकी देशों को बैंगनों का निर्यात

1631. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ अफ्रीकी देशों की बैंगनों का निर्यात करने के लिये क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशो के नाम क्या हैं और प्राप्त क्रयादेशो का ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी वैगनों का निर्यात कब तक कर दिया जायेगा; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) परियोजना तथा उपस्कर निगम ने कीनिया, यूगांडा तथा तनजानिया में सेवारत ईस्ट अफ्रीकन रेलवे कार्पोरेशन से 100 बोगी बन्द वैगनों की सप्लाई का आर्डर प्राप्त किया है। यह आर्डर विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित विश्वव्यापी टेंडर के आधार पर हासिल किया गया है। इस संविदा का मूल्य लगभग 134 लाख रू० है। वैगन का प्रोटोटाइप मंजूर हो गया है और आशा है कि फरवरी 1975 तक निर्यात पूरा हो जायेगा।

Recruitment of S.C. and S.T. Candidates in Allahabad Bank, New Delhi

1632. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Allahabad Bank, New Delhi had prepared a list for filling 18 posts of Farrash-*cum*-peons from amongst the members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in April, 1974 ; and

(b) if so, the action taken so far to fill up these vacancies according to that list ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) & (b) The bank has reported that following a written test and subsequent interview, its New Delhi regional office has prepared a waiting list of 18 Scheduled Caste/Tribe candicates for recruitment in the bank's service as Farrash-*cum*-peons as and when regular vacancies occur. The bank has already appointed the first 3 candidates in the list in their branches in New Delhi. In the meantime, these candidates in the list who are available for temporary employment are being given appointment in short-term vacancies.

विदेशों में संयुक्त उद्यम

1633. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में देशवार, कितने भारतीय संयुक्त उद्यम क्रियान्विति की स्थिति में हैं और कितनों में उत्पादन हो रहा है ;

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितनी पूंजी लगी है और इनमें लगाई गई पूंजी का कितना लाभ प्राप्त हो रहा है;

(ग) क्या सरकार ने उनमें से कुछ उद्यमों को त्याग दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन्हें छोड़े जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) उत्पादन अधीन संयुक्त उद्यमों में निवेश 7.74 करोड़ रु० है। कार्यान्वियन अधीन परियोजनाओं में निवेश 19 करोड़ रु० होने का अनुमान है।

अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन निवेशों से लाभांशों, तकनीकी जानकारी शुल्क रायल्टी, प्रबन्ध शुल्क आदि के रूप में प्राप्तियां 2.06 करोड़ रुपये है।

(ग) तथा (घ) वे व्यापारिक उद्यमों हैं जो विदेशों में एककों की स्थापना की प्रस्थापना करते हैं और सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर उनकी स्थापना करते हैं। समाचार मिला है कि निजी उद्यमियों द्वारा कुछ समय तक उत्पादन होते रहने के बाद छ: परियोजनाओं

को समाप्त कर दिया गया है। ये सभी एकक अफ्रीकी देशों में थे। बदलती बाजार परिस्थितियां और संयुक्त प्रबन्ध में कठिनाइयां इन संयुक्त परियोजनाओं को समाप्त का मुख्य कारण है। ब्यौरे अनुबंध में दिये गये है।

विवरण

(क) 19-11-1974 को कार्य अधीन/उत्पादन अधीन और कार्यान्वियन अधीन, संयुक्त उद्यमों के संबंध में देशवार स्थिति।

क्रमांक	देश का नाम	कार्य अधीन/ उत्पादन अधीन	कार्यान्वियन अधीन
1	इथोपिया	2	..
2	केनिया	4	4
3	नीजिरिया	2	..
4	मोरिशियस	3	5
5	तंजानिया	..	1
6	यूगांडा	1	
7	लिबिया	1	..
8	साइप्रस		1
9	दुबई	..	1
10	श्री लंका	3	2
11	मलयेशिया	13	18
12	सिंगापुर	1	4
13	थाइलैंड	2	3
14	इंडोनेसिया	..	10
15	फिलोपिंस		2
16	हांगकांग	..	2
17	फिजो	1	..
18	इजिप्त	1	2
19	यमन	1	..
20	अफगानिस्तान	..	3
21	आयलैंड	1	
22	ब्रिटेन	2	..
23	पश्चिमी जर्मनी	2	1
24	केनेडा	1	..
25	सं० रा० अमरीका	2	1
26	नेपाल	..	1
		43	61

आयात लाइसेंसों के जारी किये जाने से तथाकथित सम्बद्ध संसद सदस्यों के सम्बद्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच

1634. श्री बीरेन एंगटी :
बी० के० दासचौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी यमन और माहे के कुछ लाइसेंसधारियों ने यह माना है कि उन्होंने अपने लाइसेंसों का आगे व्यापार किया है; और

(ख) क्या इन लाइसेंसों के आधार पर कोई आयात किये गये है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) किसी भी लाइसेंसधारी ने लासेंसों का आगें व्यापार करना कबूल नहीं किया है।

(ख) दो लाइसेंसों के सम्बन्ध में 50,000 रु० कुल मूल्य के आयात किये गये हैं। किन्तु आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों से आगे सलाह न मिलने से कस्टम वालों द्वारा माल क्लियर नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश को बाढ़ सहायता के लिये केन्द्रीय सहायता

1635. श्री भागीरथ भंवर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बाढ़ सहायता के लिये धन देने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इन उद्देश्य के लिये केन्द्र ने राज्य सरकारों को डिवीजन वार कितनी कितनी सहायता दी; और

(ग) बाढ़ के कारण इस राज्य को कुल कितनी क्षति हुई?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) मध्य प्रदेश की सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बाढ़ सहायता सम्बन्धी खर्च के लिए वित्तीय सहायता नहीं मांगी है।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि चालू वर्ष में बाढ़ से मकानों, फसलों और सार्वजनिक सेवाओं को कुल 88.83 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

Hospitality Offered to Shri Yusuf Patel by Union Minister

1636. Shri Madhavrao Scindia :
Shri Hukum Chand Kachwai :
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item that notorious smuggler Shri Yusuf Patel had been the guest of a Union Minister recently ;

(b) if so, the circumstances in which it happened and complete facts in this regard ;

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in this matter ; and

(d) whether Shri Patel has offered his help to Government as an informer, sometime back but it was rejeted; and if so, the complete facts in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (d) The Government have no specific information. There fore, the question of taking any action in this matter does not arise.

केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के आम अन्तरण के बारे में सरकार द्वारा तैयार की गई योजना

1637. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गम्भीर सूखे के कारण राज्यों में उत्पन्न भीषण स्थिति का मुकाबला करने के लिये, केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अन्तरण के बारे में बाढ़ और सूखे के लिये दी जाने वाली राहत के एकीकरण के लिये छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान मे रखते हुए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) संकटग्रस्त राज्यों को कितनी धनराशि दी गई और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्य क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) राहत सम्बन्धी व्यय के लिए धन की व्यवस्था करने के बारे में छठे वित्त आयोग की सिफारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी है और राज्यों को इस प्रकार के व्यय के लिए आयोजना-भिन्न केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की पहले की पद्धति 1 अप्रैल, 1974 से समाप्त कर दी गयी है। मौजूदा नीति के अनुसार, केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता, जहां नितान्त आवश्यक हो, केवल आयोजनागत सहायता की पेशगी के रूप में अथवा सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यक्रम और आदिवासी विकास योजना के लिए की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सहायता के रुप में प्रदान की जाती है। इस प्रकार दी गयी पेशगी सहायता की रकम, उससे अगले वर्ष सम्बद्ध राज्य को देय सामान्य आयोजनागत सहायता में से घटा दी जायगी। इस प्रकार की पेशगी सहायता देने पर तभी विचार किया जायगा जब इस बात की तसल्ली हो जाय कि राज्य सरकारों ने वित्त आयोग द्वारा शहज-व्यय के लिए निर्धारित सीमांतिक धन-राशि को पूरी तरह से इस्तेमाल करने, आयोजना सम्बन्धी राशि को विभिन्न क्षेत्रों से और राज्य के अप्रभावित इलाकों पर उपयोग करने की बजाय प्रभावित क्षेत्रो में विकास कार्यो पर उपयोग करने' प्रभावित जनता को जारी रहने वाली बड़ी और दरमियाने दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं पर और आयोजना में शामिल अन्य निर्माण-कार्यों पर रोजगार प्रदान करने, राहत-रोजगार कार्यक्रमों को सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यक्रम और आदिवासी विकास योजना के लिए की गयी व्यवस्था आदि के अन्तर्गत विशिष्ट योजनाओं का रूप देने और राहत-व्यय को वित्त व्यवस्था के लिए यथा सम्भव सीमा तक अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए कदम उठायें है ।

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में अब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है। गुजरात राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिती के बारे में केन्द्र सरकार ने जो मूल्यांकन किया है उसकी सूचना सम्बद्ध राज्य सरकारों को दे दी गयी है और इस मामले पर उनके परामश से विचार किया जा रहा है। जिन अन्य राज्यों ने सहायता मांगी है, उनके बारे में मूल्यांकन का काम अभी पूरा किया जाना बाकी है।

इसके अलावा, केन्द्र ने राज्यों को उनके कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिए अल्पकालीन ऋण दिये है और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को फिर से शुरू करने के लिए कृषि उपयोगी वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये है। अन्य के आवंटन के मामले में भी, प्रभावित राज्यों की आवश्यकताओं पर विचार किया गया है ।

Restrictions on advancing of loans to industrial institutions by R.B.I.

1638. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India imposed restictions on advancing loans to Industrial institutions or new entrepreneurs in the past few months ;

(b) if so, the policy behind it and whether production has received a setback ; and

(c) whether Government propose to lift these restrictions in advancing loans to developing industrial institutions, and if not, the reeasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) In the series of monetary measures introduced by it since May 1973, with a view to contain expansion of commercial bank credit to meet only the immediate needs of production, distribution and exports, Reserve Bank of India has not imposed any separate restrictions as such on advancing loans to industrial institutions or new entrepreneurs. These measures have to a certain extent helped to effect restraint and assisted in a selective distribution of credit in line with the priorities laid down, so as to achieve better balance in the economy between demand for credit and its supply.

The recent credit policy announcement for 1974-75 busy season *inter alia* emphasises that in granting advances to private industrial sector, banks should accord preference to units in the 'core' sector (mainly those producing fertilisers, pesticides and other needs of agriculture, transport and electrical equipments and basic metals and minerals) and those engaged in the production of goods needed for mass consumption (such as controlled varieties of cloth, edible oils, sugar, etc.) It has further been stated that in all these categories special consideration would need to be given to the working capital needs of new units in which investments have already been made.

तस्करों के नाम दर्ज मोटर गाड़ियों का जब्त किया जाना

1640. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तस्करों के नाम दर्ज अथवा 'बेनामी' मोटर गाड़ियों को जब्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

पटसन तथा रुई की खरीद

1641. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूई निगम तथा महाराष्ट्र कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को वर्ष 1972–73 तथा 1973-74 के दौरान कच्चो रूई की खरीद के लिए कितनी धनराशि दी गई;

(ख) पटसन निगम को वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में कच्चे पटसन की खरीद के लिए कितनी धनराशि दी गई ;

(ग) इन संगठनों द्वारा उक्त अवधि में किस मुल्य पर रुई तथा पटसन की खरीद की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन वस्तुओं की कुल कितनी खरीद की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क)

(करोड़ रुपये में)

	1972–73	1973–74
(1) भारतीय रुई निगम .	43.00	37.00
(2) महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन	85.00	1973–74 में कोई नया ऋण मंजूर नहीं किया गया किन्तु फेडरेशन को 1972–73 में मंजूर की गई 85 करोड़ रु० की ऋण सीमा के अन्तर्गत व्यापार करने की अनुमति दी गई है ।

(ख) 1972–73 में 15 करोड़ रु० तथा 1973–74 में 22.50 करोड़ रु० ।

(ग)

	1972–73	1973–74
	औसत कीमत	औसत कीमत
(1) महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन परिसंघ .	230 रु० प्रति क्विंटल कपास	254 रु० प्रति क्विंटल कपास
(2) भारतीय रुई निगम . .	1105 रु० प्रति गांठ लिंट रुई	1142 रु० प्रति गांठ लिंट रुई
(3) भारतीय पटसन निगम . .	307 रु० प्रति गांठ पटसन	244 रु० प्रति गांठ पटसन

(घ) सरकार द्वारा प्रायोजित अभिकरणों द्वारा कच्ची रुई तथा पटसन की 1972–73 में 179.29 करोड़ रु० 1973–74 में 89.72 करोड़ रु० मूल्य की कुल खरीद की गई ।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में कमी

1642. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) अफ्रीकी देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) व्यापार में गिरावट के मुख्य कारण उत्पादन पर प्रतिबंध, कच्चे माल का अभाव, अपर्याप्त नौवहन जगह और उच्च समुद्री भाड़ा रहे है। कुछ ऐसे देशों के साथ व्यापार के मामले में, जहां कि भारत से निर्यातों और इन देशों से आयातों को बराबर रखा जाना होता है, इन देशों से आने वाली वस्तुओं की भारत में मांग में गिरावट आ जाने से उन देशों को भारत से किये जाने वाले निर्यातों पर भी प्रभाव पड़ा है।

(ग) भारत से अफ्रीकी देशों को निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाये गये है, जैसे कि व्यापार करारों का किया जाना, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, बिक्री-सह-अध्ययन दलों के दौरे, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, विदेशों में औद्योगिक संयुक्त सहयोग और पर्याप्त नौवहन जगह की व्यवस्था करना, और अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

निर्यात गृहों को आसान शर्तों पर ऋण देना

1643. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फेडेरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाईजेशन द्वारा निर्यात गृहों को आसान शर्तों पर ऋण देने के सुझाव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सुझाव अवस्थापना संबंधी सुविधाएं स्थापित करने के लिए निर्यात-गृहों को ऋण प्रदान करने के बारे में था। इस सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है।

Expansion plans of Air India and Indian Airlines

1644. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Air India and Indian Airlines had a number of expansion plans from March, 1974 ; and

(b) if so, the main features thereof and progress achieved so far in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) Air-India's schemes for execution during the Fifth Five Year Plan period include :—

1. Purchase of three additional wide-bodied subsonic aircraft.
2. Construction of hangars and work-shop facilities.
3. Installation of real time computer reservation system.
4. Provision of ground handling equipment etc.

Implementation of these schemes was upset due to pilots strike from August, 1974.

Indian Airlines schemes for execution during the Fifth Years Plan period *inter-alia* include :—

1. Modernisation and standardisation of the fleet including phasing out of uneconomic aircraft.
2. Expansion of its net work to include 20 new cities during the 5th Plan period.
3. Expansion of engineering and workshop facilities including manpower planning and training to ensure necessary skills for achieving higher productivitiy.

4. Modernisation of booking offices, city terminals and traffic handling facilities.

5. Computerisation of reservations and installation of communication network and company channels.

6. Creation of a Research and Development Cell in the Engineering Department.

The Corporation has so far acquired four Boeings—one in replacement of the aircraft lost in May, 1973 and the remaining three to augment the present capacity. The Corporation proposes to acquire two more Boeings for delivery during 1975. The question of the type and number of other aircrafts to be purchased during the Fifth Plan period is under consideration of the Corporation.

विदेशी मुद्रा की चोरी संबंधी अध्ययन दल की शिफारिशें

1645. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री मधु दंडवते :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा की चोरी संबंधी अध्ययन दल की सिफारिशों पर जो उन्हें तीन वर्षों से उपलब्ध थी, कोई तुरन्त कार्यवाही की थी; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां। विदेशी मुद्रा की हानि के बारे में अध्ययन दल की रिपोर्ट नवम्बर, 1971 में संसद के समक्ष रखी गयी थी। अध्ययन दल ने विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न विधायी, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक उपायों संबंधी 220 सिफारिशें की थी। सरकार द्वारा स्वीकृत अधिकांश सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

कार्यान्वियन अनुदेशों को जारी करने में कोई परिहार्य विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश सरकार पर वित्तीय संकट

1647. **श्री भोला मांझी :**

श्री पीलू मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या रिज़र्व बैंक इंडिया नें हिमाचल प्रदेश को धन राशि देनें से इंकार कर दिया है और;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा नहीं होते।

कार्मिक संघों द्वारा अनिवार्य जमा योजना के बारे में आरम्भ किया गया अभियान

1648. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कार्मिक संघों द्वारा अनिवार्य जमा योजना के विरूद्ध आरम्भ की गई कार्यवाही और अभियान की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित मंत्री (श्री० सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) कई कर्मचारी संघों से अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 और अध्यादेश के स्थान पर बनाये गये अधिनियम के विरूद्ध आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। कुछ अन्य मजदूर संघों द्वारा अन्य प्रकार से किये गये विरोधों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

(ख) सरकार ने मांगों पर यथोचित रुप से विचार किया है। अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्य जमा) अधिनियम 1974, मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों का एक हिस्सा है। यद्यपि इस उपाय से कर्मचारियों को कुछ अस्थायी कठिनाई हो सकती है परन्तु उनका दीर्घ कालीन हित मुद्रास्फिति को रोकनें में ही है । सरकार, कर्मचारियों और मजदूर संघों को यह बात समझाने का प्रयास कर रही हैं ।

वस्त्रों का निर्यात

1649. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के मूल्य में अधिक वृद्धि के कारण वस्त्र उद्योग पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) क्या 1973–74 और 1974–1975 में 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष वस्त्र निर्यात करने की निर्यात क्षमता प्राप्त नहीं हुई है और निर्यात क्षमता प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1974–75 के पहले छः महीनों के दौरान परिधानों के निर्यात 50 करोड़ रु० के हुए हैं जबकि 1973–74 में उसी अवधि के दौरान 17.77 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे। 1974–75 के दूसरे छः महीनों के दौरान, विश्व बाजारों में मन्दी की प्रवृत्तियों और बदलती हुई उपभोक्ता पसन्द के कारण हथकरघा क्रेप में विदेशी खरीदारों में कम दिलचस्पी के कारण निर्यातों में अपेक्षतया गिरावट आ सकती है। परिधानों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार और सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किये जा रहे उपायो में शामिल हैं :—

1. मिल निर्मित तथा हथकरघा दोनो प्रकार के काटन फैब्रिक्स की कीमतों को न्यायोचित स्तरों पर बनाये रखना ताकि परिधानों की कीमतें विश्व बाजारों में प्रतियोगी रहें।

2. विदेशो में कपड़ा प्रदर्शनियों में भाग लेना और भारत में उसी प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन ।

3. भारतीय परिधानों को लोकप्रिय बनाने के लिये विदेशो में प्रचार अभियान ।

4. एफ० ओ० बी० आधार पर 7.5 रु० के मिल निर्मित परिधानो के निर्यातों के बदले एक वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़ के समंजन की अनुमति है । अक्तुबर 1974, सें मार्च 1975 को शिपमेंट अवधि के लिए परिधान निर्यातों के संबंध में कुछ विशिष्ट सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

5—37LSS/74

संकटग्रस्त चाय बागानों के प्रबन्ध को अधिकार में लेना

1650. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री बी० वाई० कृष्णन :
श्री के० लकप्पा :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री गंजाधर मांझी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बन्द अथवा संकटग्रस्त चाय बागानों के प्रबन्धों को अपने अधिकार में लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) बंद तथा संकटग्रस्त चाय बागानों के प्रबंध को अपने अधिकार में लेने और उनको सामान्य स्थिति में लाने के लिए उपयुक्त अभिकरणों के माध्यम से उन का प्रबन्ध कराने के लिये चाय अधिनियम में संशोधन की प्रस्थापनाओं पर सरकार उनके सभी पहलुओं की दृष्टि से विचार कर रही है ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

1651. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति में परिवर्तन के कारण, सरकार का विचार मैंगनीज अयस्त के निर्यात की मात्रा पर कोई रोक लगाये बिना निर्यात करने की अनुमति देने का हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस नई नीति के अन्तर्गत दिये गये निर्यात सम्बन्धी वचनों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) लौह-मिश्र धातु उद्योग द्वारा उच्च ग्रेड का मैंगनीज अयस्क अपेक्षाकृत कम उठाये जाने के कारण यह विनिश्चय किया गया है कि चालू वर्ष में उच्च ग्रेड के मैंगनीज अयस्क की सीमित मात्रा के निर्यात की अनुमति दी जाये। तथापि मीडियम तथा निम्न ग्रड के मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर वर्तमान प्रतिबन्ध लागू रहेंगे।

दिल्ली के निकट शुष्क पत्तन की स्थापना के स्थान के बारे में निर्णय

1652. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के निकट शुष्क पत्तन की स्थापना के स्थान के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये किन-किन स्थानों का सुझाव दिया गया है और इस बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) शुष्क पत्तन बनाने के लिए ये स्थल सुझाये गये हैं : तुगलकाबाद (दिल्ली, पलवल (हरयाणा) भारतपुर तथा धौलपुर (राजस्थान), मथुरा, गुल्दार तथा मारिपत (उ०प्र०)।

सरकार शुष्क पतन के स्थल के चयन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न परिस्थिति विज्ञान सम्बन्धी तथा वित्तीय मसलों पर विचार कर रही है। .

विदेशी कम्पनियों द्वारा बोनस शेयरों का जारी किया जाना

1653. **श्री नवल किशोर सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 जून, 1974 के अंग्रेजी के एक दैनिक समाचार पत्र में "स्पेट आफ बोनस इस्यूज" शीर्षक के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी समाचार को देखा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी विवरण क्या है और क्या उक्त समाचार में लगाए गए आरोपों की कोई जांच की गयी है! और यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इन कदाचरों के लिए उक्त विदेशी कम्पनीयों के विरूद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन क्या कार्यवाही की गयी अथवा करने का विचार है :

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार में, मुख्यतः विदेशीयों द्वारा नियंत्रित कंपनियों द्वारा लगातार जारी किये गये बोनस शेयरों तथा स्थिर परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर पूंजीकृत की गयी प्रारक्षित निधियों का ही हवाला किया गया है। अन्य भारतीय कम्पनियों की तरह विदेशीयों द्वारा नियंत्रित रुपया कंपनियों को भी अपने उचित लाभों तथा पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत स्वीकृति लेने के बाद शेयर प्रीमियम से प्राप्त नकद रकमों से निर्मित प्रारक्षित निधियों में से बोनस शेयर जारी करने की अनुमति है। इस बात को सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से कि बोनस शेयर जारी करने के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रो की समान रूप से जांच की जा सके। सरकार ने मार्ग दर्शक सिद्धांत निश्चित किये हैं जिसमें और बातों के साथ साथ इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि स्थिर परिस पत्तियों का पुनर्मुल्यांकन करने पर निर्मित प्रारक्षित मिधियों का पूंजीकारण करने की अनुमति नहीं है। जहां तक एक बोनस शेयर के बाद कितनी अवधि के बाद दूसरा बोनस शेयर जारी करने का संबंध है, मार्गदर्शक सिद्धांत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी कंपनी को 5 वर्षों की अवधि में दो से ज्यादा बोनस शेयर जारी करने की अनुमति नहीं दी जायगी और दो बोनस शेयरों के बीच कम से कम 40 महीनों का अन्तर होना चाहिए। और कम्पनियों अन्तिम बोनस शेयर के सूचीबद्ध हो जाने पर बाजार भाव निकल आने अथवा शेयर प्रमाणपत्रों के भेज दिये जाने के 36 महीनों के बाद बोनस शेयर जारी करने के लिये और आवेदन पत्र दे सकती है। चूंकि, समाचार में जो आरोप लगाये गये हैं वे सही नहीं है इसलिये किसी जांच-पड़ताल का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जब कभी सरकार को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत किसी कदाचार का पता चलता है तब हर हालत में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

जीवन बीमा निगम की विनियोजन-नीति

1654. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति की समीक्षा करने के लिए सरकार ने अनौपचारिक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निदेश पद क्या थे ; और

(ग) क्या सरकार ने समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और यदि हां तो सरकार ने क्रियान्वयन हेतु कौन सी मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक दल गठित किया गया था जिसके सदस्य वित्त सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य विभाग), वित्त मंत्रालय के सचिव (बैंकिंग विभाग), सचिव (व्यय विभाग) जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के अध्यक्ष और आर्थिक कार्य विभाग के सम्बन्ध संयुक्त सचिव थे। इस दल से विशेष रूप से नीचे दी गयी बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम के निवेश के तरीकों और उसकी निवेश सम्बन्धी नीति की जांच करने और भविष्य के लिये यथोचित सिफारिशें करने के लिए कहा गया था :—

(क) सामाजिक दृष्टि से वांछनीय उद्देश्यों की पूर्ति में निगम के पूंजी निवेश या योग-दान ;

(ख) प्रदेशों के अनुसार पूंजी का वितरण ; और

(ग) गैर सरकारी कम्पनियों में लगायी गयी पूंजी के मामले में, उपक्रमों के विभिन्न आकार के समूहों में पुंजी का वितरण ।

(ग) अनौपचारिक दल की सिफारिशो पर सरकार ने विचार कर लिया है और दल की निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली है ।

(क) नियंत्रित निधि (कंट्रोल्ड फण्ड) में हर साल जो वृद्धि हो, जीवन बीमा निगम को उसका कम से कम 75 प्रतिशत सरकारी/सहकारी क्षेत्र और अपने मकान के मालिक "आप बनिए योजनाओं" के अन्तर्गत पालिसी होल्डरों द्वारा बनाये जाने वाले मकानों पर लगाना चाहिये ; जिसमें से 50 प्रतिशत केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सिक्योरिटियों में और सरकार द्वारा गरण्टीशुदा बिक्री योग्य सिक्योंरिटियों में लगाया जाना चाहिये, इसमें से कम से कम 25 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार की बिक्री योग्य सिक्योंरिटियों में लगाया जाना चाहिये ।

(ख) प्रादेशिक असन्तुलन की समस्या के समाधान के लिये जीवन बीमा निगम को चाहिए कि वह कुछ ऐसी नयी योजनाएं तैयार करने की सम्भावनाओं पर विचार करे जो उन राज्यों की आवश्यकताओं और संस्थागत क्षमता के अनुरूप हो ; और

(ग) गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में, जीवन बीमा निगम को चाहिए कि वह मध्यम दर्जे के क्षेत्रों में रुपया लगाने के विश्वसनीय बाजारों का पता लगाने का प्रयास करे ।

चाय व्यापार निगम द्वारा कुल किया गया व्यापार

1655. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय व्यापार निगम ने वर्ष 1972–73 और 1973–74 में अलग-अलग कुल कितना व्यापार किया ;

(ख) कुल चाय निर्यात का यह कितने प्रतिशत है ;

(ग) क्या चाय व्यापार निगम को इसकी स्थापना के बाद से अब तक कोई हानि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं.

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) 1972-73 के दौरान भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा कोई व्यापार नहीं किया गया। 1973-74 के दौरान किया गया व्यापार 0.67 लाख रुपये का था ;

(ख) 1973-74 के दौरान किया गया व्यापार पूर्णतः घरेलू है तथा कोई निर्यात नहीं किया गया।

(ग) इसकी स्थापना के बाद से 1972-73 तक लाभ तथा हानि के लेखे में हानि 0.35 लाख रुपये थी तथा 1973-74 के दौरान यह 3.11 लाख रुपये थी। तथापि 1973-74 के दौरान कुल व्यापारिक लाभ 0.09 लाख रुपये था।

(घ) हानि, कार्यालय के न्यूनतम संगठनात्मक ढांचे व कर्मचारियों तथा व्यापारिक कार्यों को शुरू करने के लिये अपेक्षित न्यूनतम अवस्थापना स्थापित करने में प्रारम्भिक व्यय के कारण तथा साथ ही विदेशी व स्वदेशी दोनों बाजारों में विपणन अवसरों का पता लगाने के कारण हुई।

बम्बई में तस्करी के माल की बिक्री

1656. श्री झारखण्डे राय : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बम्बई मनिषा मार्किट में सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने बड़ी मात्रा में तस्करी के माल की बिक्री होती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) बम्बई मे मनीषा मार्केट में तस्करी के माल की बिक्री सीमाशुल्क अधिकारियों की जानकारी में आयी थी। अनुवर्ती कार्यवाही में व्यापक छापे मारे गये तथा निषिद्ध वस्तुओं को पकड़ा गया सिर्फ पिछले दिनों में ही तस्करी के माल का बडा भण्डार पकड़ा गया है तथा तलाशियां अभी जारी हैं।

पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य

1657. श्री भान सिंह भौरा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिलों द्वारा पटसन की सट्टेबाजी को रोकने के लिये किये गये कुछ उपायों के कारण पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वि राज्यों में लाखों पटसन उत्पादक प्रभावित हुए हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप व अपने अपरिष्कृत पटसन का लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं ; और

(ख) पटसन उत्पादकों को अपने उत्पादों का लाभप्रद मूल्य उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) चालू मौसम के दौरान कम फसल तथा मिलों से भारी मांग के कारण कीमतें न्यूनतम समर्थक

कीमत से ऊपर चल रही है और पटसन उपजकर्ता लाभप्रद कीमत प्राप्त कर सके हैं। भारतीय पटसन निगम उन बाजारों में अपना खरीद कार्य केन्द्रित कर रहा है, जहां चालू कीमतें कानूनी न्यूनतम कीमतों के अपेक्षाकृत आसपास है।

कपड़ा मिलों में बड़ी मात्रा में सूती कपड़े का स्टाक जमा हो जाना

1658. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिलों में सूती कपड़े का स्टाक कुल कितनी मात्रा में जमा हो गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त उपभोक्ताओं को उक्त स्टाक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो इन वस्तुओं के मूल्य में कितनी कमी होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अक्तुबर, 1974 के अन्त में वस्त्र मिलों के पास सूती कपड़े का स्टाक 3.18 लाख गांठों का था। वस्त्र मिलों से कपड़ा निकलने की अपेक्षा कृत धीमी गति के महत्वपूर्ण कारण हैं: सामान्य वित्तीय कठिनाई, पर्याप्त खरीद शक्ति का अभाव, अभिकरणों/व्यापारियों की ओर से अपने "आर्डरों" का माल उठाने में विलम्ब।

(ख) समाचार मिला है कि विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप, जोकि वस्त्र आयुक्त ने वस्त्र उद्योग के। प्रतिनिधियों से किये, वस्त्र मिलें 7 से 20 प्रतिशत की कटौती दरों पर कपड़ा बेच रही है।

कालीकट के निकट कारीपुर में असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण

1659. **श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालीकट के निकट कारीपुर में असैनिक हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : कालीकट में विमान क्षेत्र के निर्माण के प्रस्ताव पर कार्यवाही रुकी पड़ी है क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स बढ़ी हुई परिचालन लागतों एवं अपने विमान बेड़े की तंग स्थिति को दृष्टि में रखते हुए कालीकट के लिये विमान सेवा की आवश्यकता पर पुनर्विचार कर रही है।

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी की मरम्मत

1661. **श्री के० एल० चावला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा न होने के कारण यात्रियों को कठिनाइ का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) मरम्मत कार्य कब आरम्भ किया गया और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ग) हवाई पट्टी के मरम्मत कार्य के पूरा होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) एप्रन तथा लिंक टेक्सि-ट्रक, जिसमें सहायक धावनपथ का एक भाग भी सम्मिलित है, के सुधार का निर्माण-कार्य दिसम्बर, 1973 में प्रारंभ किया गया था और अक्तुबर 1974 के अन्त तक पूरा

कर दिया गया था। कार्य-निष्पति में विलम्ब का मूल कारण "पेविंग-प्लांट" तथा अन्य उपकरणों को यांत्रिक खराबी थी।

इन निर्माण-कार्यों के पूरा हो जाने के बाद यात्रियों को सुविधा के लिये अब विमान एप्रन में टर्मिनल भवन के समीप ही खड़े किये जाते है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या

1662. **श्री हरि सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी के क्या कारण हैं और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) 1972-73 तथा 1973-74 के पूरे वर्षों में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिचालित छः होटलों में से, अशोक होटल, अकबर होटल, जनपथ होटल, नई दिल्ली तथा होटल अशोक, बंगलौर, ने 1972-73 की लागू स्थिति की तुलना में 1973-74 की लाग स्थिति में वृद्धि दर्शाई है। रणजीत होटल तथा लोदी होटल, नई दिल्ली ने अपनी लाग स्थिति में गिरावट दिखाई है।

(ख) रणजीत होटल तथा लोदी होटल, नई दिल्ली, के कमरों की लाग में गिरावट के मुख्य कारण थे उक्त अवधि के दौरान इन होटलों में बृहत मात्रा में नवीकरण कार्य तथा इंडियन एयरलाइंस में तालाबन्दी। इन होटलों की लाग में वृद्धि करने के लिए और अधिक मार्केटिंग प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन दोनो होटलों के परिचालन के प्रश्न की जांच करने के लिए कारपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी का गठन भी किया गया है।

कोचीन के निकट हवाई अड्डे का निर्माण

1663. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री मयीथूरा में हवाई अड्डे के निर्माण सम्बन्धी निर्णय के बारे में 26 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 790 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कोचिन के निकट हवाई अड्डे के निर्माण संबंधी कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) कोचिन के निकट सिविल विमानक्षेत्र के निर्माण के लिये एक उपयुक्त निर्माण-स्थल के चयन के बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि इसमें विविध तकनीकी, पक्षों की दृष्टि से विस्तृत जांच की आवश्यकता है। कोचिन के लिये बोइंग-737 विमान सेवाओं को शीघ्र प्रारंभ करने के उद्देश्य से वर्तमान नौसेना-विमानक्षेत्र के सुधार की संभावना की भी जांच की जा रही है।

मुद्रा स्फीति रोकने के लिए कार्यवाही

1664. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की वर्तमान मुद्रास्फिति पीड़ित अर्थ-व्यवस्था का मुकाबला करने के लिये आयात में भारी वृद्धि के साथ कर प्रशासन में सुधार कर सरलीकृत प्रणाली, अपनाकर प्रभावी उपायों का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) मुद्रास्फिति को रोकने के लिए समय समय पर सुझाव मिलते रहते हैं। विदेशी संसाधनों पर कुल मिलाकर जो दबाव पड़ा है उससे तथा विदेशों से पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक और अन्न मंगाने तथा उद्योग, कृषि और निर्यात के काम आने वाली अत्यावश्यक चीजों का आयात करने के कारण और किन्हीं वस्तुओं का भारी मात्रा में आयात करने की गुंजाइश नहीं रह गयी है। फिर भी राजस्व विषयक नीति की बराबर समीक्षा की जाती है और कर प्रशासन में सुधार करने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जाते हैं।

बेरोजगार विमान चालक

1665. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने वाणिज्यिक विमान चालक अभी भी बेरोजगार हैं ; और

(ख) सरकार ने उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 30–6–1973 को, लगभग 241 वाणिज्यिक विमानचालक बेरोजगार थे। 30–6–1973 से 30–10–1974 तक की अवधि के दौरान, 94 व्यक्तियों को वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस जारी किए गए। कुल 335 लाइसेंस-प्राप्त वाणिज्यिक विमानचालकों में से 31–10–1974 को लगभग 200 विमानचालक बेरोजगार हैं।

(ख) बेरोजगार विमानचालकों को रोजगार दिलाने में हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उनकी सहायतार्थ किये गये कुछ उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. इंडियन एयरलाइंस तथा एयर-इंडिया दोनों को ही सलाह दी गई है कि जहां कहां संभव हो बेरोजगार विमानचालको को भू-कार्यों (ग्राउंड ड्यूटिज़) के लिये नियुक्त किया जाये।

2. एयर-इंडिया ने छः बेरोजगार विमानचालकों को उड़ान परिचालन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था, किन्तु उनमें से दो इंडियन एयरलाइंस में विमानचालक के रूप में नियुक्ति के लिए एयर-इंडिया को छोड़ कर चले गये हैं।

3. इण्डियन एयरलाइंस ने 28 विमानचालकों की भर्ती की है जो प्रशिक्षण पा रहे हैं। पैनल में, जो 31 दिसम्बर, 1975 तक वैध है, अभी 27 और विमानचालक हैं।

4. नागर विमानन विभाग में 109 बेरोज़गार विमानचालकों का सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी के रूप में चयन किया जा चुका है।

5. तीन बेरोज़गार विमानचालकों को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र प्राधिकरण में एयर-पोर्ट टर्मिनल मैनेजर के रूप में नियुक्त कर लिया गया है।

6. गत दो वर्षों में, अनुसूचित परिचालकों द्वारा 24 विमानचालकों को नियुक्ति दी गयी है।

सरकार ऐसा करने के लिए किसी भी रूप में वचनबद्ध नहीं है परन्तु उन के लिए लाभदायक रोज़गार के अवसर खोजने के निरंतर प्रयास किये जा रहे ह।

Grant of Financial Assistance to Farmers through Cheques

1666. Shri Ram Chandra Vikal : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme whereby the amount of the financial assistance or loans to be given to the farmers will be paid to them direct through cheques instead of the medium of firms, agencies or traders; and

(b) if so, the time by which a final decision will be taken and the scheme implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) & (b) While Government have no such schme under consideration, the public sector banks, while disbursing loans to the farmers for agricultural inputs, agricultural machinery, equipment, etc. make payment through cheques to the authorised dealers after satisfying themselves that the inputs, machinery, etc. has been received by the farmers from such traders, dealers, etc. This is done with a view to eliminating chances of misutilisation of the loans given for specific purposes. Where, however, for various reasons, this arrangement cannot work, commercial banks also disburse loans in cash and simultaneously ensure their utilisation through effective supervision.

बाजार में सखी मिलावटी चाय की सप्लाई

1667. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चाय उद्योग को उत्पादन शुल्क की अधिक दर और श्रमिकों को मजदूरी की बढ़ी हुई दर और मशीनों के अधिक मूल्यों जसे अन्य सम्बन्धित कारणों से संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या ऊंची उत्पादन लागत तथा कम बिक्री मूल्य लागत को ध्यान में रखते हुए चाय उत्पादक बाजार में सूखी मिलावटी चाय सप्लाई कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो चाय पैकटों में मिलावट का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है ; और

(घ) यदि हां, तो सूखी चाय में मिलावट रोकने के लिये सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात

1668. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 के दौरान किन-किन अत्यधिक आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जायेगा और कितनी मात्रा में किया जायेगा ; और

(ख) इनके मूल्य का भुगतान किस प्रकार करने पर सहमति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) आयात व्यापार नियंत्रण नीति की रूपरेखा के अन्तर्गत, अत्यावश्यक वस्तुओं के आयातों की अनुमति है। उन वस्तुओं की सूचि आयात व्यापार नीति (रैड बुक) में शामिल की गई है, जिनके आयात के लिये 1974–75 के दौरान अनुमति है। प्रत्येक वस्तु की मात्रा बहुत सी बातों पर निर्भर करती है। जारी किए गए लाइसेंसों का व्यौरा वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंज में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को सप्लाई की जाती हैं।

(ख) आयातों के लिये वित्त की व्यवस्था (1) मुक्त विदेशी मुद्रा के माध्यम से, (2) विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत तथा (3) विभिन्न सहायताओं तथा ऋणों के अन्तर्गत की जाती है।

चाय अधिनियम में संशोधन करने के बारे में कृतिकबल द्वारा सिफारिशें

1669. **श्री वसन्त साठे** :
श्री रानेन सेन :
श्री धामनकर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय सम्बन्धी कृतिक बल ने चाय अधिनियम में संशोधन करने अथवा इस बारे में नया विधान लागू करने की सिफारिश की है जिससे संकटग्रस्त बागों को नियंत्रण में लेने की व्यवस्था की जा सके ;

(ख) क्या कृतिक बल की सिफारिशों की जांच कर ली गई है और उन पर निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) चाय उद्योग पर कृतिक बल ने चाय अधिनियम में संशोधन करके अथवा एक समुचित विधान द्वारा संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेने और उनका प्रबंध करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त करने की सिफारिश की है। सरकार इस सुजाव पर विचार कर रही है।

भूतपूर्व पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजा दिया जाना

1670. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के अनुग्रहपूर्वक मुआवजा प्राप्त करने वाले विस्थापितों के अद्यतन आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उक्त दो क्षेत्रों के अलग-अलग मुआवजे के दावेदार व्यक्तियों के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) कलकत्ते में शाखा कार्यालय के खुलने के बाद मुआवजा प्राप्त करने वाले पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के आंकड़े क्या हैं ;

(घ) कलकत्ता कार्यालय में उसके लिये क्या व्यवस्था की गई है और मुआवजों के दावों का शीघ्रता से निपटारा करने में सहायता करने वाले अधिकारियों की अलग अलग संख्या क्या है तथा वे किन किन पदों पर हैं ;

(ङ) पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान क्षेत्रों के अलग-अलग उन व्यक्तियों और कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की स्वीकृति दी गई है तथा उन्हें कितनी धनराशि प्राप्त हुई ; और

(च) उक्त मुआवजे के लिये सब बकाया आवेदनपत्रों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताह सिंह) : (क) तथा (ख) 31-10-74 तक 882 दावेदारों का अनुग्रहपूर्वक अनुदानों के रूप में 3,70,12,000 रु० की राशि की अदायगी की जा चुकी है। दोनों क्षेत्रों के लिए की गई अदायगी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

क्षेत्र	दावों की संख्या	राशि (रु०)
प० पाकिस्तान	430	1,38,64,000
पूर्वी पाकिस्तान	452	2,31,48,000

(ग) तथा (घ) उप-अभिरक्षक का कार्यालय 1965 से कलकत्ता में अस्तित्व में है। जिन भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पनियों के पास कबजे में ली गई अपनी सम्पत्ति का स्वामित्व अथवा परिमाण साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, उनके दावों की जांच करने के लिए तीन अधिकारियों का एक पैनल स्थापित किया गया है, जिसमें भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा का एक अधिकारी और दूसरा राजस्व सेवा का अधिकारी शामिल है। पैनल द्वारा संवीक्षित मामलों की संख्या लगभग 60 है, जिनके सम्बन्ध में अनुग्रहपूर्वक अनुदान मंजूर किये जाने से पूर्व की कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) अपेक्षित जानकारी संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) दावों का यथाशीघ्र सत्यापन करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Fall in price index of essential commodities

1671. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the price index of essential commodities of daily necessities has fallen as a result of arrest of smugglers under MISA and seizure of their properties ; and

(b) if so, the percentage by which it has fallen ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) & (b) There is no separate price index for essential commodities as such. However, the General Index of Wholesale Prices has declined by 3.2 per cent between September 21 and October 26, 1974. The index for the Food Articles Group, which has a weight of 41.3 per cent, has fallen by 3.6 per cent over the same period. A table giving the price indices for selected commodities as on 21-9-1974 and 26-10-74 and the percentage change over the period, is attached.

While there is normally a seasonal decline from about the third week of September because of the coming into the market of the Kharif crops, the same was not in evidence during 1972 and 1973. In the former year the absence of the seasonal decline was due to the poor crop, while in 1973 it could be attributed to the prevailing psychology of shortages. Against the background of somewhat uncertain prospects for food output, it is possible that the seasonal decline could have been interrupted again this year in the absence of operations under MISA, etc. as well as the anti-inflationary measures taken this year by Government.

STATEMENT

Index Numbers of Wholesale Prices

(Base 1961-62 = 100)

Selected Commodities	21-9-74	26-10-74	Percentage variations 26-10-74 over 21-9-74
All Commodities	330·4	319·8	—3·2
Food Articles	387·8	374·0	—3·6
Food grains	440·4	426·5	—3·2
Cereals	413·2	398·4	—3·6
Rice	405·2	400·7	—1·1
Wheat	410·5	390·9	—4·8
Jowar	428·4	407·6	—4·9
Bajra	406·2	388·3	—4·4
Pulses	562·9	552·9	—1·8
Gram	635·4	606·4	—4·6
Arhar	629·0	626·6	—0·4
Moong	415·1	379·1	—8·7
Masur	544·6	559·0	+2·6
Urad	335·6	357·9	+6·6
Fruits & Vegetables	306·0	282·2	—7·8
Milk & milk products	323·1	328·6	+1·7
Milk	330·5	340·6	+3·1
Fish, eggs & meat	508·7	497·2	—2·3
Edible oils	421·6	395·8	—6·1
Groundnut oil	420·8	372·2	—11·5
Mustard oil	493·9	482·2	—2·4
Gingelly oil	348·6	331·9	—4·8
Coconut oil	465·4	464·1	—0·3
Vanaspati	343·8	343·8	No change
Sugar & allied products	356·6	332·0	—6·9
Sugar	267·9	243·7	—9·0
Gur	478·9	455·0	—5·0

Selected Commodities	21-9-74	26-10-74	Percentage variations 26-10-74 over 21-9-74
Miscellaneous food items	289.2	284.7	—1.6
Tea	204.3	204.3	No change
Coffee	229.0	226.6	—1.0
Oilseeds	439.7	386.5	—12.1
Groundnuts	423.9	338.1	—20.2
Copra	473.0	455.1	—3.8
Finished products	244.8	244.8	No change
Cloth mill	253.1	256.4	+1.3
Soap	167.2	202.6	+21.2
Kerosene oil	340.5	340.5	No change
Aluminium utensils	215.8	215.8	Do.
Rubber tyres & tubes	215.5	215.5	Do.
Paper & paper products	233.4	233.4	Do.
Drugs & medicine	165.9	174.9	+5.4
Coke	357.3	357.3	No change.

तस्कर विरोधी अभियान का प्रभाव

1672. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करों को "आंसुका" के अन्तर्गत गिरफ्तार करने का सोने और विलास वस्तुओं की तस्करी, विदेशी मुद्रा की जालसाजी और चोरी-छिपे अनाज का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा ; और

(ख) उनकी "आंसुका" के अन्तर्गत गिरफ्तारियों का मूल्यों पर कहां तक प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : (क) तथा (ख) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अधीन तस्कर व्यापारियों के नजरबन्द किये जाने के कारण तस्करी की गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं और पता चला है कि, तस्कर आयात की गई विलासिता की वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं। सामान्यतया मूल्यों पर उक्त कार्यवाही के प्रभाव का कुछ समय बाद तभी पता चल सकेगा जब मूल्य स्थिर हो जायेंगे ।

ब्रिटेन को चीनी का निर्यात

1673. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन चीनी के लिये अपने कामनवेल्थ सप्लायर्स के माध्यम से और अधिक राशि देने के लिये मान गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान भारत द्वारा ब्रिटेन को कुल कितनी चीनी का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मन्त्रालय मे उपमन्त्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। राष्ट्रमण्डल चीनी निर्यातक देशों के साथ ब्रिटेन द्वारा 25 अक्टूबर, 1974 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत ब्रिटेन तय किये गए कीमत कोटाओं के अधीन विकासशील निर्यातक देशों से 1 सितम्बर, 1974 को अथवा इसके बाद भेजी गई चीनी की कीमत का पुनर्निर्धारण करने के लिए सहमत हो गया है। इस तारीख से पहले भेजी गई चीनी के संबंध मे कुछ मात्रा के लिए कीमत बदल दी गई है जोकि भारत के मामले में 25,000 लांग टन के कुल कोटे में से 16,700 लांग टन है। इस परिवर्तन से पूर्व कीमत 79 पौंड प्रति लांग टन थी।

(ग) 1972–73 और 1973–74 के दौरान भारत ने प्रत्येक वर्ष में ब्रिटेन को क्रमशः 2.74 करोड़ रु० और 2.73 करोड़ रु० की 25,400 मे० टन खांड का निर्यात किया।

Export of Poppy Husk

1674. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which poppy husk has exported during 1972-73 and 1973-74 indicating the quantity exported to each of these countries ;

(b) the amount of foreign exchange earned therefrom; and

(c) the steps taken by Government to increase its export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) Poppy Husk is not classified as such in the Monthly Statistics of Foreign Trade of India published by the Director General of Commercial Intelligence and Statics, Calcutta and, therefore, separate export figures of this item are not available. Poppy Husk is a Narcotic under the Narcotics Drug Convention and the exports are authorised by the Ministry of Finance. A statement showing the quantities of Poppy Husk authorised for export during the years 1972-73 and 1973-74, country-wise, is attached.

(c) The export authorisations for Poppy Husk for medicinal purposes are issued liberally.

STATEMENT

Statement Showing the Quantities of Poppy Husk authorised for export during the Years 1972-73 and 1973-74 (Country-wise)

Sl. No.	Name of the country to which permission was granted to the export of poppy husk	Year	
		1972-73 (Qty. in Tons)	1973-74 (Qty. in Tons)
1	Czechoslovakia	2000	2200
2	Holland (Netherlands) . .	1200	8300
3	West Germany . .	14.	28
4	Bulgaria . . .	2500	Nil
5	Poland . . .	Nil	1
6	Yugoslavia .	5000	1000
7	South Vietnam .	2005	6
8	Switzerland . .	Nil	4
	TOTAL .	12719	11539

होटल विकास निगम द्वारा दिया गया ऋण

1675. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों अथवा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में होटलो के निर्माण के लिये होटल विकास निगम से ऋण प्राप्त हो चुका है और निर्मित किये जाने वाले होटलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने होटल बन चुके हैं और कितने होटलों का निर्माण-कार्य शुरू होना बाकी है ; और

(ग) निर्माण में अनावश्यक विलम्ब न होने तथा स्वीकृत राशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8556/74]**

(ख) 12 में से 7 मामलों में होटल चालू किये जा चुके हैं, अन्य 5 में से, जोकि पूरा होने वाले हैं, 2 आंशिक रूप से चालू किए जा चुके है।

(ग) कार्य की प्रगति की देखभाल करने के लिए पर्यटन विभाग का एक अधिकारी निर्देशक-मंडल में नामजद किया जाता है; नियमित प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती हैं।

पर्यटन वाहन चलाने में भारतीय पर्यटन विकास निगम को हुई हानी

1676. **श्री राजराज सिंह देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम को पर्यटन-वाहनों के चलाने में वर्ष 1973–74 के दौरान कितनी हानि हुई ; और

(ख) निगम को हुई हानि में यदि कोई वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण हैं और; इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम को अपने पर्यटन-वाहनों के परिचालन पर वर्ष 1973–74 के दौरान 0.18 लाख रुपये का लाभार्जन हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुद्रा स्फीति स निपटने के लिए विकास खर्च में कमी

1677. **श्री नुरल हुडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है, जिसमें सरकार के मुद्रास्फीति-विरोधी कार्यक्रम के रुप में विकास खर्च में कमी करने के निर्णय की आलोचना की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने अपनी 1973–74 की वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 21 में कहा है कि "जैसा कि अन्य भुगतानों के संबंध में होता है, सरकारी पूंजी निवेश के व्यय में कमी करने से चालू मांग पर संकुचनकारी प्रभाव पड़ेगा ; इस प्रभाव की मात्रा इस प्रकार के व्यय से लाभ उठाने

वालों की खर्च करने की सापक्ष क्षमता पर निर्भर करेगी। इसलिए सरकार ने मुद्रास्फिति को रोकने के अपने लक्ष्यों के अनुसार, पूंजी निर्माण पर किये जाने वाले कुछ व्यय को स्थगित रखने का निश्चय खास तौर से इसलिए किया था क्योंकि अन्य भुगतानों में और अधिक कमी करने की गुंजाइश बहुत कम अथवा नहीं थी। बजट में अनुमानित 9.7 प्रतिशत कि वृद्धि के मुकाबले, पूंजी-निर्माण की वृद्धि की गति 1973–74 (संशोधित अनुमान) (सारणी 7) में केवल 4.1 प्रतिशत थी यह स्पष्ट है कि 1974–75 में भी सरकारी खर्च में अधिकांश कमी का बोझा पूंजीनिर्माण के खर्च को ही उठाना पड़ेगा। निवेश वस्तुओं की लागत में हुई वृद्धि को हिसाब में लेते हुए यह संभावना नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में वास्तविक पूंजी निर्माण में 1974-75 के वित्तीय वर्ष में कोई उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जाहिर है कि उपभोग्य–व्यय में की गयी किन्हीं भी कटौतियां के विपरित, सरकारी खर्च में इस प्रकार की कमी से वास्तविक पूर्ति में होने वाली भावी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

आगे रिपोर्ट के पैरा 77 में कहा गया है कि "चूंकि कुल मांग और देश में होने वाली उपलब्धियों के असंतुलन को व्यापक आयात अतिरेक के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता इसलिए मांग को कम करने के लिए जो मुद्रा और राजस्व संबंधी उपाय शुरू किये गये हैं उन्हें जारी रखना आवश्यक होगा। इन उपायों से, सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों में, उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए किये जाने वाले पूंजी निवेश में रुकावट आएगी इस स्थिति में, सरकार के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह पहले से मौजूदा क्षमता से खास तौर से कृषि और बुनियादी उद्योगों और बिजली तथा परिवहन के क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने की ओर ध्यान दे। इस संदर्भ में, दुर्लभ आवश्यक वस्तुओं जैसे सीमेण्ट, इस्पात, अलौह धातुओं और पेट्रोलियम की वस्तुओं का गैर प्राथमिकता वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए इस्तेमाल किये जाने को रोकना होगा। बिजली की सप्लाई मे सुधार का सुनिश्चयन करने के लिए, बिजली के उपक्रमों खास तौर से राज्यों के बिजली बोर्डों के काम में सुधार करने के लिए उपाय करना आवश्यक होगा। श्रम और अन्य साधनों की उत्पादिता बढ़ाने के लिए लाभकारी प्रोत्साहन देने के अलावा, संगठनात्मक त्रुटियों प्रशासनिक विलम्ब और विभिन्न कार्यों के समन्वय की त्रुटियों से उत्पादन में होने वाली हानि को समाप्त करने की जरूरत है।"

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट मे सरकार द्वारा अपने मुद्रास्फीति विरोधी कार्यक्रम के अंग के रूप में कुछ विकासात्मक व्यय मे कटौती किये जाने के निश्चय की आलोचना नहीं की गयी है। मांग में कमी करने के विषय मे जहां उसने सरकार के विकास व्यय की प्रवृत्ति के रूख के बारे में विचार किया है वहां यह भी संकेत दिया है कि स्फीतिकारी दबाव को रोकने के लिए किन अन्य उपायों पर विचार किया जा सकता है।

यह सच है कि घाटे की वित्त व्यवस्था को रोकने और अर्थव्यवस्था में अधिक मांग को कम करने के लिए 1973–74 में न केवल आयोजना-भिन्न व्यय में कमी करना आवश्यक समझा गया बल्कि आयोजनागत व्यय में भी कमी करना आवश्यक समझा गया। और बातों के साथ साथ विभिन्न मंत्रालयों।विभागों की केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट मे रखी जाने वाली रकम में 10 प्रतिशत की कमी करने का निश्चय किया गया था लेकिन साथ ही प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह छुट दी गयी थी कि वे चाहें तो विभिन्न योजनाओं के खर्च में बचत को फैला कर यह कमी कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने में उन्हें आयोजना और परस्पर तुल तुल्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना होगा तथा यह सुनिश्चयन करना होगा कि जिन बुनियादी परियोजनाओं और उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों का काम बहुत आग बढ़ चुका है उन पर बुरा असर न पड़े और इसलिए कम जरूरी परियोजनाओं एवं योजनाओं की जिनके पूरा होने में देर लगनी है गति धीमी कर दी गयी। यह इस बात का सुनिश्चयन करने के विशिष्ट उद्देश्य से किया गया था कि जिन योजनाओं से निकट भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति होने की आशा है उन पर बुरा असर न पडें।

मूलतः गंभीर स्फीतिकारी दबाव होने का कारण वास्तविक उत्पादन में लगातार बंदी बने रहना है, यद्यपि मुद्रास्फीति की समस्या का अंतिम हल उत्पादन में, खास तौर से बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना ही है तथापि अल्प काल में खर्च कमी करना और घाटे की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करना भी जरुरी है इसलिए सरकार ने अपनी मुद्रा संबंधी और वित्तीय नितियों में अधिक जोर सरकारी खर्च की वृदिध को काबू में रखने, काफी बड़े पैमाने पर अतिरिक्त साधन जुटाने और घाटे की वित्तव्यवस्था पर निर्भरता को कम करने पर दिया है।

गैर-प्राथमिकता प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ आवश्यक वस्तुओं का इस्तेमाल रोकने के लिए भी उपाय किये गये हैं। मौजूदा स्थिति की कमी की सिमाओं के भीतर रहते हुए कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Agreements for Export of various commodities

1678. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the names of the countries with which agreements for export of pig-iron coal, manganese, mica and other minerals have been entered into ; and

(b) the quantity of export of each item ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) The information is as under :

Item	Name of the main countries to which exports are made	Anticipated approximate quantity of export during 1974-75
Iron ore	Japan, Rumania, Czechoslovakia, Poland, Hungary, and Belgium.	25 million tonnes
Coal . . .	Bangladesh and Burma	7.6 lakh tonnes.
Manganese . .	Japan, Czechoslovakia, Bulguria, Korea, Taiwan, and West Germany.	14.00 lakh tonnes
Mica . . .	USSR, Poland, USA, UK, Japan and France.	25,000 tonnes

Export of pig iron is allowed on merits.

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, मद्रास में पुनः रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिक

1679. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, मद्रास में पुनः रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिको की समस्याओं के बारे में उनके मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को एक अभ्यावेदन मिला है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक में पुर्ननियोजित भूतपूर्व सैनिकों की उच्चतर प्रारम्भिक वेतन, परिवार-भत्ता, आवासन ऋण और भरती में आरक्षण विषयक मांगें प्रस्तुत की गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उच्चतर प्रारम्भिक वेतन, परिवार-भत्ता और आवासन ऋण विषयक सुझावों पर अनेक बार विचार किया गया है, किन्तु बैंक के नियमों के अधीन इन मांगो को स्वीकार करना बैंक के लिए संभव नहीं हो सका।

भरती में भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते रिक्तियो के आरक्षण के विषय में बैंक ने सूचना दी है कि वह चतुर्थ श्रेणी के पदों में 20 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित रख रहा है, तृतीय श्रणी के पदों के संबंध में कोई आरक्षण विहित नहीं किया गया है, किन्तु बैंक भूतपूर्व सैनिकों को नीचे लीखी रियायतें/छूट देता है :—

(1) आयु-सीमा में, सशस्त्र सेनाओं में भूतपूर्व सैनिकों के सेवाकाल और तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक की छूट ;

(2) सम्बद्ध पदों के लिए विहित शैक्षित योग्यता रखने वाले सभी भतपूर्व सैनिको को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है ;

(3) लिखित परीक्षा पास करने वालों में से सभी को इन्टरव्यू के लिए बुलायाज जाता है ; और

(4) इन्टरव्यू के समय बैंक के चयन बोर्ड द्वारा भी उनको समुचित अधिमान (वेटेज प्रदान किया जात है, ताकि अन्य बातें समान होने पर, उन्हें प्रतीक्षा-सूची में शामिल किए जाने के वास्ते दूसरों के मुकाबले वरीयता मिल जाये।

पांडिचेरी संघशासित प्रदेश के आयातकर्त्ता

1680. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस वर्ष पूर्व पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश आयात-कर्ताओं की संख्या कितनी थी और इस समय कितनी है ;

(ख) इनमें से व्यक्तिगत रूप से आयात करने वाले आयात-कर्ता कितने है तथा रजिस्टर्ड फर्म कितनी हैं ;

(ग) गत तीन; वर्षों के दौरान पांडिचेरी के कितने आयात-कर्ताओ को लाइसेंस दिए गए ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान दिए गए कुल लाइसेंसों में वैयक्तिक आयात-कर्ताओ तथा रजिस्टर्ड फर्मों के कितने-कितने शेयर हैं ;

(ङ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि कई व्यक्तियों को जिनका कई वर्षों से स्थिर व्यापार नहीं है और इस कारण वे लाइसेंस के पात्र नहीं हैं, इनको आयात लाइसेंस मिले हैं तथा उन्हें बड़े लाइसेंस मिलते रहते हैं जिन्हें वे प्रतिफल के बदले में मद्रास और बम्बई की बड़ी फर्मों को दे देते हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) से (च) आयात तथा निर्यात नियंत्रक, पांडिचेरी के कार्यालय से जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कम मूल्य पर आंकी गई सम्पत्तियां

1681. **श्री शशि भूषण :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

श्री वेकारिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सम्पत्तियों को सूची बनाई है जिनका मूल्य कर अपवंचन की दृष्टि से कम आंका गया है ;

(ख) रजिस्टर्ड विक्रय-पत्रों में इन सम्पत्तियों की कुल कीमत कितनी है तथा उचित बाजार मूल्य पर इन सम्पत्तियों की कीमत कितनी है ;

(ग) क्या कम मूल्य पर आंकी गई ऐसी सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और यदि हां, तो कब और अब तक कितनी सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया जा चुका है और उन सम्पत्तियों स्वामियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस कदाचार में अन्तर्गस्त व्यक्तियों के विरूद्ध अन्य कदम उठाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) आय-कर अधिनियम के अध्याय XX क के अन्तर्गत, सम्पत्तियों के अभिग्रहण को कार्यवाही इस अधिनियम में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार चालू की जाती है। पंजीकरण अधिकारियों को, उनके द्वारा पंजीकृत सम्पत्तियों के अन्तरण के बारे में पाक्षिक विवरण-पत्र सक्षम अधिकारियों के पास भेजने होते हैं। यदि सक्षम अधिकारियों को यह विश्वास हो जाता है कि इन सम्पत्तियों में से किसी के भी सम्बन्ध में अभिग्रहण की कार्यवाही चालू करने के लिए अधिनियम में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, तो वे, सरकारी राजपत्र में इस आशय का नोटिस प्रकाशित करके अभिग्रहण को कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। 31 अक्तूबर, 1974 तक 6,169 नोटिस जारी किये गये थे। सम्बन्धित पार्टियो द्वारा दायर की गई आपत्तियों पर विचार करने और उनकी सुनवाई करने के बाद सक्षम प्राधिकारियो ने 31 अक्तूबर 1974 तक 69 सम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए आदेश जारी किये। इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में दर्शाया गया कुल प्रत्यक्ष प्रतिफल 87.21 लाख रु० है और इसका अनुमानित उचित बाजार मूल्य 171.14 लाख रु० है। इन 69 सम्पत्तियों के हस्तान्तरियों के नाम और आदेश जारी करने की तारीखें संलग्न सूची में दी गई हैं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8557/74]** लेकिन, कोई सम्पत्ति सरकार के दखल में केवल तभी हो सकती है जब अभिग्रहण आदेश निर्णायक बन जाय और इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में जारी किये गये नोटिस के अनुपालन में सम्पत्ति का कब्जा छोड़ दिया गया हो अथवा सौंप दिया गया हो। अभिग्रहण का आदेश तभी निर्णायक माना जा सकता है जब उसकी अंतिम रूप से अपील में पुष्टि हो जाय अथवा यदि आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई है तो अपील दायर करने की मियाद समाप्त हो जाय।

अन्तर्गस्त व्यक्तियों के खिलाफ, विभिन्न कर कानूनों में दी गई व्यवस्था के अनुसार सभी कार्यवाही की जायगी।

सरकारी क्षेत्र के तथा निर्यात प्रधान उद्योगों के बारे में ऋण प्रतिबन्धों पर छूट

1682. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तथा निर्यात प्रधान उद्योगों के लिए चुनींदा आधार पर ऋण प्रतिबन्धो में छूट देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस समय अनुसरण की जा रही नीति का मुलभूत उद्देश्य यह है कि यद्यपि ऋण-विस्तार पर कड़ा नियंत्रण रखा जाय, तथापि संपोषक निवेश प्रवृत्तियों को बनाने रखने, उत्पादन की बढ़ोत्तरी और आवश्यक जिंसो के अपेक्षाकृत उत्कृष्ट संवितरण/ के लिए चयनात्मक आधार पर ऋण संवितरित किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 अक्तूबर, 1974 को घोषित उपायों में 1974–75 के व्यस्त मौसम के वास्ते इस नीति को जारी रखा गया है। इन उपायों की घोषणा करते समय भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकारी क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक एककों की कार्यचालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं पर पहले विचार किया जाना चाहिए। साथ ही बैंक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमारे निर्यात संबंधी प्रयासों में भी शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए और निर्यातोन्मुख उद्योगों समेत निर्यात-ऋण संबंधी सभी विशिष्ट आवश्यकताओ को बराबर उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

भारत के व्यापार सन्तुलन में प्रतिकलता

1684. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में 141.8 करोड़ रुपये का प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या इन महीनों में निर्यात में भी मन्दी की प्रवृत्ति दिखाई दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अधिकांश आयातों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि तथा अधिक आयात आवश्यकताएं प्रतिकूल व्यापार संतुलन के मुख्य कारण थे।

(ग) जी नहीं। इसके विपरीत अप्रैल-अगस्त 1974 के दौरान 1265 करोड़ रु० के निर्यात (पुनर्नियातों सहित) हुए जो 48 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाते हैं।

बोनस शेयर जारी करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त

1685. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1974 में घोषित किए गए बोनस शेयरों को जारी करने के बारे में उसके मंत्रालय ने कुछ और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) जी, हां। जुलाई 1974 में दो निर्देशकों में संशोधन किया गया था और सितम्बर, 1974 में एक निर्देशक जोड़ा गया था, जिसको मुख्य बातें हैं:—

(1) किसी कम्पनी द्वारा बोनस शेयर जारी किये जाने की लगातार दो घोषणाओं के बीच कम से कम 40 महीने का अन्तर होना चाहिये।

(2) कम्पनी अतिरिक्त बोनस शेयर जारी करने के लिए, पहले जारी किये गये बोनस शेयरों के सचीबद्ध होने के (यदि कम्पनी के शेयरों के भाव स्टाक एक्सचेंज में निकलते हो) छत्तीस महीने बाद या शेयर सर्टिफिकेट भेजने का काम पूरा कर लेने के बाद आवेदन कर सकती है।

(3) कम्पनी की, मुक्त प्रारक्षित निधि में से बोनस शेयर जारी करने के उद्देश्य से पूंजीकरण करने के लिए एक वक्त में कुल जितनी रकम की अनुमति दी जायेगी, वह कम्पनी की चकता सामान्य शेयर पूंजी की कूल रकम से अधिक नहीं होगी।

Financial Crisis in U.P.

1686. Shri Mohan Swarup :
Shri Pilioo Modi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the U.P. Government is passing through a serious crisis and may not be in a position even to pay salaries to its employees in time;

(b) whether the U.P. Government cannot provide assistance to the flood and drought affected people according to their needs due to paucity of funds, because even the Central assistance given on such occasions is also not available;

(c) whether Government are aware that there was a deficit of Rs. 6 crores in U.P. budget; and

(d) if so, the steps taken by the Central Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (d) The State Chief Minister has informed the Government of India of the financial difficulties fancing the State Government in the current year. In a recent communication, the State Government have estimated the resource gap at the end of the current financial year to be Rs. 165 crores, based on additional expenditures anticipated by them. The State Government have asked for the help and support of the Government of India to tide over their financial difficulties. While it has not been found possible to provide any additional Central assistance to the State, the financial position of the State is kept under review in consultation with the State Government.

It does not appear, however, that the State Government will not be in a position to pay salaries to their employees or to provide assistance to flood/drought affected people because of lack of resources.

इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों की कुशलता-जांच

1688. श्री अजित कुमार साहा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक ने पहले यह निर्णय किया था कि इंडियन एयरलाइन्स की विमान चालकों की सभी प्रकार की कुशलता की जांच महानिदेशक नागर विमानन द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एक परीक्षक द्वारा की जानी चाहिए

(ख) यदि हां, तो क्या इस निगम के एक कप्तान की कुशलता की जांच 11 अप्रैल, 1974 को ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई जो कि एक अनुमोदित परीक्षक नहीं था ;

(ग) क्या इस कार्य पर काफी धन व्यर्थ किया गया और कप्तान की सेवाओं का 5 मई से 19 जून, 1974 तक कोई उपयोग नहीं किया जा सका ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ) मई, 1973 में नागर विमानन के महानिदेशक ने इंडियन एयरलाइंस के विमानचालकों की दक्षता-जांच के लिये अनुमोदित परीक्षकों/प्रशिक्षकों की एक सूची प्रसारित की। तथापि, फरवरी, 1974, में नागर विमानन के महानिदेशक तथा इंडियन एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक बैठक के उपरान्त, नागर विमानन के महानिदेशक ने निदेश जारी किये कि भविष्य में ऐसा जांच-कार्य विशेष रूप से अनुमोदित परीक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। इन निदेशों के बारे में कुछ गलत फहमी के कारण 11-4-74 को इंडियन-एयरलाइंस के एक कैप्टिन की दक्षता जांच नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा मई, 1973, में प्रसारित सूची में शामिल एक प्रशिक्षक द्वारा की गयी थी। जब मई, 1974 में सही स्थिति नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा इंडियन एयरलाइंस के ध्यान में लायी गई तो जून, 1974 में इस कैप्टिन की नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित परीक्षक द्वारा पुनः जाँच की गई। दोनों ही बार उक्त कैप्टिन को योग्य करार दिया गया था।

मई और जून, 1974 में इस कैप्टिन को बोइंग-737 विमान को उड़ाने के कार्य पर नहीं लगाया गया था। नागर विमानन के महानिदेशक ने कारपोरेशन को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि विमान चालकों की जांच केवल इस प्रयोजन के लिये उसके (महानिदेशक) द्वारा अनुमोदित परीक्षकों/शिक्षकों द्वारा ही की जाये।

"सेन्ट्रल गवर्नमेंट एपेक्स सोसाईटी" के पास अप्रयुक्त पड़ा धागा

1689. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सेन्ट्रल गवर्नमेंट एपेक्स सोसायटी' के भण्डार में 25 लाख रुपये के मूल्य का जो धागा अप्रयुक्त पड़ा हुआ है, उसे हथकरघा बुनकरों में वितरित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) धागे में व्यापार करने वाली कोई सन्ट्रल गवर्नमेंट एपैक्स सोसायटी नहीं है तथा इसलिए इसके पास धाग के जमा होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

Loan From Foreign Countries

1690. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of foreign loans which have to be repaid within a specified period and measures being adopted by Government to repay them within the specified period?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : All foreign loans on Government account are repayable within specified periods according to the terms of the

respective loan agreements. The amount of foreign loans to be repaid by Government as on 30-6-1974 was as follows:

	Rs. crores
(1) Loans repayable in foreign currency (at ex-IMF Parity rates)	6383.38
(2) Loans repayable through Export of Goods.	349.77
(3) Loans repayable in Rupees.	1.40
TOTAL	6734.55

. Loan instalments falling due for repayments are being repaid on the dates on which they fall due.

पटसन मिलों की भंडार स्थिति

1691. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उत्पादन एकड़ क्षत्र में भारी कमी तथा बाजार में मांग की तुलना में कम सप्लाई के बावजूद भी पटसन के मूल्य हाल में बराबर गिरते रहे हैं ;

(ख) क्या भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीद कम स्तर पर की गई है ताकि पटसन के मूल्य कम रहें ; और

(ग) पटसन मिलों को वर्तमान भंडार स्थिति क्या है तथा क्या सभी मिलों के पास पर्याप्त रक्षित भंडार (बफर स्टाक) है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कच्चे पटसन की कीमतें सितम्बर 1974 के अन्त तक बड़ी तेजी से बढ़ी। तत्पश्चात अधिक आवक के कारण लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक गिरावट आई।

(ख) जी नहीं।

(ग) सितम्बर 1974 के अन्त में पटसन मिलों के पास 19.41 लाख गाठों का स्टाक था तथा लगभग 4.5 लाख गांठें मार्गस्थ थी जबकि 5.70 लाख गांठों की औसत मासिक खपत होती है। स्टाक स्थिति संतोषजनक समझी जाती है।

हरियाणा में पर्यटन केन्द्रों का विकास

1692. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से हरियाणा में पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन केन्द्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने कुछ समय पहले कुछ नये पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु कुछ सुझाव भी दिये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इन केन्द्रों पर काम के कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) चौथी योजना के दौरान प्रारंभ किये गये पंचकुला में एक युवा होस्टल तथा सूरजकुंड और दारूहेरा में पर्यटक बंगलों का निर्माण-कार्य चालू योजनावधि के दौरान पूरा हो जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स वोल्गा रेस्टोरेन्ट, नई दिल्ली और बम्बई

1693. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा मैसर्स वोल्गा रेस्टोरेन्ट, नई दिल्ली और बम्बई पर दायर और मैसर्स वोल्गा रेस्टोरेन्ट नई दिल्ली और बम्बई द्वारा आयकर विभाग पर दायर कुछ अपीलें आयकर न्यायधिकरण, नई दिल्ली और बम्बई के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो अपील किस तिथि को दायर की गई और वह कितनी राशि के लिए हैं ; और

(ग) न्यायाधिकरणों ने गत तीन वर्षों में अब तक कितनी अपीलों का निपटान किया और उनमें वर्ष-वार कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

जीवन बीमा निगम, इन्दौर के डिवीजनल मैनेजर तथा जीवन बीमा निगम की ग्वालियर शाखाओं के विकास अधिकारी एसोसिएशन के बीच हुआ समझौता

1694. **श्री आर० बी० बड़े :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को दण्ड देने के लिए जीवन बीमा निगम, इन्दौर के डिवीजनल मैनेजर और जीवन बीमा निगम की ग्वालियर शाखाओं की विकास अधिकारी एसोसिएशन के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई समझौता नहीं हुआ है, तो क्या सरकार का विचार अधिकारियों की एसोसिएशन की मांग की जांच कराने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मुख्यतः जीवन बीमा निगम का काम है कि उसे अपने अधिकारियों से जो मांगें प्राप्त हों, वह उनकी जांच करे।

चीनी के उत्पादन-शुल्क में कमी करना

1695. **श्री बेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय ने चीनी के उत्पाद शुल्क में कमी करने का आग्रह किया है ताकि चीनी के उत्पादन तथा निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) वाणिज्य मंत्रालय से चीनी पर उत्पादन शुल्क कम करने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु वाणिज्य मंत्रालय ने चीनी मौसम 1974-75 में चीनी का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से उत्पादनशुल्क पर चीनी प्रोत्साहन छूट मंजूर करने के बारे में कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव का समर्थन किया है ;

(ख) दो अधिसूचनाएं–दिनांक 12-10-1974 को अधिसूचना संख्या 146/74-के० उ० तथा दिनांक 20-11-1974 की अधिसूचना संख्या 152/74-के० उ० जारी की गयी हैं जिनका आशय उत्पादन को इन अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट अवधियों में हुए उत्पादन से अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना है। उपर्युक्त दोनों अधिसूचनाएं क्रमशः उन कारखानों पर लागू होती हैं जिन्होंने तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए चीनी का उत्पादन किया है और जिन्होंने पहली बार केवल चीनी मौसम 1971-72 में चीनी का उत्पादन शुरू किया था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की भर्ती

1696. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों सम्बधी ब्यूरो ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये पदों के आरक्षण सम्बन्धी अपने अनुदेश को कार्यान्वित करने के लिये अध्ययन करने हेतु 15 बड़े उपक्रमों का चयन किया है ताकि सभी स्तरों पर इन उपक्रमों की सेवाओं में इन जातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु इन पर विशेष निगरानी रखी जा सके ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया ;

(ग) अध्ययन के लिये किन-किन उपक्रमों का चयन किया गया है और इनमें से कितने उपक्रमों अब तक इस प्रकार के अध्ययन किये गये हैं ; और

(घ) इन अध्ययनों के निष्कर्षों का सारांश क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार इस बात की समीक्षा करती रहती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यथेष्ट रोजगार देने सम्बन्धी आदेशों को कहां तक लागू किया गया है। इसी समीक्षा के अन्तर्गत दिसम्बर, 1972 में यह निर्णय किया गया कि 15 बड़े बड़े उद्यमों को, रोजगार की दृष्टि से विशेष निगरानी रखी जाय ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को ऊंचे स्तर के पदों पर भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाया जा सके। इन सरकारी उद्यमों के नाम विवरण में दिये गये हैं।

(घ) इन जांच-परिणामों से यह पता चला कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विशेषकर ऊंचे स्तर के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार करने के लिए पहले उठाये गये कदमों के अलावा निम्नलिखित विशेष उपाय सहायक सिद्ध होंगे :

(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभिकरणों को रिक्त पदों के बारे में अधिसूचना भेजना।

(ii) प्रारंभिक जांच तथा अन्तिम चयन के लिए मानदण्डों को यथा सम्भव निम्नतम करना।

(iii) जिन उम्मीदवारों के बारे में पहले के विज्ञापनों के संदर्भ में विचार किया गया था और जिन्हें अपात्र नहीं समझा गया उनके बारे में दुबारा विचार करना।

(iv) रिक्त पदों के सम्बन्ध में व्यापक अधिसूचना के उद्देश्य से आरक्षित निर्वाचन क्षत्रों से विधान सभा और संसद के स्थानोय सदस्यों को रिक्त पदों की सूचना भेजना।

(v) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उंम्मिदवारों की योग्यताएं बढ़ाने के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना जिससे उन्हें सेलेक्शन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सके। ऐसें प्रशिक्षण के दौरान उम्मिदवारों को थोडा बहुत वजीफा भी दिया जाय।

(v) केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को विशेष रूप से विज्ञापित करना।

विवरण

विशेष अध्ययन के लिए चुने गये 15 उपक्रमों की सूची

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम
1	एयर इण्डिया
2	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
3	भारत हैवो इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
4	बोकारो इस्पात लिमिटेड
5	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड
6	हैवी इलेक्ट्रिकल्स इण्डिया लिमिटड (अब भारत हैवो इलेक्ट्रिकल्स में मिला दिया गया है)
7	भारो इंजोनियरो निगम
8	हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड
9	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
10	हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड
11	इण्डियन एयरलाइन्स
12	भारतोय तेल निगम
13	राष्ट्रोय कोयला विकास निगम
14	नेवेलो लिग्नाइट कारपोरेशन
15	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

मशीनरी का आयात

1697. श्री पी० आर० शिनाय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 (अद्यतन) के दौरान लघु उद्योगों के लिए कितने मूल्य को मशोनरो का आयात किया गया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने लघु उद्योगों ने मशोनरो का आयात किया ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने लघु उद्योगों को आयात लाइसेंस नहीं दिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) वाणिज्यिक जानकारी एवं अंक संकलन के महानिदेशक, कलकत्ता, लघु उद्योगों द्वारा किये गये वास्तविक आयातों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखता ।

(ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अत्यधिक (हाइपर) मुद्रास्फीति

1698. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री नुरूल हुडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने केन्द्रीय सरकार को कहा है कि यदि पर्याप्त कार्यवाही न की गयी तो अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक मुद्रास्फीति (हाइपर इन्फ्लेशन) का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की 1973-74 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार "वर्ष के अन्त में (जून 1974 के अंत में) स्थिति ऐसी थी कि जब तक पर्याप्त कदम नहीं उठाये जायं मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के और अधिक प्रबल होने का खतरा है ।"

(ख) सरकार को घरेलू मुद्रास्फीति के दबावों की भी इतनी ही चिन्ता है और मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं । जब कभी जरूरत पड़ेगी तो और उपाय भी किये जायेंगे ।

Purchase of Shoes from India by U.S.S.R.

1699. **Shri Onker Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Russia has placed an order for purchasing 6 lakhs pairs of shoes from India; and

(b) if so, the mode of its payment?

The Deputy Minister in The Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The mode of its payment by the Soviet Union is on collection basis in Indian rupees.

राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

1700. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिये दौरे पर गये केन्द्रीय दल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ;

(ख) उक्त राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है ; और

(ग) राजस्थान द्वारा इस सहायता के उपयोग के बारे में केन्द्र द्वारा क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) केन्द्र द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार, राज्य के 12 जिलों को, जिनकी आबादी लगभग 90 लाख है, सूखाग्रस्त माना जा सकता है। किन्तु सितम्बर-अक्टूबर में हुई वर्षा के कारण स्थिति का एक बार फिर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्षा होने से खेतों की हालत सुधर गई है और रबी की फसल के अच्छी होने की सम्भावना हो गयी है। इस विषय पर राज्य सरकार के साथ परामर्श कर आगे विचार किया जा रहा है।

किसानों के लिए अनिवार्य जमा योजना

1701. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को अनिवार्य जमा योजना के अधीन लाने संबंधी प्रस्ताव को सरकार ने त्याग दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) कृषि क्षेत्र अलग धरातल पर आता है। बहुत से राज्यों ने ऐसे अनेक उपाय लागू किये हैं जिससे कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त आय हो सके। कुछ राज्यों पर सूख और बाढ़ का भी प्रभाव पड़ा है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, कृषि क्षेत्र पर अनिवार्य जमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

Public Trial of Smugglers

1702. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is under consideration of Government that the smugglers arrested or being arrested under 'MISA' be tried in public; and

(b) if so, the facts thereof and when such trials will begin?

The Minister of State in The Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) No, sir.

(b) Does not arise.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश के पास काला धन होना

1703. **श्री राम सहाय पाण्डे** :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश के पास काला धन होने सम्बन्धी प्रेस समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश के यहां कलकत्ता के आयकर प्राधिकारियों ने 30 अगस्त, 1974 को तलाशी ली थी। जांच-पड़ताल चल रही है। जांच पूरी होने पर कानून के अनुसार जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी की जायगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निधि-स्रोत

1704. श्री राम सहाय पाण्डे :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने "बिल फाइनेंस" को निधि स्रोत के रूप में अपनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) पहले के वर्षों में जिन एककों को सहायता मंजूर की गयी थी उनके द्वारा सहायता का तेजी से उपयोग करने के परिणामस्वरूप जून, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साधनों पर भारी दबाव पड़ता रहा। अन्य उपलब्ध साधनों का सहारा लेने पर भी लगभग 20 करोड़ रुपये का अन्तर रह गया था जिसे विकास बैंक ने अपनी फिर से भनाई गयी हुण्डियों को गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से अस्थाई रूप से ऋण लेकर पूरा किया। रिजर्व बैंक से यह ऋण सहायता थोड़ी अवधि (90 दिन से अधिक नहीं) के लिए ली गयी थी जिसे सितम्बर, 1974 में वापस अदा कर दिया गया था।

गोआ के ऊनी कपड़ा मिलों को धागे की सप्लाई

1705. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में गोआ की ऊनी कपड़ा मिलों को धागा सप्लाई किया गया है ;

(ख) क्या सप्लाई किया गया धागा गोआ की आवश्यकता पूरा करने के लिये पर्याप्त था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) ऊनी धागे के उत्पादन, मूल्य और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है, अतः प्रश्न में उल्लिखित अवधि के लिए किसी कानूनी आदेश के अधीन ऊनी धागे की सप्लाई का प्रश्न नहीं उठता। जबकि ऊनी प्रणाली पर कार्यरत मिलें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वदेशी स्रोतों से करती हैं, वर्स्टेड तथा शाडी क्षेत्र की मिलों को आयातित कच्चे माल पर निर्भर रहना पड़ता है जिसकी मात्रा विदेशी मुद्रा की प्राप्यता पर निर्भर करती है। पूरे देश में वर्स्टेड तथा शाडी एकक कच्चे माल की कमी की वजह से दो पारी आधार से कम पर कार्य करते हैं और यह गोवा में स्थित मिलों पर भी लागू होता है।

गोआ में पर्यटन का विकास

1706. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में पर्यटन के विकास के लिये अभी हाल में सरकार ने कोई योजना मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात को आकर्षित करने के लिये गोवा को एक समुद्रतटीय विहार स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य पांचवीं योजना में प्रारम्भ किया जा रहा है। स्कीमों को शीघ्रातिशीघ्र

आयोजना तथा कार्यान्वियन के लिये आवश्यक विकासात्मक संगठन बनाने की दृष्टि से समुद्रतटीय विहार स्थल सर्वेक्षण पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

रूस को जूतों का निर्यात

1707. श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में रूस को जूतों के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 तथा वर्ष 1974-75 के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) व्यापार करार के अनुसार भुगतान का ढंग रुपयों में है । वर्ष 1973-74 के दौरान 459 लाख रुपये की राशि वसूल की गई थी । वर्ष 1974-75 में इसके 5 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

तकनीकी सहायता के लिए तन्जानिया के साथ करार

1708. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री बेकाग्यिा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तन्जानिया को तकनीकी और अन्य सहायता उपलब्ध करने के बारे में उस देश के साथ अभी हाल में कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, किन्तु सितम्बर, 1974 में तंजानिया सरकार के कनिष्ठ वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री सी० एम० मजिन्डाक्या भारत आये थे और उन्होंने औद्योगिक विकास उपमंत्री श्री जैड़० आर० अंसारी से बातचीत की थी ।

गोल्चा प्रापरटीज लिमिटेड

1709. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने गोल्चा प्रापरटीज लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के मालिकों के साथ समझौतें के आधारपर करार किया है जिसके द्वारा ऋणदाताओं में उस धनराशि के वितरण में सहायता दी जा सके जो उक्त मालिकों के पास जमा हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) जमा धनराशि का वितरण कब किया जायेंगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणवकुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मैसर्स गोलछा प्रोपर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड के भूतपूर्व निदेशकों ने, सभी सम्बन्धित पार्टियों अर्थात् भूतपूर्व निदेशकों, और ऋणदाताओं, कम्पनी विधि विभाग तथा आय-कर विभाग के सहमत होने पर, जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय में एक योजना पेश की है। उच्च न्यायालय की स्वीकृति मिलने पर, इस योजना से ऋणदाताओं को उधार की सारी रकम चुकाने और आयकर विभाग को 50 लाख रुपये की अदायगी करने की व्यवस्था हो जायगी। इसके अतिरिक्त योजना में यह भी व्यवस्था रहेगी कि दो सिनेमा घरों अर्थात् दिल्ली स्थित गोलछा सिनेमा और बम्बई स्थित मराठा मन्दिर की टिकट-बिक्री प्राप्तियों में से 1 जनवरी, 1975 से आय-कर विभाग को रोज 2,000 रुपये अदायगी, बकाया कर की पूरी अदायगी होने तक की जायगी। यह कम्पनी, दिल्ली स्थित गोलछा सिनेमा की मालिक है और बम्बई स्थित मराठा मन्दिर का इसके पास पट्टा है। दोनों सिनेमाघरों के अधिकार-पत्र आय-कर विभाग के पास जमा करा दिये जायेंगे।

(ग) योजना को उच्च न्यायालय की स्वीकृति मिलने पर कम्पनी के भूतपूर्व निदेशकों से पर्याप्त रकम मिलने पर सरकारी परिसमापक के पास जमा रकम में इतनी वृद्धि हो जायगी कि परिसमापक एक साथ ही ऋणदाताओं को पूरी अदायगी कर सकेगा तथा आय-कर विभाग को 50 लाख रुपये की अदायगी भी कर सकेगा और तब परिसमापक जमा रकम को आय-कर विभाग तथा अन्य सभी ऋणदाताओं में बांट देगा।

आयकर का अपवंचन करने के लिए दण्ड दिया जाना

1710. श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आय तो होती है परन्तु वह कर का अपवंचन करते हैं और जिन पर चालू वर्ष में आयकर अधिकारियों ने जुर्माने किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : जिन व्यक्तियों पर, आय को छिपाने के लिए, चालू वित्तीय वर्ष में दण्ड लगाया गया है उनकी संख्या के बारे में सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है। परन्तु वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए यह सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

विवरण

क्र० स०	आय-कर आयुक्त का अधिकार-क्षेत्र	आय को छिपाने के लिए जिन व्यक्तियों पर वित्तीय वर्ष 1973-74 में दण्ड लगाये गये उन की संख्या
1	पूना	212
2	पटियाला	1118
3	केरल	58
4	उड़ीसा	228
5	नागपुर	260
6	गुजरात	1286

क्र०सं०	आय-कर आयुक्त का अधिकार-क्षेत्र	आय को छिपाने के लिए जिन व्यक्तियों पर वित्तीय वर्ष 1973-74 में दण्ड लगाये गये उनकी संख्या
7	मध्य प्रदेश	784
8	दिल्ली (सेन्ट्रल)	75
9	दिल्ली	1270
10	मैसूर	99
11	कानपुर	650
12	असम	123
13	बिहार	408
14	मद्रास	587
15	मद्रास (सेन्ट्रल)	110
16	राजस्थान	508
17	आन्ध्र प्रदेश	538
18	बम्बई (सेन्ट्रल)	84
19	बम्बई	777
20	लखनऊ	1032
21	पश्चिम बंगाल	2176
22	कलकत्ता (सेन्ट्रल)	24
	जोड़	12407

इलायची उत्पादक देशों के समुदाय का गठन

1711. **श्री वसंत साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के आग्रह पर चार प्रमुख इलायची उत्पादक देशों अर्थात् तंजानिया, श्रीलंका, ग्वाटेमाला और भारत ने एक इलायची समुदाय बनाया है जिससे इलायची का अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इलायची के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लिये क्या अन्य उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारत अन्य देशों के साथ मिलकर एक इलायची समुदाय बनाना चाहता है। प्रस्तावित समुदाय के उद्देश्य ये हैं : उत्पादन के तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं से संबंधित गवेषणा को समन्वित तथा प्रोत्साहित करना, खपत बढ़ाने

के लिए कार्यक्रम विकसित करना ; टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बाधाओं को कम कराने के लिए संयुक्त कार्यवाही करना, गुणवत्ता के मानकों का समन्वय करना और इलायची की पूर्ति, मांग तथा कीमतों में परिवर्तनों की निरन्तर समीक्षा करना ।

(ग) विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने के लिए जो उपाय किये जा रहे हैं उनमें से कुछ ये हैं : उत्पादित बढ़ाना ताकि अधिक निर्यात योग्य बेशी माल बनाया जा सके, उत्पाद विविधता, वैकल्पिक प्रयोगों का पता लगाना, विकसित देशो के प्रिय राष्ट्रीय पकवानों में इलायची के प्रयोग का प्रचार करके उनकी खाद्य संबंधी आदतों में इलायची को शामिल करवाना ।

Development of Places of Tourist Attraction

1712. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the names of places of tourist attraction developed for foreign tourists during the last three years?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : During the last 3 years following schemes were taken up in the Central Sector :—

(1) Construction of Forest Lodges at Bharatpur, Kaziranga, Sasangir, Jaldapara, Dandeli.

(2) Construction of Youth Hostels at Amritsar, Aurangabad, Darjeeling, Jaipur, Gandhinagar, Patnitop, Panaji, Madras, Nanital, Bhopal, Dalhousie, Panchkula, Hyderabad, Trivandrum and Puri.

(3) Construction of a Tourist Reception Centre at Jaipur.

(4) Construction of Tourist Bungalows at Jaisalmer, Rameshwaram, Surajkumd, Sahibinadi, Dharamshala, Porbander, Bhopal, Mantrallaya and Gauhati.

(5) Development of safari parks at Hyderabad and Berivali.

(6) Development of the Winter Sports Resort at Gulmarg.

(7) Development of the Beach Resort at Kovalam.

(8) A cafeteria was constructed and commissioned at Kosi half-way between Delhi and Agra.

(9) Son-et-Lumiere shows were mounted at Sabarmati Ashram, Ahmedabad and Shalimar Gardens, Srinagar.

(10) Funds were released for the improvemont of the area near the Taj Mahal at Agra.

In addition the India Tourism Development Corporation augmented the accommodation facilities by constructing the Akbar Hotel in New Delhi, Ashoka Hotel at Bangalore, Varanasi Hotel at Varanasi, motels at Hassan and Jammu, cottages at Kovalam and Mahabalipuram. It also renovated and expanded the Laxmi Vilas Palace Hotel at Udaipur, Aurangabad Hotel at Aurangabad, enlarged the Travellers Lodge at Khajuraho and added the Qutab Hotel in New Delhi to its chain of hotels.

The ITDC also established transport units at Bombay, Udaipur, Bodhgaya, Kovalam and Varanasi.

Import of Essential Consumer Goods

1713. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of essential consumer goods quantity-wise, imported from Russia during the last three years; and

(b) the item-wise cost of the goods and the mode of payment agreed to?

7—37 L. S. S./74

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) and (b) The principal essential consumer goods imported from U.S.S.R. during the last three years were as follows :—

(Rs. Lakhs)

S. No. Item	Unit of Qty.	1971—72		1972—73		1973—74	
		Qty.	Val.	Qty.	Val.	Qty.	Val.
1. Whole milk evaporated	000' Kg.	..				22	1
*2. Wheat	000' tons		..		..	881	10,871
†3. Cane Suger refined	"	3	60			0.05	1
4. Lectose	000' Kg.	..	..	..	..	5	0.2

*Imported on loan basis; value estimated.

† Gift.

N.B.— For other items, payment is made in Indian rupees.

विदेशों में केरल के हस्तशिल्प उत्पादों की मांग

1714. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य में कारीगरों की अनेक सहकार समितियां अनेक प्रकार के ऐसे सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन करती हैं जिनकी विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सहकारी समितियों के बेहत्तर कार्यसंचालन के लिये उन्हें वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल हस्तशिल्प शीर्षस्थ सहकारी समिति, एर्नाकुलम नाम का एक शीर्षस्थ निकाय है। सभी प्राथमिक हस्तशिल्प सहकारी समितियां इस शीर्षस्थ निकाय की सदस्य हैं । इन प्राथमिक समितियों के वित्त, विपणन आदि की देखभाल इस शीर्षस्थ निकाय द्वारा देश में अपने तीन संस्थापित एम्पोरियमों के माध्यम से की जाती है। हस्तशिल्प के निर्यात की देखभाल भी प्राथमिक समितियों की ओर से शीर्षस्थ निकाय द्वारा की जाती है ।

केरल सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध

1715. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपने तेजी से चलने वाले विद्युत् कार्यक्रमों के लिये जीवन बीमा निगम से वित्तीय सहायता के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और उस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) केरल राज्य सरकार ने पांचवीं योजना की अवधि के दौरान केरल के तेंजी से चलाये गये विद्युत-कार्यक्रमों के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये अगस्त, 1974 में भारत के जीवन बीमा निगम से अनुरोध किया था। उस

समय जीवन बीमा निगम ने केरल सरकार के प्रतिनिधियों को सूचित किया था कि विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों को ऋण देने के लिये निर्धारित जीवन बीमा निगम के धन का आबंटन प्रत्येक वर्ष योजना आयोग द्वारा किया जाता है इसलिये इन कार्यक्रमों के लिये धन की व्यवस्था करने के संबंध में कोई वायदा नहीं किया जा सकता ।

रबड़ उत्पादकों को पुनर्रोपण राज्य सहायता मे वृद्धि

1716. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने रबड़ उत्पादकों को पुनर्रोपण राजसहायता में वृद्धि करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) रबड़ बोर्ड द्वारा की गई प्रस्थापना रबड़ पुनर्रोपण के लिए उपदान को वर्तमान दर की, जो बागान के साइज का विचार किये बिना 2471/- रुपये प्रति हेक्टार है, 4 हैक्टार तक की जोतों के संबंध में 7000/- रुपये प्रति हैक्टार तथा साइज़ में 4 हैक्टार से ऊपर के बागानों के संबंध में 5000/- रुपये प्रति हैक्टार तक बढ़ाने के संबंध में है ।

इस संबंध में किये गये लागत अध्ययन को देखते हुए इस पर और आगे विचार किया जा रहा है ।

जीवन बीमा निगम के पालिसी बोनस में वृद्धि

1717. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय जीवन बीमा निगम के निर्धन मध्य वर्ग के पालिसी-धारियों पर पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस समय जब रुपये का अंकित मूल्य लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया है, यह अनुमान लगाना कठिन है कि पालिसी धारियों को जब उनकी धनराशि वापस मिलेगी तब उन्हें लाभ होगा या हानि होगी ; और

(ग) इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये क्या जीवन बीमा निगम का बोनस में वृद्धि करने तथा मुआवजे के रूप में उनके जमा हुये प्रीमियम पर पालिसी-धारियों को ब्याज भी देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जीवन बीमा पालिसियां वित्तीय करार है और इनमें धन की कीमत में ह्रास की किसी प्रतिपूर्ति की कोई शर्त निहीत नहीं है । इस प्रकार जीवन बीमा निगम के पालिसीधारियों ने भी मुद्रास्फीति के प्रभाव को महसूस किया है। परन्तु सलाभ पालिसीधारियों के मामलों में मिलने वाले बोनस से उन्हें कुछ राहत मिलती है ।

(ग) पालिसीधारियों को बोनस, जीवनांकीय मूल्यांकनों द्वारा प्रकट की गयी बचत पर निर्भर करता है तथा बीमांकक मूल्यांककों द्वारा सिफारिश किये गये आधार पर पालिसीधारियों को आबंटित अथवा उनके लिए आरक्षित किया जाता है । इस प्रकार, भविष्य में बोनस में वृद्धि तथा वह रूप जिस में इसे आबंटित किया जाता है, भविष्य के मूल्यांकनों में प्रकट की जाने वाली बचत पर निर्भर करेगा ।

निर्यात-सामग्री के उत्पादन को बढाने सम्बन्धी नीति

1718. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 के लिये निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से निर्यात-सामग्री का उत्पादन को बढ़ाने और इस

बारे में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के लिये भविष्य में सरकार का क्या नीति निर्धारित करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : निर्यातों के लिए उत्पादन बढ़ाने से संबंधित सरकारी नीति के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं :

(1) इंजीनियरी माल तथा रासायनिक उत्पादों के संबंध में उपलब्ध उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने का प्रयत्न करना ।

(2) मशीनी औजारों आदि के विषय में निर्यात बाजार के लिए उत्पाद अनुकूलन तथा विविधीकरण करना ।

(3) इलायची तथा चाय जैसी निर्यात की वस्तुओं के उत्पादन का परिमाण बढ़ाना ।

(4) परम्परागत बाजारों के अलावा बढ़ती हुई खरीद संभाव्यता वाले क्षेत्रों पर बल देते हुए नये नये बाजारों में पैठना ।

(5) चीनी तथा सीमेंट जैसी वस्तुओं के संबंध में निर्यात के लिए उतने देशी माल की व्यवस्था करना जो घरेलू खपत में की जा सकने वाली संभव बचत से संगत हो ।

जहां-कहीं रुकावटें आती है, उन्हें दूर करने के लिए निरन्तर ऐसे व्यवहारिक उपाय किये जा रही हैं जो विभिन्न प्रकार के माल के संबंध में सामने आने वाली रुकावटों के स्वरूप के अनुसार भिन्न भिन्न होंगे । इनमें कच्चे माल तथा निविष्ट साधनों की व्यवस्था करना और जायज ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने तथा अवस्थापना संबंधी सुविधाओं को जुटाने में सहायता करना शामिल है ।

विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजी गई धनराशि में कमी

1719. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भारत में अपने आश्रितों को भेजी गयी धनराशि में काफी कमी हुई हैं, हालांकि विदेशों में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वदेश भेजी गयी धनराशि में भारी कमी होने के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) चालू विनियमों के अन्तर्गत देश में भेजी जाने वाली 10,000 रुपये से कम की व्यक्तिगत रकमों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने की कोई जरूरत नहीं होती । चूंकि विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में अपने आश्रितों को भेजी गयी रकमें आम तौर पर 10,000 रुपये से कम होती है, इसलिए गत वर्ष की तुलना में, चालू वर्ष में इन रकमों में हुई कमी की जांच करने के उद्देश्य से परिवार के भरण पोषण के लिए देश में भेजी गयी रकमों की मात्रा बताना संभव नहीं है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

तस्करी की वस्तुओं की बिक्री

1720. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारी वर्ग यह महसूस करता है कि पकड़े गये तस्करों के माल को सामान्यतः नीलाम करने अथवा खुले बाजार में बेचे जाने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाय ;

(ख) क्या बाजार में बेची जा रही तस्करी की वस्तुओं को ऐसे दुकानदार जमा कर लेते हैं जो सीमाशुल्क विभाग से खरीदी गई कुछ आयातित वस्तुएं रखते हैं जिससे वे निषिद्ध वस्तुओं की बिक्री को छुपा सकें जो उन वस्तुओं से कई गुना होती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पकड़ी गई तस्करी की वस्तुओं की बिक्री के लिये सरकार का क्या उपयुक्त तरीका निकालने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) से (ग) : जब्त किये गये तस्करी के माल को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही सहकारी समितियों तथा कैन्टिनों के जरिए तथा वास्तविक उपभोक्ताओं और कोटा-धारियों तक सीमित सार्वजनिक नीलामी द्वारा उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है ।

चूंकी जब्त किये गये माल को विभाग द्वारा खुले बाजार में नहीं बेचा जाता, इसलिए दुकानदारों द्वारा बिक्री वाउचरों के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता । तथापि जब्त किये गये माल की बिक्री को वर्तमान पद्धति को, जो कुछ समय से प्रचलित है, इस समय समीक्षा की जा रही है ।

Seizure of Contraband Articles

1721. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the break-up of the value of the smuggled goods seized by the Excise Customs officers in 1971-72, 1972-73 and 1973-74.

(b) the names of the persons from whom these were seized and the names of those places;

(c) whether any foreigner has also been arrested in this regard;

(d) the number of motorious smugglers who have not yet been arrested; and

(e) the steps being taken to arrest them?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) The value of seizures of goods involved in smuggling is as follows :—

1971—72	2034 (Rs. in lakhs)
1972—73	2704 ,,
1973—74	4103 ,,

(b) Most of these goods were seized in areas around the West Coast and Tamil Nadu Coast and include seizures from conveyances and unclaimed goods. The number of persons and places from whom seizures have been made would be very large. It would, therefore, be difficult to compile the information regarding names of such persons and places, as required by the Honourable Member, within a resonable time. If the Hon.'ble Member desires to have information about any particular case or cases, the same will be collected and furnished.

(c) Yes, Sir. Some foreigners have also been arrested.

(d) Amongst the persons against whom detention orders have been issued by the Government of India under the provisions of the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1974, only Rawatmal Golyan has escaped arrest so far. In addition, there are others against whom detention orders have been issued by the State Governments, but who may not have been detained yet.

(e) The State Governments are keeping a watch in respect of absconding persons. In addition, the appropriate Government may, in respect of such absconders, take necessary action as provided under Section 7 of the Maintenance of Internal Security Act, 1971.

मफतलाल ग्रुप के कर्मचारियों से वेतन से काटा गया आय कर

1722. **श्री लालजी भाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि मफतलाल बंधुओं के कर्मचारियों के वेतन से काटे जाने वाले आयकर को सात दिन की अवधि में नियमित रूप से जमा नहीं कराया जा रहा जैसे कि कानूनी व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो 1971–72 से 1973–74 तक वर्षवार कितनी बार समय पर राशि नहीं जमा कराई गई ;

(ग) निर्धारित समय पर आयकर की राशि न जमा कराने के कारण जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ; और

(घ) उपर्युक्त त्रुटि के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों में मफत लाल समूह के 27 एककों में से 6 एककों द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतनों में से स्रोत पर काटे गये आयकर की रकमों को जमा कराने में हुए साधारण विलम्ब के 20 मामले सरकार की जानकारी में आये हैं। वर्षवार आंकड़े नीचे दिये अनुसार हैं :—

1971–72	13
1972–73	6
1973–74 . .	1
कुल .	20

(ग) तथा (घ) चूंकी की किस्म को तथा सम्बधित एककों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों को देखते हुए कोई दण्ड लगाना आवश्यक नहीं समझा गया। परन्तु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 (1ए) के अधीन कर की रकम पर काटे जाने की निर्धारित तारीख से कर जमा कराने की तारीख तक ब्याज वसूल करने की कार्यवाही की गयी है।

जीवन बीमा निगम तथा युनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा मफतलाल ग्रप . मिल्स को ऋण मंजूर किया जाना

1723. **श्री लाल जी भाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी और जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया जैसी सरकारी हितवाली स्वतन्त्र संस्थाओं द्वारा मैसर्स मफतलाल ग्रुप आफ मिल्स को दिए गए ऋणों की राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऋणों के देने का क्या उद्देश्य था और क्या किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए दिए गए कुछ ऋणों को अन्य प्रयोजनों में लगाया गया और उनका उचित उपयोग नहीं किया गया ;

(ग) यदि हां, तो मंजूर किये गये ऋणों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने का काम जिस संस्था को सौंपा गया था, उनके प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में अगर कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) : भारत के जीवन बीमा निगम, भारत के औद्योगिक वित्त निगम तथा भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1971-72, 72-73 तथा 73-74 में मफत लाल समूह की मिलों को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है।

भारत के औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया) ने इन मिलों को वर्ष 1971-72 में 246 लाख रुपये, वर्ष 1972-73 में 3 लाख रुपय, तथा वर्ष 1973-74 में 3 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। भारत के औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा ये अग्रिम विस्तार तथा आधुनिकी करने के विशिष्ट परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

अन्य वित्तीय संस्थानों से सुचना एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सदन पटल पर रखे दी जायगी।

Loan Advanced by LIC to J.K. Synthetics Limited, Kota

1724. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loan advanced by the Life Insurance Corporation of India to the J.K. Synthetics Limited, Kota for construction of houses;

(b) whether the loan has been utilised properly for constructing the houses; and

(c) the outlines of the progress made in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) No housing loan has been advanced by the Life Insurance Corporation of India to the J.K. Synthetics Limited, Kota, for construction of houses.

(b) and (c) Do not arise.

विद्युत चालित करधा मालिकों द्वारा उत्पाद शुल्क की अदायगी

1725. श्री लालजी भाई : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटीर उद्योग के अन्तर्गत विद्युतचालित करघों के मालिक बहुत कम उत्पाद-शुल्क की अदायगी कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) तथा (ख) यह अनुमान लगाया गया है कि यह प्रश्न सम्मिलित शुल्क कार्य विधि के अधिन कार्य करन वाले विद्युत-करघा एककों से संबंधित है। जिन निर्माताओं के पास 49 तक विद्युत करघे है उनके द्वारा निम्नानुसार सम्मिलित दरों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क देय होगा :

	यदि शुल्क प्रति तिमाही अदा किया जाता है	यदि शुल्क प्रतिवर्ष अदा किया जाता है
	रु०	रु०
जहां 4 से अधिक विद्युत करघे नहीं लगे हों .	2.50	10.00
जहां 4 से अधिक परन्तु 24 से अनधिक विद्युत करघे लगे हों	20.00	75.00
जहां 24 से अधिक परन्तु 49 से अनधिक विद्युत करघे लगे हों .	40.00	150.00
	(उपर्युक्त दरें प्रति विद्युत करघा है)	

विद्युत करघों द्वारा देय शुल्क की सम्मिलित दरें जानु बूझकर कम रखी गयी हैं, क्यों कि विद्युत करघों पर निर्मित सूती वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क मुख्यतया धागा तैयार होने की अवस्था पर और उस

अवस्था पर वसूल किया जाता है जब विद्युत करघे पर बुना गया कोरा वस्त्र विद्युत की सहायता से तैयार किया जाता है।

Supply of Mica to various countries by MMTC

1726. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Minerals and Metals Trading Corporation faces any difficulty in getting the required mica for supply against the orders placed by various countries;

(b) if so, the names of the countries which have not yet been supplied mica against their orders and the total value of such orders placed by those countries with Minerals and Metals Trading Corporation; and

(c) the steps being taken by Government for immediate supply thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) The Minerals and Metals Trading Corporation has been by and large meeting its sales commitment to various countries.

(b) and (c) Do not arise.

Commodities having large export potential

1727. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the name of the commodity exported to foreign countries by India in the largest quantity during the current year indicating the names of foreign countries to which the commodity was exported and the value of that commodity?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : Based on the data compiled and published by the Director General, Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta, of the latest commodity-wise details available for the period April-June, 1974, jute manufactures valued at Rs. 69.4 crores was the largest commodity exported to foreign countries. The principal countries for the exports were USA (Rs. 24.2 crores), USSR (Rs. 12.5 crores), Japan (Rs. 6 crores), and Australia (Rs. 3 crores).

पी० बी० सी० कैबल्ज के निर्यात को बढाने हेतु नक़दी राज सहायता योजना को पुनः चालू करना

1728. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० वी० सी० कैवल्ज के निर्यात को बढ़ाने हेतु नक़दी राज सहायता योजना का पुनः चालू करनें का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो योजना कब से लागू की जायेगी ; और

(ग) नक़दी राज सहायता की कितनी राशि दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पी० वी० सी० कैबल्ज के निर्यात विभिन्न प्रकार के केबल्ज के अनुसार विभिन्न दरों पर नक़द प्रतिपूरक समर्थन प्राप्त करने के लिए पहले ही पात्र है। इसलिए उसे फिर सें चालू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

रुबल की तुलना में रुपये का मूल्य

1729. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सोवियत संघ ने रुपये की विनिमय दर को दो बार कम किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दोनों बार इस प्रकार रुपये का कितना अवमूल्य किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) चालू वर्ष में रूस के स्टेट बैंक ने गैर-वाणिज्यिक लेनदेनों के लिए समय-समय पर रुबल के संदर्भ में रुपये की विनिमय दर में निम्न प्रकार संशोधन किया है :

1.3.74	100 रुपये	9.51 रुबल
1.4.74	100 रुपये	9.61 रुबल
1.5.74	100 रुपये	9.50 रुबल
1.6.74	100 रुपये	9.55 रुबल
1.9.74	100 रुपये	9.47 रुबल
1.11.74	100 रुपये	9.44 रुबल

रूस के स्टेट बैंक के अनुसार समय-समय पर घोषित विनिमय दर रुबल के संदर्भ में भारतीय रुपये के वास्तविक मूल्य पर आधारित है जो भारतीय रुपये के साथ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में प्रचलित मुख्य मुख्य मुद्राओं की क्रास दरों का औसत निकाल कर बैंक द्वारा निकाली गयी है । इस मामले पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों का बेचा जाना

1730. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित कुछ होटलों पर मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री करने पर मुकद्मा चलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उनके विरुद्ध कितनी बार मुकद्दमा चलाया गया और सम्बन्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित किसी भी होटल पर मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री करने पर मुकद्मा नहीं चलाया गया है । किन्तु लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर, तथा होटल जनपथ नई दिल्ली, के कुछ कर्मचारियों पर मिलावटी खाद्य पदार्थ स्टोर करने के बारे में मुकद्मा चलाया गया है । निगम द्वारा इन कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि मामला न्यायाधीन है ।

आयात लाइसेंस के दुरुपयोग के बारे में विधान

1731. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिये कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) आयात व निर्यात नियंत्रण अधिनियम के वर्तमान दण्ड उपबन्धों में संशोधन करने की प्रस्थापना है ताकि आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी आयात लाइसेंसो का दुरुपयोग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कठोर उपाय कर सकें।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

ऋण प्रतिबन्ध के बारे में आल इंडिया कान्फेन्स आफ स्टेट को आपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन की मांग

1732. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आल इंडिया कान्फेन्स आफ स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन' के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगायें गयें ऋण प्रतिबन्ध से छूट देने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ऐसा प्रतीत होता कि सरकार को 'आल इण्डिया कान्फ्रेंस आफ स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन' का इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए ऋण प्रतिबन्ध विषयक उपायों से छूट की मांग की गयी हो ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान की निर्यात क्षमता

1733. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान की निर्यात-क्षमता का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात-योग्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) राजस्थान सरकार ने अपने राज्य का निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण करने का काम भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को सौंपा था। संस्थान ने नवम्बर, 1974 में सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और उसे राज्य सरकार को दे दिया है। सर्वेक्षण पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस सर्वेक्षण के अनुसार निर्यात योग्य वस्तुओ में ये शामिल हैं, गुआर गम, हस्तशिल्प की वस्तुएं, हथकरधा तथा हाथ से छपे टैक्सटाइल, मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान रत्नों से जड़े आभूषण, बकरी के बालों की पट्टियां, ऊनी कालीन तथा नमदे आदि ।

राजस्थान को धागे (यार्न) की सप्लाई

1734. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष, 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान राजस्थान की ऊनी कपड़ा बनाने वाली मिलों को किसी धागे की सप्लाई की गई है ;

(ख) क्या सप्लाई की गई मात्रा राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) ऊनी धागे के उत्पादन, कीमत तथा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। अत: प्रश्न में उल्लिखित अवधि के लिए किसी कानूनी आदेश के अन्तर्गत ऊनी धागे की सप्लाई का प्रश्न नहीं उठता। जबकि ऊनी प्रणाली पर काम कर रही मिलें अपनी आवश्यकताएं स्वदेशी स्रोतों से पूरी करती है, वर्स्टेड तथा शाडी क्षेत्र की मिलों को आयातित कच्चे माल पर निर्भर रहना पड़ता है जिसकी मात्रा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करती है समस्त देश में वर्स्टेड तथा शाडी एकक में कच्चे माल की कमी के कारण दो पारियों से कम के आधार पर काम करते हैं तथा यही स्थिति राजस्थान की मिलों के साथ भी है।

गुजरात के कैरा जिले में राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

1735. श्री डी० डी० दसाई : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात में विशेषकर कैरा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं खोली गई, और

(ख) इसी अवधि में उन्होंने कुल कितनी राशि के ऋण दिये ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जुलाई, 1971 से जून, 1974 तक की तीन वर्ष की अवधि में 14 राष्ट्रीयकृत बैंको समेत सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने गुजरात राज्य में 325 नये कार्यालय खोलकर अपने शाखा तंत्र को विस्तृत किया है। इनमें से 29 कार्यालय कैरा जिले में खोले गये हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना नीचे दी जा रही है :

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत सरकारी क्षेत्र के बकों द्वारा गुजरात राज्य में दिए गये ऋणो की बकाया राशि

अन्तिम शुक्रवार को	राशि (करोड़ रु० में)
जून, 1972	328.05
जून, 1973	408.18
दिसम्बर, 1973	439.04

महाजनों के घरों पर आयकर अधिकारियों द्वारा छापे मारना

1736. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि प्रसिद्ध डाक्टरों और वकीलों के घरों पर छापे मारे गये तथा लेखा बाह्य धनराशि तथा जेवरात जब्त किये गये किन्तु देश में विशेषकर बिहार में किसी भी महाजन के घर पर अभी तक छापा नहीं मारा गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आयकर विभाग द्वारा तलाशियां लेने में कर-निर्धारितियों के विभिन्न वर्गों में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता । जब आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 में निर्दिष्ट शर्तें सन्तोष जनक रूप से पूरी हो जाती हैं, तो तलाशी का आयोजन किया जाता है ।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष में बिहार में कुछ तलाशियां उन व्यक्तियों के मामलों में दी गई हैं जो रुपये उधार देने का धन्धा करते हैं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

ईक्विटी के मूल्यों पर बोनस शेयरों के बारे में जारी किये किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रभाव

1737. सरदर स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **वित्त** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस शेयर जारी किये जाने के लिए दो नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कारण वर्तमान ईक्विटी के मूल्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा उनमें कमी हुई है तथा आर्थिक प्रगति में बाधा आने की संभावना है ;

(ख) क्या धनराशि को ईक्विटी की बजाय अन्य अधिक लाभप्रद कार्यों में लगाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जून 1974 से शेयरों इक्विटी के मूल्यों में जो सामान्य गिरावट आयी है, उसे मुख्यतः बोनस शेयरों के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधनों का परिणाम नहीं कहा जा सकता है । शेयरों के मूल्यों में जो गिरावट आया है उसके कई कारण हैं जैसे कम्पनियों द्वारा लाभांश के रूप में निवल लाभों के वितरण पर एक, बिजली की कमी, सूखे की स्थिति आदि । अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि शेयरों मूल्यों में आयी गिरावट से आर्थिक प्रगति में बाधा पड़ने की आशंका है ।

(ख) और (ग) ब्याज की दरें बढ़ा दिये जाने के कारण ऐसा लगता है कि कुछ पूंजी ईक्विटी के बजाय बैंकों में और कम्पनियों में जमा करायी जा रही है । सरकार स्थिति पर नजर रख रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तस्करी

1738. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, दमदम, सांताक्रुज और मद्रास जैसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रेस्टोरेंटो के ठेकेदारों की सांठ-गांठ से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से स्वर्ण सहित निषिद्ध वस्तुओं को चोरी-छिपे ले जाया जाना अब भी जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी को रोकने के लिये सरकार का तुरन्त क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) पिछले दो वर्षों में दिल्ली, कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थिति रेस्टोरेंटों के ठेकेदारों की सांठगांठ से निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी के किसी मामले का पता नही चला है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

कोका कोला निर्यात निगम

1739. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री कम्पनियों द्वारा विदेशी ब्रांड के नामों के प्रयोग पर प्रतिबंध के बारे में 10 मई, 1974 के अतारंकित प्रश्न संख्या 9989 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम ने भारत में अपने व्यापार चिन्हों का उपयोग करते रहने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत एक आवेदन दिया है ;

(ख) क्या कोका कोला निर्यात निगम अपने कोका कोला बनाने वाले को कोका-कोला के मूल पदार्थों की अनिवार्य खरीद के बिना अपने व्यापार चिन्हों का उपयोग करने देता है ;

(ग) क्या मूल पदार्थ किसी को भी बेचे जाते हैं जो व्यापार चिन्ह का उपयोग नहीं करते ;

(घ) क्या यह कम्पनी अपने व्यापार चिन्ह के उपयोग के बदले में बिक्री तथा स्वमित्व संबंधी शर्तों के माध्यम से प्रत्यक्ष रुप स अथवा अप्रत्यक्ष रुप से स्वमित्व प्राप्त कर रही है ; और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं । कोका-कोला निर्यात निगम व्यापार चिन्हो (कोका-कोला, कोक, फंटा आदि) का मालिक नहीं है और इसलिए इसके द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अधीन आवेदन पत्र देने का कोई सवाल नहीं होता । किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका की कोका-कोला कंपनी ने कोका-कोला निर्यात विनिगम की भारतीय शाखा और भारत में बोतलें भरने वाले 21 कारखानों दवारा अपने व्यापार चिन्हो/ब्रांडों का इस्तैमाल किये जाने की अनुमति देने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के साथ गठित धारा 28(1) (ग) के अधीन एक आवेदन पत्र दिया है ।

(ख) और (ग) कोका-कोला निर्यात निगम संयुक्त राज्य अमेरिका की कोका-कोला कम्पनी की सहायक कम्पनी है और इस पर उसका पूर्ण स्वमामित्व है तथा वही अमरीका कम्पनी व्यापार चिन्हों की भी मालिक है । संयुक्त राज्य अमेरीका की कोका-कोला कम्पनी और भारत में बोतले भरने वाले कारखानों के बीच हुए पंजीकृत उपयोगकर्ता करार में यह शर्त है कि व्यापार चिन्हों का उपयोग करने वाले उसके द्वारा या उसके नामांकितियों दवारा सप्लाई किये जाने वाले कान्सेन्ट्रेटस और/या सिरप से बना अल्कोहल वाले पेय तैयार करेंगे और बोतलो में भरेंगे । कोका-कोला निर्यात निगम की भारतीय शाखा भारत में कान्सेंट्रेट्स तैयार करती है जो बोतलें भरने वाले स्थानीय कारखानों को सप्लाई किये जाते हैं ।

(घ) व्यापार-चिन्हों के उपयोग के लिए रायलटी या अन्य परिलब्धियों की अदायगी करनेके बारे में संयुक्त राज्य आमेरिका की कोका-कोला कंपनी द्वारा भारत के बोतलें भरने वाले कारखानों के साथ किये गये पंजीकृत उपयोगकर्ता करार में कोई व्यवस्था नहीं है । यह मालूम नहीं है कि कोका-कोला निर्यात निगम की भारतीय शाखा द्वारा सप्लाई किये जाने वाले कान्सेंट्रेट्स के बिक्री मूल्य में इस प्रकार के व्यापार-चिन्हों के प्रयोग के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किसी रायल्टी का अंश सामिल है या नहीं

(ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका की कोका-कोला कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के साथ पठित 28(1) (ग) के आधीन दिये गये आवेदनपत्र पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है ।

आयकर कर्मचारी संघ (इनकम टैक्स एम्प्लाइज फेडरेशन) का विधान में संशोधन

1740. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री आयकर कर्मचारी संघ के विधान में संशोधनों के बारे में 3 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9054 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आयकर संयुक्त कार्यकारी संघ के विधान में 27 अप्रैल, 1972 को हुई इसकी आम सभा की बैठक में किये गये तथा मई, 1973 में वार्षिक प्रतिनिधि सम्मेलन में अनुसमथित संशोधन इस प्रकार के हैं कि उन पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्वीकृति अपेक्षित है ;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को संशोधन प्राप्त हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या संघ को उत्तर में बोर्ड के निर्णय भेज दिये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) 27 अप्रैल 1972 से पहले, दिल्ली आयकर संयुक्त कार्मचारी संघ नाम का कोई संघ अस्तित्व में नहीं था इसलिए, उस तारीख को उक्त संघ की आम सभा की बैठक में इसके संविधान में कोई संशोधन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली आय-कर (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी संघ को सितम्बर 1969 में मान्यता प्रदान की गई थी । सरकार को सुचना मिली थी कि 27 अप्रैल 1972 को हुई आप सभा की बैठक में संवियान में संशोधन किया गया था जिससे संघ का नाम बदल कर 'दिल्ली आयकर संयूक्त कार्मचारी संघ रखा जा सके । संघ के नाम में प्रस्तावित परिवर्तन महत्वपूर्ण किस्म का होने से सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी । प्रस्तावित संशोधन के संबन्ध में, सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए विशिष्टत: कोई पत्र प्रोप्त नहीं हुआ, और इसलिए सरकार ने इस बाबत कोई उत्तर नहीं भेजा ।

आयकर कर्मचारी संघ (इनकम टैक्स एम्प्लाइज फेडरेशन) से सम्बद्ध यूनियन और एसोसिएशन

1741. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री आयकर कर्मचारी संघ से सम्बद्ध यूनियनों/एसोसिएशनों के बारे में 1 मार्च 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1476 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे सभा-पटल पर कब रखा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) मांगी गई सूचना सदन-पटल पर 20 नवम्बर 1974 को रख दी गई है ।

रूई व्यापार को अधिकार में लेने की योजना

1742. श्री धामनकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम की रुई उद्योग को अपने अधिकार में लेने की योजना वस्तुत: रद्द हो गई; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय रूई निगम को संपूर्ण रुई व्यापार को अपने हाथ में लेने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा की नि ति क्षमता

1743. श्री अनादि चरण दास :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा की निर्यात क्षमता की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में उड़ीसा ने निर्यात से कितनी धनराशि अर्जित की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1969–70 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने उड़ीसा राज्य सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा राज्य का एक निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण किया । तदनुसार निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की गई ।

(ख) इस सर्वेक्षण के अनुसार निर्यात की वस्तुओं में लौह अयस्क, मेंगनीज अयस्क, फरा-सिलीकौन संलरहित चावल की भूसी, इस्पात की पाइपें तथा ट्यूबें, तार तथा केबल, रिफ्रेक्टरीज आदि शामिल हैं ।

(ग) राज्य वार निर्यात आय के आंकड़े संकलित नहीं किये जाते ।

श्रमिकों को दिये जाने वाले बोनस भुगतान पर अनिवार्य जमा योजना का प्रतिकूल प्रभाव

1744. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में जारी किये गये अध्यादेश के जरिए अनिवार्य बचत योजना से अपने बोनस अथवा अनुग्रहपूर्वक भुगतान प्राप्त करने के बारे में श्रमिक वर्ग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जाहिर है कि प्रश्न में अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 के बारे में उल्लेख किया गया है । अध्यादेश के स्थान पर अब अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 लागू कर दिया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि अध्यादेश जारी करने की तारीख (6 जुलाई, 1974) के बाद चुकाया गया ऐसा कोई भी बोनस अनिवार्य जमा के लिए अतिरिक्त वेतन गिना जाएगा जिसकी अदायगी उस दर से अधिक दर पर की गयी हो जिस दर पर उक्त तारीख से पहले उसकी अन्तिम अदायगी की गयी थी । किन्तु अधिनियम की धारा 17 के अधीन 30 अक्टूबर, 1974 को जारी की गयी एक अधिसूचना के अनुसार 6 जुलाई, के बाद कानूनी न्यूनतम दर अर्थात् 8.33 प्रतिशत की सीमा तक की गयी बोनस की अदायगियां अनिवार्य जमा के लिए अतिरिक्त वेतन नहीं मानी जाएंगी । इस छूट में, बोनस अदायगी अधिनियम, 1956 के अधीन की गयी बोनस अदायगियां और नयी कंपनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा बोनस अदायगी अधिनियम की धारा 16(1) के खण्ड (ख) के अधीन बोनस अवकाश की अवधि में की गयी कृपापूर्ण अदायगियां शामिल हैं । इस प्रकार न्यूनतम दर पर की गयी कृपापूर्ण अदायगियों सहित बोनस की अदायगियों का कोई भी अंश अनिवार्यतः जमा नहीं किया जाएगा और जहां बोनस अधिक दर पर मंजूर किया गया हो वहां कर्मचारी को न्यूनतम दर या पिछले वर्ष की दर, इनमें से जो अधिक हो, उस पर दर नकद अदायगी की जाएगी ।

अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम 1974 मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए चालू किये गये उपायों में से एक उपाय है । यद्यपि इस उपाय से कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर कुछ कठिनाई हो सकती है किन्तु लम्बे अर्से में उनका हित मुद्रास्फीति को कम करने में ही है । बोनस के किसी भाग को अनिवार्यतः जमा की जाने वाली रकम, जहां अपेक्षा की गयी हो केवल एक साल के लिए ही जमा की जाएगी और उसके बाद यह रकम बैंक जमा की दर से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक दर के हिसाब से साधारण ब्याज सहित-बराबर बराबर की पांच वार्षिक किस्तों में चुकायी जाएगी। इसलिये बोनस अदायगियों में से उपर्युक्त ढंग से अनिवार्यतः जमा की जाने वाली राशि यों के कारण श्रमिक वर्ग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

चीनी कारखानो को बैंक ऋण के लिए छूट देना

1745. **श्री प्रबोधचन्द :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी कारखानों ने बैंक ऋण में छूट दिये जाने का अनुरोध किया है और अधिक मात्रा में ऋण के लिये भी अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सु ह्मण्यम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है उसकी भारतीय चीनी मिल संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई हाल की बैठक में, इस संघ ने अभ्यावेदन किया था कि निर्बंध (फ्री) चीनी के स्टाक के वास्ते दिये जाने वाले अग्रिमों के अपेक्षाकृत उच्चस्तर मार्जिन को घटा कर उसी स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिये, जिस पर कि लेवी चीनी के स्टाक के वास्ते दिये जानेवाले अग्रियों के संबंध में निर्धारित है । संघ ने इस बात पर भी जोर दिया था कि पिछले मौसम में प्राप्त ऋणों के मुकाबले इस मौसम में बैंकों से अधिक मात्रा में ऋण दिया जाय और बैंकों द्वारा किये वसूले किये जाने वाले ब्याज की दरों में भी कमी की जाये ।

संघ के अभ्यावेदन पर ध्यान से विचार करने पर और बैंको के ऋण-विस्तार पर निरन्तर प्रतिबन्ध की आवश्यकता और 1974-75 के चालू मौसम में चीनी के उत्पादन के सम्भाव्य स्तरों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय चीनी मिल संघ को सूचित किया था कि उक्त उद्योग को 1973-74 में बैंकिंग व्यवस्था से दिये गये ऋणों के मुकावले अधिक मौसमी ऋणों की आशा नहीं करनी चाहिए निर्बन्ध बिक्री की चीनी के वास्ते दिये गये अग्रिमों के लिए आर्जित अपेक्षाओं के बारे में, जोकि लेवी चीनी के वास्ते दिये गये अग्रिमों संबंधी 15 प्रतिशत के मुकाबले 25 प्रतिशत है, उनके संबंध भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संघ को स्पष्ट किया है कि इन मार्जिन अपेक्षाओं को अन्य वस्तुओं के वास्ते किये गये अग्रिमों के संबंध में प्रचलित मार्जिनों की तुलना में अधिक उंचा नहीं माना जा सकता; और निर्बन्ध बिक्री की चीनी और लेवी चीनी के लिए दिये गये अग्रिमों के मार्जिनों में जो भिन्नता है वह उचित ही है । इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के बाहर जिस चीनी का निर्यात किया जाना है उसके भण्डारों के संबंध में मंजूर किये गये अग्रिमों को, मार्जित अपेक्षाओं से पूरी छूट मिली हुई है ।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों के अन्तर्गत, चीनी बनाने वाली पार्टियों को दिये गये अग्रिमों पर लिए जाने वाले ब्याज की न्यूनतम दर 15 प्रतिशत निर्धारित कर दी गयी है । यह दर निर्बन्ध बिक्री की चीनी के उन भण्डारों के वास्ते किये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में है जो बिक्री के लिए मुक्त कर दिये गये है । निर्बन्ध चीनी के उन भण्डारों के वास्ते जोकि बिक्री के लिए मुक्त नहीं किये गये है, अग्रियों पर ब्याज की दर 14 प्रतिशत निर्धारित की गयी है । भारतीय रिजर्व बैंक ने संघ को सूचित किया है कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों के अन्तर्गत समय-समय-पर निर्धारित न्यूनतम दरों के अधीन रहते हुए, ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दरों के निर्धारण का फैसला, अलग अलग बैंक द्वारा सूधार साधन संबंधी अपनी स्थिति तथा बैंक ग्राहक के परस्पर संबंधी को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

तेल के आयात के लिए ऋण

1746. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री अनादि चरण दास :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनंदन लाल भाटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय तेल के आयात के लिए ऋण लेने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए कुछ देशों/अभिकरणों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की जा रही है।

पांडिचेरी की फर्मों को आयात लाइसेंस देना

1747. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री पांडिचेरी को सात फर्मों को आयात लाइसेंस दिये जाने के बारे में 9 सितम्बर, 1974 को लोक सभा में वाद-विवाद के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाद-विवाद में निर्दिष्ट फर्मों में से प्रत्येक फर्म के मालिक का नाम क्या है ;

(ख) प्रत्येक फर्म के निदेशक मंडल के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) प्रत्येक फर्म में प्रत्येक प्रिन्सिपल शयरधारो के शेयरों की प्रतिशतता और उनका मूल्य कितना है ;

(घ) इनमें से प्रत्येक फर्म का मुख्य कारोबार क्या है ;

(ङ) क्या पाँडिचेरी की इन फर्मों में बम्बई की किसी फर्म अथवा फर्मों का स्वाथ है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) उन फर्मों के नाम, जिन्हें लाइसेंस दिए गए थे, निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) मेसर्स मारिमुत्थु वेड्डियार,
चर्च स्ट्रीट, कराइकल ।

(2) मेसर्स ए० एन० अ कर,
17, दुर्गा मार्केट, कराइकल ।

(3) मेसर्स एस० मोहम्मद जकारिया ननीकर,
नंदागदुगु स्ट्रीट, कराइकल ।

(4) मेसर्स एस० चिदाम्बरम,
29 संकरदास स्ट्रीट, पांडिचेरी ।

(5) मैसर्स जी० एस० गणपति राव,
ग्रांड बाजार, यनम ।

(6) मैसर्स आर० मुथियन,
नं० 1, फर्स्ट स्ट्रीट, कंबन नगर एक्सटेंशन, पांडिचेरी ।

(7) मैसर्स कुमारन स्टोर्स,
54, चैट्टी स्ट्रीट, पांडिचेरी ।

(ख) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सशस्त्र सैनिकों को बकाया राशि की अदायगी

1748. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सैनिकों को तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुसार देय राशि दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से अदायगी की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक अदायगी किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरुप सशस्त्र सैनिकों के वेतनमानों का पुनरिक्षण सरकार ने निम्नलिखित तिथियों को किया है :

(i) सैनिकों के संबंध में 30 मई, 1974 को

(ii) अधिकारियों के संबंध में 7 नवम्बर, 1974 को।

(ख) पुनरीक्षित वेतनामानों के आधार पर उपलब्धियों तथा बकाया राशी का 1-1-1973 से भुगतान निम्नलिखित सीमा तक हो चुका है :

थल सेना	अक्तूबर, 1974 के अन्त तक 96 प्रतिशत
नौसेना	अक्तूबर, 1974 के अन्त तक 11 प्रतिशत
वायुसेना	100 प्रतिशत

इससे पूर्व अन्तरिम भुगतान किए गए थे ।

(ग) पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर लेखा अधिकारियों को व्यक्तिगत पात्रता के बारे में हिसाब लगाना होता है तथा आवश्यक प्राधिकरण जारी करने होते हैं। इस काम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है लेकिन कर्मचारियों की कमी से यह काम निर्बंधित है । बकाया राशि के भुगतान का काम निकट भविष्य में पुरा हो जाने की आशा है ।

चौथी योजना के दौरान राहत कार्यों में वृद्धि

1749. **श्री वसंत साठे :**

श्री धामणकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में राहत कार्य पर 13.41 करोड़ रुपया औसत वार्षिक खर्च की तुलना में इस खर्च में चौथी योजना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा 1972-73 में यह राशि 318 करोड़ रुपय हो गई ;

(ख) क्या राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों के समय धनराशि खर्च किये जाने के मान दण्ड के बारे में छठे वित्त आयोग ने कुछ विशिष्ट सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुकर्जी) : (क) छटे वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तीसरी आयोजना की अवधि में के दौरान 13.41 करोड रुपये के वार्षिक औसत व्यय के मुकाबले, राज्य के बजटों में मुक्य शिर्ष 64 अकाल सहायता" के अधीन व्यय में तीन वार्षिक आयोजनाओं की अवधि में 81.01 करोड रुपये की औसत वृद्धि हुई है और चोथी आयोजना की अवधि में इस प्रवृत्ति में असाधारण वृद्धि हो गयी और यह व्यय 1972–73 में 318 करोड रुपये पहुंच गया।

(ख) छटे वित्त आयोग ने सहायता पर खर्च के लिए प्रत्येक राज्य में हर वर्ष कुल मिला कर 50.71 करोड रुपये की रकमों की मंजुरी दी है जब कि पिछले वित्त आयोग ने 14.47 करोड रुपये की मंजूरी दी थी। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि सहायता पर खर्च के लिए कद्रीय सहायता की योजना को जो इस समय लागू है और जिसस सूखा सहायता के नाम पर बडे पैमाने पर अनुत्पादक व्यय किया जाता है, पूरी तरह नये सिरे से तैयार किया जाय, सूखा तथा बाढ वाले क्षत्रो में स्थायी सुधार की मध्यम और दीर्घकालिन महत्व को योजनाओ को पहले हो तैयार कर लिया जाय और उन्हें आयोजना के भाग के रूप में लागू किया जाय और प्राकृतिक विपत्तियों के वर्ष में ऐसी योजनाओं को लागू करने को गति को तेज कर दिया जाय और यदि आवश्यक हो, तो आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि को पहले ही दे दिया जाय।

(ग) इस संबंध में वित्त आयोग की शिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर लिया है ।

भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा किए गए आर्थिक अपराध

1750. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आर्थिक अपराधो में अन्तर्गस्त भारतीय तथा बिदेशी कम्पनियों की संख्या क्या है ;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा किये गये आर्थिक अपराधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्बन्धित कम्पनियों के विरूद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय और विदेशी कम्पनियों द्वारा किये गये बडे बडे आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में जो वित्त मन्त्रालय द्वारा शासित अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डनीय हैं, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रखी दी जायेगी।

दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से रेल डिब्बो के निर्यात के लिए क्रयादेश

1751. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल डिब्बों के निर्यात के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से कोई क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने रेल डिब्बों का निर्यात किया जाना है, और क्रयादेशो की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इनकी सप्लाई कब तक की जाएगी और कितनी विदेशी मुद्रा उपार्जित होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) संविदा किए गए वैगनों की संख्या उनका अनुमानित मूल्य, डिलीवरी की तारिख तथा संविदाओं की शर्तें नीचे दी गई है :

संविदा किए गए वैगनों की संख्या तथा देश का नाम	डिलीवरी की तारीख	अनुमानित मूल्य तथा शर्तें
मलेशिया 110 वैगन	दिसम्बर 1975 तक	1.64 करोड़ रु० 95 प्रतिशत डिलीवरी होने पर तथा 5 प्रतिशत एक वर्ष की गारंटी अवधि पूरी होने पर
बंगलादेश 500 वैगन	जुलाई 1976 तक	3.32 करौड़ रु० संविदा के प्रवृत होने के 30 दिन के भीतर 5 प्रतिशत अग्रिम राशि तथा 95 प्रतिशत डिलीवरी हो जाने पर ।

गुजरात और महाराष्ट्र मे पकड़े गए तस्कर

1752. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि इन राज्यों में पकड़े गये बड़े तस्करों को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें कुछ तस्करों के के बारे में गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें न्यायालय में पेश किये जाने के आदेश दिए हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उन्हें इस आधार पर स्थानांतरित किये जाने की मांग की थी कि राज्य सरकारों को यह आशंका है कि तस्करों के राज्यों के बड़े अधिकारियों के साथ सम्पर्क है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने इच्छा प्रकट की थी कि आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अधीन येरवडा जेल में नजरबंद व्यक्तियों को इधर उधर भेज दिया जाए और उनकी गतिविधि के क्षेत्र से दूर स्थानों पर नजरबंद किया जाए। परन्तु गुजरात सरकार द्वारा कोई प्रार्थना नहीं की गई थी।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) ऊपर भाग (ग) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधिन पहले गिरफ्तार किए गए तस्करों की रिहाई

1753. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता :**

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बैंच ने गुजरात राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन गिरफतार तस्करों में से कुछ तस्करों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त निर्णय का अध्ययन किया है ; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) अगर ऐसे ही आदेश उन सभी मामलों में भी जारी किये जाते हैं, जिनमें सरकार ने मुकदमें दायर कर रखे हैं, तो क्या इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ;

(घ) उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिए इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या सरकार ने उन मामलों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकारों से कहा है, जिनमें आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध सम्बद्ध न्यायालयों में मुकदमें दायर किये जा चुके हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को केवल एक मामले में न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है। अन्य मामलों में निर्णय प्राप्त होते ही उन पर विचार किया जायेगा।

(घ) न्यायालय के आदेशों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि जहां कहीं आवश्यक हो उन मुद्दों पर अपील की जा सके। नजरबन्दी के जिन आदेशों को रद्द कर दिया गया है उनकी भी समीक्षा की जा रही है। हाल ही में, राष्ट्रपति का एक आदेश जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम की धारा 3(1) (ग) के अधीन नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के उन अधिकारों को निलंबित किया गया है जिनके अधीन संविधान के अनुच्छेद 14, 21, और 22 (खण्ड 4, 5, 6 और 7) के किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है।

(ङ) सरकार को आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किये जाने की कोई जानकारी नहीं है।

आयात लाइसेंस घोटाले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

1754. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आयात लाइसेंस घोटाले के बारे में देश भर में कितने छापे डाले ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने समस्त देश में एक साथ 23 स्थानों पर तलाशी ली जिन में पांडिचेरी, दिल्ली, बम्बई तथा हैदराबाद में डाले गये छापे भी शामिल हैं; इन छापों के फलस्वरूप दाण्डिक अपराध किये जाने के बारे में प्रमाण इकट्ठा किया गया जिसके आधार पर बाद में उचित कानूनी कार्यवाही की गई।

तस्करों की नजरबंदी

1756. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री माधर्य्य हालदार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'मीसा' के अन्तर्गत हाल में नजरबन्द किये गये सब से बड़े 25 तस्करों की सूची क्या है ; और

(ख) क्या उनके विरूद्ध कोई आरोप लगा दिये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 25 तस्करों की उनके दर्जों के अनुसार सूची बनाना संभव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये नजरबंदी के आदेशों के अनुसार, आंतरिक सुरक्षा अनरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अधीन जिन 19 व्यक्तियों को नजरबंद किया गया है, उन के नाम अनुबंध 1 में दिये गये हैं।

(ख) कानून इस बात की अपेक्षा नहीं करता कि इस अध्यादेश के अधीन नजरबंद किये गये व्यक्तियों के खिलाफ कोई आरोप-पत्र दाखिल किया जाए।

विवरण

अनुबंध 1

क्रम सं०	नजरबन्द व्यक्ति का नाम
1	अरविन्द लीलाधर ढोलकिया
2	ललित ढोलकिया
3	नानू देसाई उर्फ नानू कस्टम्स
4	चम्पालाल पुंजाजी शाह
5	नैनमल पंजाजी शाह
6	कान्तिलाल नानचन्द शाह
7	युसुफ अब्दुला पटेल
8	लल्लू जोगी
9	हाजी मस्तान मिर्जा
10	घमंडीराम केवलजी गोवानी
11	नटुआलाल रुपसी शाह
12	सुकर नरन टिंडेल उर्फ बकिया
13	भाना काल्पा पटेल
14	रतिलाल देव
15	वर्धराज मुनुस्वामी
16	राजबली हीरजी मघानी
17	के० एस० अब्दुला
18	एस० एम० ए० सिद्दीक
19	वी० एम० जी० मारियाप्पा वंडीयार

"इन-प्लांट" विद्युत उत्पादन के लिए विश्व बैंक से ऋण

1757. श्री एस० ए० मुरुगनंतमन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के उर्वरक कारखानों में "इन प्लान्ट" विद्युत उत्पादन के लिये विश्व बैंक से 1 करोड 70 लाख डालर का ऋण मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण की शर्तें क्या ह ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से, जो उदार शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक की एक संबद्ध संस्था है, भारतीय उर्वरक निगम (फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया) के संयंत्र सुधार कार्यक्रम और फर्टिलायझर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की मौजूदा उत्पादन सुविधाओं के लिये 170 लाख डालर का ऋण लिया गया है। इसका इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक अन्य बैलेंसिंग उपकरणों और सुविधाओं के अलावा, आवश्यकतानुसार कैप्टिव पावर प्लांट की व्यवस्था करने के लिए किया जा सकता है। इस समय गोरखपुर में एक कैप्टिव पावर प्लान्ट की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण पर कोई व्याज नहीं लगता लेकिन इन पर एक प्रतिशत के तीन चौथाई की दर से सेवा प्रभार लगेगा। और इसे दस वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाया जायेगा।

कपड़ा मिलों द्वारा उत्पादन में कटौती

1758. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कपड़े की मांग में भारी कमी और अनिश्चित निर्यात के कारण कपड़ा मिलों ने सभी किस्मों के कपड़े के उत्पादन में कटौती करनी शुरू कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो मन्दी को इस खतरनाक स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) देश में हाल ही में कुछ सूती वस्त्र मिलों में तीसरी पारी अंशतः अथवा पर्णतः बंद होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई है। वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में नियुक्त एक अध्ययन दल उत्पादन में कटौती स्टाक के जमा होने की समस्या के बारे तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए जांच कर रहा है। तथापि, अक्तूबर, 1974 मास के लिए मिल क्षेत्र में सूती कपड़े के उत्पादन के अनन्तिम आंकडे समग्र उत्पादन में कोई कमी नहीं दर्शाती। अक्तूबर, 1974 के दौरान कपडे का उत्पादन सितम्बर, 1974 में उत्पादन की अपेक्षा और साथ हीं अक्तूबर, 1973 में उत्पादन की अपेक्षा अधिक रहा है। अक्तूबर 1974 के दौरान धागे का उत्पादन सितम्बर, 1974 में उत्पादन से थोडा सा कम है लेकिन अक्तूबर, 1973 में उत्पादन के स्तर तक पहुंच गया है।

अफीम की तस्करी

1759. श्री शशि भूषण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित अफीम में से आधी अफीम की भारत से तस्करी हो रही है तथा तस्कर इससे भारी लाभ कमा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा अफीम को तस्करों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 15 अक्तूबर, 1974 को स्थानीय समाचार-पत्रों में छपा समाचार सरकार की जानकारी में आया है। परन्तु उसमें उल्लिखित कथन तथ्यों पर आधारित नहीं है। उत्तर प्रदेश में अफीम का वर्तमान उत्पादन लगभग 250 टन प्रतिवर्ष है न कि 24,000 किलोग्राम जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में बताया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में किये गये अफीम के अभिग्रहणों, तथा भारत में तस्कर आयात की जाने वाली और भारत से तस्कर निर्यात की जाने वाली अफीम के अभिग्रहणों, जिनकी मात्रा 1973 में लगभग 800 किलोग्राम है, के आधार पर यह प्रतीत नहीं होता कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित अफीम का किसी बड़ी मात्रा में भारत से तस्कर निर्यात होता हो।

तस्करी को रोकने की दृष्टि से सीमाशुल्क, राज्य अबकारी तथा पुलिस, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय, सीमासुरक्षा दल आदि जैसी विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ निकट सहयोग कायम करके यह सुनिश्चित करने के लिये सतत उपाय किये जाते हैं, कि अफीम पैदा करने वाले क्षेत्रों में तथा निर्गम स्थानों पर उपयुक्त नियंत्रण रहे।

Expenditure on Foreign Tours of Central Ministers

1760. Shri Birender Singh Rao :
Shri Mukhtiar Singh Malik :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the tours abroad of Central Ministers from 1-4-1974 to 31-10-1974 ; and

(b) the amount of foreign exchange spent on these tours ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

Export of Minerals

1761. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a new scheme for export of minerals ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the estimated amount of income to be earned by Government from the export of minerals during 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) About Rs. 160 crores.

Enjoyment of Equal Opportunity in Import/Export by Different States

1762. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether people in different States do not enjoy equal opportunities in the Import and Export trade ; and

(b) whether the people of some States get preference ; and

(c) if so, whether Government propose to take some steps regarding backward States in view of the Constitutional provisions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The import policy provides for certain special facilities to industrial units, in the small scale sector, set up in the specified backward districts/areas. The details of special

facilities and the list of backward districts/areas are given in Appendix 65 of the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol.I), and the salient features of the policy are as follows :

(1) Import licences for raw materials and components are granted to these units on the basis of 70% of the value of installed machinery, subject to maximum of Rs. 2 lakhs for a six monthly period, as against 40% of the value of installed machinery subject to maximum of Rs. 1 lakh for a six monthly period in the case of other industrial units.

(2) Non-priority industries set up in the backward areas are given the same facility and treatment as if they belong to the priority sector.

(3) The modes of financing against which licences are issued to these units will be the same as applicable to the exporting units. In other words, they are given the facility of preferred sources in the matter of import of raw materials and components.

(4) These units are eligible for preferential pricing for supply of canalised items by the canalising agencies against release orders.

(5) Where the import entitlement of such units does not exceed Rs. 10,000 the licence is granted fully against free foreign exchange, as against Rs. 5,000 in the case of other industrial units.

Development of Tourism in Champaran (Bihar)

1763. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Tourism & Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether no work in regard to tourism is being done in backward areas like Champaran (Bihar) ;

(b) whether there are places worth seing in Champaran ;

(c) whether there is not even single standard hotel in Raxaul which is the Gateway of Nepal ; and

(d) whether Government are taking any positive steps in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism & Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) Due to limited resources it has not been possible to undertake tourism schemes in many of the backward areas, including Champaran in Bihar, although some places of historical and archaeological interest are located in Champaran.

(c) & (d) There is no standard hotel at present ; the State Government has a proposal to construct a Rest House-*cum*-Tourist Reception Centre at Raxaul in the Fifth Plan.

एयर इंडिया में तालाबंदी

1764. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री पी० वेंकटासुब्बया :
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :
श्री वीरेन एगंती :
श्री एस० आर० दामाणी :
श्री एस० सी० सामन्त :
श्री हरी सिंह :
श्री के० एम० मधुकर :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

श्री शंकर राव सावन्त :
डा० विक्रम महाजन :
श्री नुरुल हुडा :
श्री बी० के० दास चौधरी :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री के० मालन्ना :
श्री बी० बी० नायक :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री सरजू पांडे :
श्री नारायण चंद पराशर :
श्री शंकर दयाल सिंह :
श्री एस० एम० बनर्जी :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री वसंत साठे :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के प्रबंधकों ने तालाबन्दी समाप्त कर दी है और यदी हां, तो किन-किन शर्तों पर;

(ख) कितने पाइलटों ने स्लिप प्रणाली स्वीकार कर ली है ;

(ग) पाइलटों की कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की गई हैं ;

(घ) हड़ताल के दौरान उड़ानें किस सीमा तक प्रभावित हुई थी ;

(ङ) एयर इंडिया को विदेशी मुद्रा की हानि सहित कितनी हानि हुई; और

(च) एयर इंडिया के कार्यकरण को सामान्य बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर): (क) से (ग) 184 लाइन पाइलटों द्वारा स्लिप प्रणाली को स्वीकार कर लेने तथा व्यक्तिगत रूप से शपथ-पत्र देने के पश्चात् जिसमें यह मान लिया गया है कि परिचालन पद्धति तथा कार्मिक कार्य-नियोजन पद्धति का निर्धारण प्रबंधक-वर्ग के कार्य हैं, ड्यूटी पर आ जाने से एयर-इंडिया के प्रबंधकों ने 1-11-1974 से आंशिक रूप से तालाबंदी उठा ली है।

(घ) हड़ताल की अवधि के दौरान कार्पोरेशन ने गैर कानूनी हड़ताल में भाग न लेने वाले विमान-चालकों तथा प्रशासक विमानचालकों की सहायता से कुछ मार्गों पर कामचलाऊ सेवाएं परिचालित कीं।

(ङ) एयर इंडिया द्वारा 6-11-74 तक उठायी गई हानि का अनुमान 9.65 करोड़ रुपये है जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश 4.97 करोड़ रुपये है।

(च) विमानचालकों का आवश्यक प्रशिक्षण/कार्यकुशलता जांच का कार्य किया जा रहा है तथा उड़ानों को क्रमशः बहाल किया जा रहा है। सामान्य परिचालन 1 दिसम्बर, 1974 तक पुनः प्रारंभ हो जाने की आशा है।

पटसन के मूल्य

1765. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पटसन उद्योग पर केवल 15 परिवार आरम्भ से ही, प्राइमरी मार्केट से लेकर तैयार उत्पादों के निर्यात तक समूचे आधारभूत ढांचे पर नियंत्रण किये हुए हैं ;

(ख) क्या एक ओर जहां रूई जैसे अन्य कृषि उत्पादों के मूल्य अत्यधिक बढ रहे हैं वहां पटसन के थोक मूल्य में केवल आंशिक वृद्धि की ही अनुमति दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा एक ओर पटसन तथा दूसरी ओर रुई के लिये अपनाई गई दोहरी नीति के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) हालांकि पटसन माल के उत्पादन तथा निर्यात क्षेत्रों में कुछपरिवारों के बहु व्यवसाय हित है, फिरभी पटसन व्यापार म व्यापारी, निर्मातक और मिले भारी संख्या में है।

(ख) तथा (ग) रूई तथा पटसन जैसे कृषि-उत्पादों की कीमतें बाजारी शक्तियों द्वारा तय होती है। पटसन माल की मांग बहुत कुछ स्थिर है जिसके परिणाम स्वरूप कच्चे पटसन की कीमतों में तीव्र वृद्धि नहीं हुई। हालांकि सरकार कच्चा पटसन उगाने वालों के लिए लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय करती रही है, किन्तु चालू मौसम में कम फसल होने से कच्चे पटसन की कीमतें सितम्बर, 1974 के अन्त तक तेजी से बढ़ी। उसके बाद आवक में सुधार होने से लगभग 10 प्रतिशत गिरावट आई है ।

तस्करों के सहयोग के साथ भारत-विरोधी शक्तियों की गतिविधियों

1766. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कराची के तस्कर हरून और भाटी काफी समय से एक सुदृढ़ आपराधिक एवं राजनैतिक गिरोह में भारत में विशेषकर बम्बई और गुजरात में, अपने साथियों के साथ काम कर रहे हैं ; और

(ख) क्या हाल ही में यह भी रहस्योद्घाटन हुआ है कि तस्करों के गिरोह के पीछे दुबई-कराची और हांगकांग-सिंगापुर से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चुपचाप कार्य कर रही भारत-विरोधी शक्तियां इस स्पष्ट उद्देश्य से कार्य कर रही हैं कि इस देश की अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाये और जब कभी और जहां कहीं आवश्यक हो उसे क्षति पहुंचाई जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

गुजरात में प्रशासन और तस्करों के बीच सांठ-गांठ

1767. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्कर गिरोह और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सांठ-गांठ के ज्वलन्त उदाहरण के रूप में गुजरात स्थित सूरत हाल ही में अत्यधिक प्रकाश में आया ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि जिन तस्करों के स्थानों से लाखों रुपये का निषिद्ध माल और सोना पकड़ा गया है वे खुले आम घूम रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है अथवा की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) यह सच नहीं है कि हाल ही में गुजरात में सूरत तस्करी-गिरोह और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सांठ-गांठ के एक ज्वलन्त उदाहरण के रूप में प्रकाश में आया ।

(ख) सूरत में 182 तस्कर व्यापारियों के विरूद्ध की गई इस्तगासे की कार्यवाही के अतिरिक्त 25 व्यक्तियों के विरूद्ध आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन नजरबन्दी के आदेश भी जारी किये गये हैं। उन व्यक्तियों के विरूद्ध भी इसी प्रकार की उपर्युक्त कार्यवाही की जायेगी जिनके बारे में सरकार को प्रतिकूल सूचना मिलेगी।

(ग) तस्करी को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये है :

(1) अरब ढो नौकाओं के बड़े पैमाने पर उतरने के कारण उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने की दृष्टि से समुद्र तट पर समुद्री गश्त का तेज किया जाना।

(2) सड़क पर निगरानी की कड़ी व्यवस्था तथा सीमाशुल्क कर्मचारियों को अतिरिक्त साज-सामान तथा शस्त्रों की सप्लाई।

(3) पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल से सहायता मांगी और प्राप्त की जाती है और राज्य सरकार को विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय कायम किया जाता है।

(4) भारतीय नौ सेना से सहायता मांगी जाती है कि वे तस्करी विरोधी कार्यों के लिए अपने लांच नौकाएं उपलब्ध करें।

(5) चान्दी के निर्यात से संबंधित कारबार के सौदों पर निगरानी।

(6) तस्करी विरोधी कार्य के लिये सीमाशुल्क अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(7) अभिग्रहणों तथा अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बड़े मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही।

(8) जिन दुकानों पर तस्करी का माल रखा जाता हैं उन पर समय-समय पर छापे।

(9) तस्करी विरोधी बेड़ा तैयार करने की दृष्टि से 20 लांच नौकायों के लिये नार्वे की एक फर्म को आर्डर भेजा गया है। इनमें से दो नौकायें आ चुकी हैं और उन्हें काम पर लगा लिया गया है।

(10) तस्कर व्यापार को रोकने की दृष्टि से आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1974 द्वारा यथा संशोधित आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन तस्करों को नजरबन्द करने की कार्यवाही भी की गई है।

कृषि सम्पत्ति पर कर

1768. **श्री राजदव सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मध्य प्रदेश ऐसा प्रथम राज्य है जिसने छोटे और निर्धन किसानों को छोड़ते हुए कृषि संबन्धी अचल सम्पत्ति पर कर लगाने वाला कानून पास किया है ;

(ख) यदि हां तो सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार का विधान अधिनियमित करने में हिचकिचाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसा विधान शीघ्र बनाने के बारे में राज्य सरकारों को परामश देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : (क) मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कानून बनाया है जिस में चालू वर्ष में कृषि अचल सम्पत्ति पर करों के लगाये जाने की व्यवस्था है।

(ख) प्रत्येक राज्य, स्थानीय स्थितियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही उपयुक्त भू-कराधान का अपना अपना तरीका अपनाता है।

(ग) जी, नहीं ।

अनिवार्य जमा योजना के बारे में राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझाव

1769. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री डी० पी० जदेजा :
श्री राम सहाय पाण्डे :
श्री वेकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है कि 250 रुपये प्रति मास पाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना से मुक्त रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) प्रश्न का संबंध संभवतः अतिरिक्त वेतन (अनिवार्य जमा) अध्यादेश/अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जमा करायी जाने वाली अनिवार्य जमा से है। पंजाब केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम की सरकारों ने यह सुझाव दिये हैं कि कुछ सीमाओं तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उक्त कानून के उपबन्धों से छूट दे दी जाय। महाराष्ट्र सरकार ने 250 रुपये मासिक, केरल सरकार ने 300 रुपये मासिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने 400 रुपये मासिक और असम सरकार ने 5,000 रुपये वार्षिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के उपबन्धों से छूट देने का सुझाव दिया है।

अतिरिक्त वेतन (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन के संशोधन के परिणामस्वरूप वेतन में होने वाली किसी बढ़ोतरी को अनिवार्य जमा की शर्त से पहले ही छूट दी गयी है। (यह छूट अतिरिक्त वेतन (अनिवार्य जमा) अध्यादेश 1974 में नहीं थी जिसका स्थान उक्त अधिनियम ने लिया है)। जिन कर्मचारियों की नौकरी तदर्थ किस्म की है अथवा जिनकी नौकरी किसी वर्ष में 180 दिनों से अधिक तक बनी रहने की संभावना न हो, जिनमें सरकारी छुट्टियां और उनके द्वारा ली गयी छुट्टियां भी शामिल हैं, उन कर्मचारियों को इस अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत जारी की गयी 30 अक्टूबर, 1974 की अधिसूचना के जरिये उक्त अधिनियम के सभी उपबन्धों से छूट दे दी गयी है। इस बात को देखते हुए कि यह अधिनियम अर्थ-व्यवस्था पर पड़ रहे मूल्यवृद्धिकारी दबावों को दूर करने का एक अल्पकालीन उपाय है, सरकार का यह मत है कि इस संबंध में और कोई ढील देना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे इस उपाय का असर कम हो जायगा।

आयकर अधिकारियों की पदावनति का प्रभाव

1770. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री राम सहाय पांडे :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :
श्री ए० के० किस्कु :
श्री वसंत साठे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित ये समाचार सरकार के ध्यान में लाये गये हैं कि आयकर विभाग में पदोन्नति किये गये अधिकारियों तथा सीधी भर्ती से लिये गये अधिकारियों के बीच हाल ही में हुये कटु आपसी झगड़े के कारण बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण केन्द्रों में विभाग का कार्य शिथिल पड गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्थिति से निपटन के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है कि आय कर विभाग में पदोन्नत किये गये अधिकारियों तथा सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये अधिकारियों के बीच सेवा सम्बन्धी कुछ मामलों पर मतभेद उत्पन्न हुए है। परन्तु यह बात सही नहीं है कि इस कारण से विभाग के काम में शिथिलता आई है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एन्ड जयपुर की शाखाओं में सामने आए धोकाधड और गबन के मामले

1771. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1971 और 1974 के बीच स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की विभिन्न शाखाओं में धोखा घडी और गबन के कितने मामलों का पता चला; और

(ख) प्रत्येक मामला कितनी धनराशि का है और उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जून, 1971 से जून, 1974 तक की तीन वर्ष की अवधि में स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर की विभिन्न शाखाओं में हुए धोखा देही और गबन के कुल मामलों के विषय में सूचना प्रदान करने वाला एक विवरण प्रस्तुत हैं **[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8558/74]**

जीवन बीमा निगम के संसाधनों का मध्यम क्षेत्र में निवेश

1772. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम को निदेश दिया है कि वह बडे व्यावसायिक गृहों को काफी धनराशि हासिल करने देने के स्थान पर अपने संसाधनों का निवेश करते समय मध्यम क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में जीवन बीमा निगम की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार ने अभी हाल ही में निर्णय किया है कि जीवन बीमा निगम को गैर सरकारी क्षेत्र में, अपने निवेशों के संबंध में मध्यम उद्योग क्षेत्र में पूंजी निवेश के ठोस निर्गम स्त्रोत ढूंढने की दृष्टि से अधिक सतर्क प्रयास करना चाहिए।

(ख) जीवन बीमा निगम को उक्त निर्णय की सूचना दे दी गई है। इस मामले में जीवन बीमा निगम की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना अभी बहुत जल्दबाजी की बात होगी।

तस्करी की रोकथाम के लिए भेदिये विमान और हेलिकोप्टर

1773. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री गजाधर मांझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सीमा शुल्क विभाग के समुद्री तथा निवारक प्रभाग ने पश्चिमी तट के पास तस्करों की गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के लिये भेदिये विमान और हैलिकाप्टर मांगे है; और

(ख) यदि हां, तो विमानों और हैलिकाप्टरों की सुविधायें प्राप्त कर लेने के बाद तस्करी को रोकने में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) तस्करी को रोकने के लिये भेदिया विमानों और हैलिकाप्टरों को इस्तेमाल करने के प्रश्न की बम्बई सीमा शुल्क विभाग के समुद्री तथा निवारक प्रभाग द्वारा कुछ वर्षपूर्व जांच की गई थी परन्तु अन्ततोगत्वा उक्त प्रस्ताव को फिलहाल स्वीकार्य नहीं पाया गया।

तस्करों का जायदाद का कुर्की

1774. श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री गजाधर मांझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो तस्कर छिप गये है उनकी जायदाद कुर्क करने हेतु दिल्ली प्रशासन ने एक प्रस्ताव रखा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी प्रगति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन ने उन 11 व्यक्तियों की सम्पत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही की थी जो फरार थे तथा आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1974 के अधीन जारी किये आदेशों के अन्तर्गत नजरबन्दी से बच रहे थे। जब भी इन व्यक्तियों ने समर्पण किया अथवा उन्हें नजरबन्द किया गया, उनको सम्पत्तियां दी गयी।

तस्करों और कर अपवंचकों के विरुद्ध अभियान में शिथिलता

1775. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री धामनकर :
श्री दवेंद्र सिंह गरचा :
श्री पी० ए० स्वामीनाथन :
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अक्तूबर 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि तस्करों और कर अपवंचकों पर सरकार द्वारा मारे गये अग्रेतर छापे शुरू की अवस्थाओं के बाद धीमे पड़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) यह समाचार सरकार के देखने में आया है। समाचार सही नहीं है। जहां भी जरूरी होता है, छापे पूरी तौर पर मारे जा रहे है।

पंजाब लघु उद्योग निगम द्वारा सिलेसिलाए वस्त्रों का निर्यात

1776. श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिये पंजाब लघु उद्योग निगम को आर्डर मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन आर्डरों का ब्यौरा क्या है और वे देश कौन कौन से हैं जहां से ऐसे आर्डर प्राप्त हुये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) पंजाब लघु उद्योग निगम को सिलेसिलाये वस्त्रों के निर्यात के कोई आर्डर मिलने के संबंध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

पंजाब में किसानों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

1777. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में पंजाब में किसानों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कोई ऋण दिये गये है; और

(ख) यदि हां, तो इसके वर्षवार आंकड़े क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इण्डिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पंजाब राज्य में किसानों को दिये गये कृषि अग्रिमों की बकाया रकम जून, 1972, जून 1973 और (अब तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार) दिसम्बर, 1973 के अंत तक क्रमशः 7.07 करोड़ रुपये, 9.38* करोड़ रुपये और 11.57* करोड़ रुपये थी।

*अनन्तिम

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पंजाब में कृषि क्षेत्र को दिये गये अग्रिम ऋण

1778. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पंजाब में कृषि क्षेत्र के लिये दिये गये अग्रिम ऋण की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) कृषकों को अधिकतम सहायता देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिसम्बर, 1973 के अन्त तक पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों का 10.2* प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र को दिया गया था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कृषि क्षेत्र के वित्त पोषण के बारे में विस्तार से मार्ग-दर्शक सिद्धांत जारी किये है। बैंकों से यह बात ज़ोर देकर कही गयी कि वे प्रतिभूति उन्मुख ऋण न देकर उत्पादक और वृद्धिशील आय उन्मुख ऋण मंजूर करें। सुदूर रहातों में रहने वाले कृषक समुदाय द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों को दूर करने को दृष्टि से बैंकों से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक शाखाएं खोलना अपेक्षित है। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंको के कार्यलयों की जो संख्या 19 जुलाई 1969 को 116 थी, वह जून, 1974 के अन्त तक बढ कर 429 हो गयी। स्टेट बैंक आफ इण्डिया ग्रुप ने भी समेकित आधार पर कृषकों की आवश्यकता को पूरी करने की दृष्टि से पंजाब में 5 विशेष कृषि शाखाएं खोली हैं। वाणिज्यिक बैंकों से वित्त प्राप्त करने में कृषकों द्वारा अनुभव की जा रही कुछ कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से कृषि के लिये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने विषयक विशेषज्ञ दल की सिफारिशों की भी राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

*(अनन्तिम आंकड़ो के आधार पर).

जमा स्टाक का कपड़ा उद्योग पर प्रभाव

1779. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री चन्दूलाल चन्द्रनकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमा स्टाक और कपड़े के 'फालतू' उत्पादन का कपड़ा उद्योग पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या कुछ मिलें पारियां (शिफ्ट्स) समाप्त कर रही है और श्रमिकों की छटनी कर रही हैं ;

(ग) क्या लोगों की गिरती हुई क्रय क्षमता के कारण उपभोक्ता मांग में कमी होने से ऐसा हो रहा है ;

(घ) क्या साथ ही निर्धन वर्गों के लिए स्टैंडर्ड कपड़े की भारी कमी है ; और

(ङ) सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सूती वस्त्र मिलों के पास माल जमा हो जाने तथा कुछ मिलों द्वारा तीसरी शिफ्टें अंशतः या पूर्णतः बंद कर दिया जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं ।

(ग) कुछ किस्मों के कंट्रोल रहित कपड़े की कीमतें कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता के बाहर है ।

(घ) तथा (ङ) जी नहीं । निर्धन वर्गों की मांग पूरी करने के लिये कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन 1 अप्रैल, 1974 से 40 करोड़ वर्गमीटर से बढाकर 80 करोड़ वर्गमीटर प्रतिवर्ष कर दिया गया है ।

कंट्रोल रहित किस्मों के सम्बन्ध में उत्पादन बनाये रखने तथा उचित कीमतों पर प्राप्यता सुनिश्चित करने के उपायों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

जब्त की गई वस्तुओं का निपटान

1780. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के सप्ताहों में तस्करों और उनके एजेंटों से जब्त की गई निषिद्ध आयातित वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से बेचने अथवा नीलाम करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका आशय यह है कि उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों की तस्करी की वस्तुएं जिनके आयात पर प्रतिबंध है, "कानूनी रूप" प्रदान करना है ; और

(ग) जमाखोरों तथा उनके एजेंटो की जब्त की गई वस्तुओं को दोबारा बेचने की बजाय इन निषिद्ध वस्तुओं को नष्ट न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है ।

(ख) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(ग) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जब्त किया गया तस्करी का माल केन्द्र तथा राज्य अधिकरणों द्वारा चलाई जा रही सहकारी समितियों और कैंटीनो के माध्यम से केवल उपभोक्ताओं और वास्तविक उपयोगकर्ताओं को, और वास्तविक प्रयोगकर्ताओं और कोटा धारियों तक ही सीमित सार्वजनिक नीलामी द्वारा, बेचा जाता है । जब्त किये माल को नष्ट करने से सरकारी सम्पत्ति बेकार हो जाएगी और बिक्री से होने वाली आय की भारी हानि होगी ।

9—37 LSS/74

Production of Fine Quality Cloth by Handlooms in Madhya Pradesh

1781. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether in Bundelkhand region, which includes Jhansi, Jalaun, Banda Hamirpur Districts of U.P. and Tikamgarh and Chattarpur districts of Madhya Pradesh and where large number of handlooms are engaged in producing fine quality cloth, there is no Government agency for the purchase of handloom cloth and private dealers purchase it at cheap rates ; and

(b) whether in order to save these poor weavers from exploitation, Government propose to make arrangements for the sale of fine cloth produced by them through co-operative marketing societies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishavanath Pratap Singh) : (a) & (b) There is no Central Government agency as such for purchase of handloom cloth produced by weavers in any part of the country including Bundelkhand. Government are not aware as to whether private dealers purchase the handloom cloth at cheap rates in this region. There is, however, the All India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society Limited, Bombay, which procures handloom cloth from its members spread all over India. The weavers in the Bundelkhand region can avail themselves of the services of the Society.

Purchase of Yarn by Weavers Through Private Dealers

1782. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the weavers of Bundelkhand region have to purchase yarn through private dealers and whether these yarn dealers make excessive profit in selling yarn to these poor weavers ;

(b) the action contemplated by Government to ensure supply of yarn at fair price to these poor weavers ; and

(c) whether the arrangement of distribution of yarn to weavers can be entrusted to co-operative societies and if so, the reasons for leaving the distribution in private hands ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No such reports have been brought to the notice of the Government.

(b) & (c) The Indian Cotton Mills' Federation had, at the instance of Government evolved a scheme, in April, 1974, for disciplining prices of cotton yarn. Under this scheme, the prices of yarn have been pegged at the levels prevailing on the 28th March, 1974, and State Government nominees, State Corporations and apex bodies of weavers, are allowed to lift yarn directly from mills. The scheme is presently in force until the end of December, 1974, and has had a stabilising effect on prices of cotton yarn. Recently, market prices of yarn have further eased, and there should be no difficulty at present for weavers to meet their requirements.

Raids by Income-Tax Authorities on Small Businessmen

1783. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Income-tax Officers generally conduct raids only on small businessmen to which much publicity is given and this enables the big businessmen to conceal their belongings ;

(b) whether Government have also received complaints that on the one hand this is creating an anti-Government atmosphere and on the other lesser quantity of black money is recovered ; and

(c) if so, Government's reaction thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Mukherjee) : (a) to (c) Searches are conducted by the Income Tax Department under authorisations issued by the Commissioner of Income Tax/Director of Inspection within the framework of the provisions contained in Section 132 of the Income-tax Act, 1961. There is no question of discrimination by the Income Tax Department in organising such searches between different classes of businessmen. When once the conditions stipulated under section 132 of the Income-tax Act, 1961 are satisfied, a search is organised.

Lately, the tempo of searches and seizures has been kept up as part of the drive against tax evasion as will be seen from the following figures.

Year	No. of searches	Value of assets seized Rs./lakhs
1972-73	532	454
1973-74	538	440
1974-75 (Upto 30-9-74)	623	594

Searches are naturally viewd with disfavoured by the assessees in whose cases these are authorised. However, the Government have no reason to believe that searches have failed to produce necessary impact in fighting tax evasion.

Unclaimed Amount with L.I.C.

1784. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of money that remained unclaimed with the Life Insurance Corporation during each of the last three years in the absence of the knowledge of the whereabouts of the claimants ;

(b) the amount that was put in the back account during each of the last three years upto August, 1974, yearwise due to various reasons even though the addresses of the policy holders were known ;

(c) whether Government propose to issue orders to the corporation to return the amount with interest to the category of persons mentioned in part (b) ; and

(d) if not, the manner in which this amount will be laid ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) & (b) Cause-wise analysis of unclaimed amounts written back to revenue account each year is not available.

The total amounts written back to the revenue account during the years 1971-72 to 1973-74 on account of "Old Claims Outstanding and Unclaimed" and "Old Outstanding and Unclaimed Deposits and other Amounts" were as under :

Year	(Amount in lakhs of rupees)
1971-72	408.69
1972-73	276.04
1973-74	215.35

Subsequent information is not readily available.

(c) & (d) The L.I.C. sends its field staff to trace the claimants and also to assist them in complying with the requirements. Procedures and methods are also reviewed with the object of speeding up settlement of claims. However, even after the write back, the L.I.C. looks into requests for payments/adjustments. As such, it is not considered necessary to issue any instructions to the L.I.C.

जीवन बीमा निगम के कार्यकलाप का व्यय

1785. **श्री जगन्नाथ जोशी :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

श्री आर० बी० बड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कार्य कलाप का व्यय 28 प्रतिशत है जबकि अमरीका एवं इंग्लैंड की बीमा कंपनियों के व्यय लगभग 96 प्रतिशत हैं और भारत में भी डाक जीवन बीमा का व्यय केवल 8 प्रतिशत है ;

(ख) इस सम्बध में तुलनात्मक स्थिति क्या है ;

(ग) निगम के व्यय में तत्काल में कितनी कमी की जानी है और उसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) जीवन बीमा निगम दवारा 1973-74 में 'ओवर हैड' खर्च के लिए कितना व्यय किया गया और 1974-75 में कितने व्यय का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जीवन बीमा विभाग का **समग्र** व्यय अनुपात (अर्थात कुल व्यय का प्रीमियम की कुल आय के अनुपात) वर्ष 1972-73 में 27.86 प्रतिशत था। ब्रिटेन और अमरीका में सुस्थापित कुछ जीवन बीमा कंपनियों के मामले में 1973 का **समग्र** व्यय अनुपात 18 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक था। 1972-73 में डाक जीवन बीमा निधि का **समग्र** व्यय अनुपात 8.57 प्रतिशत था।

(ग) निगम बजट नियंत्रण माध्यमों से अपने व्यय को समुचित सीमा में रखने की कार्यवाही कर रहा है।

(घ) वर्ष 1973-74 का कुल प्रबन्ध-व्यय 129.75 करोड़ रुपये (कुल प्रीमियम आय का 28.52 प्रतिशत) था। वर्ष 1974-75 में अनुमानित कुल प्रबंध व्यय 160.85 करोड़ रुपये (अनुमित कुल प्रीमियम आय का 30.55) प्रतिशत है।

अधिक निर्यात की क्षमतावाली वस्तुओं की कम सप्लाई

1786. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन कौन सी मुख्य वस्तुएं हैं जिनकी देश में कम सप्लाई है लेकिन अधिक निर्यात की क्षमता है ; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मुख्य मदें जिनकी स्वदेश में कम सप्लाई है लेकिन उच्च निर्यात संभाव्यता वाली है वे हैं : चावल, सीमेंट, कुछ वर्गों का लौह तथा इस्पात, कोयला, रुई, धागा आदि ।

(ख) विभिन्न मदों के संबंध में, जिनमें कम सप्लाई वाली मदें भी शामिल हैं, निर्यात नीति पर निरन्तर पुर्नविलोकन किया जाता है तथा अपेक्षाकत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता जैसी विभिन्न आर्थिक बातों पर उचित विचार करने के पश्चात् परिवर्तन किये जाते हैं और इस प्रकार बाह्य संतुलन तथा स्वदेशी खपत की आवश्यकताओं को बनाये रखा जाता है ।

दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को खोलना

1787. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री एस० एन० सिंह देव :
श्री कुमार मांझी :
श्री एन० ई० हीरो :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में पश्चिम दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंको की कोई नई शाखा नहीं खोली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में राज्य के इस जिले तथा अन्य जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी ; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में स्थानों का नाम देते हुए राज्य में, जिलावार नई शाखाओं के खोलने संबंधी कार्यक्रम का सार क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जुलाई, 1971 से जून, 1974 तक की तीन वर्ष की अवधि में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले में 8 नये कार्यालय खोले थे ।

(ख) जुलाई, 1971 से जून 1974 तक की तीन वर्ष की अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में खोले गये नये कार्यालयों की केन्द्रवार सूचि अनुबन्ध I में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 8550/74]**

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंक अपनी शाखाओं के विस्तार के संबंध में तीन वर्षीय "रोलिंग" योजनाएं बनाते हैं । आजकल, बैंक 1975–77 के तीन वर्षों के लिए योजना बनाने में लगे हुए हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में शाखायें खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास जून 1974 तक 137 लाइसेंस/आवंटन पत्र थ । जिन केन्द्रों को ये लाइसेंस/आवंटन पत्र दिये गये हैं उनकी सूचि अनुबन्ध–II में प्रस्तुत है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 8559/74]**

पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में पर्यटन परियोजनाएं

1788. **श्री एस० एन० सिंह देव :**
श्री एम० एस० पुरती :
श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री अनादि चरण दास :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्र में शुरू की गई पर्यटन परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) परियोजनावार आयात कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में दार्जीलिंग में मोजूदा पर्यटक बंगले के विस्तार-कार्य तथा एक युवा होस्टल के निर्माण-कार्य को हाथ में लिया गया है। जाल्दापारा में भी एक बन-लाज निर्माणाधीन है। उड़ीसा में, पुरी में एक युवा होस्टल का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गयी इन स्कीमों के अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम दमदम पर एक होटल का निर्माण कर रहा है तथा उसने कलकत्ता में एक परिवहन यूनिट भी स्थापित की है। यह कलकत्ता विमानक्षेत्र पर एक शुल्क-मुक्त दुकान भी चला रहा है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्र में इस समय प्रारंभ की गई प्रायोजनाओं के ब्यौरों का विवरण

(लाख रुपयों में)

प्रायोजना का नाम	स्वीकृत की गई राशि	31-8-74 तक खर्च की गयी राशि	पूरा होने की संभावित तारीख
पर्यटन विभाग			
पश्चिम बंगाल			
1. दार्जीलिंग में पर्यटक लॉज . .	4.22	7.18	1975-76
2. जाल्दापाड़ा में वन लॉज . .	2.28	2.35	1975-76
3. दार्जीलिंग में युवा होस्टल . .	3.45	2.44	1974-75
उड़ीसा			
1. पुरी में युवा होस्टल . . .	5.41	3.45	1974-75
भारत पर्यटन विकास निगम			
1. दमदम पर होटल . . .	275.00	163.37	1975-76

चाय का निर्यात

1789. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई नयी योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1974–75 के दौरान चाय निर्यात के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) लन्दन, न्यूयार्क, काहिरा, ब्रसेल्स तथा सिडनी में स्थापित किये गये चाय बोर्ड के कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक कार्य जिनसे विभिन्न परम्परागत तथा नये बाजारों को भारतीय चाय के निर्यात को अधिकाधिक संभाव्यता बनाई जा सके ।

(2) विदेशों के चुने हुए बाजारों में वहां के स्थानीय मिश्रण कर्ताओं/पैकरों के सहयोग से भारतीय चाय के विशेष पैकों का संवर्धन ।

(3) विदेशों में प्रचार के उपयुक्त माध्यमों के जरिये विज्ञापन ।

(4) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(5) चाय के हित को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से व्यापारियों तथा विशेषज्ञों का भारत यात्रा तथा भारत के व्यापारियों तथा विशेषज्ञों को विदेश यात्रा ।

(6) पैकट तथा मिश्रित चाय के निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्र में चाय व्यापार निगम को सक्रिय करना ।

(7) अन्य चाय-उत्पादक देशों तथा आयातक देशों के स्थानीय चाय व्यापारियों के साथ मिलकर सामान्य संवर्धन में शामिल होना जिससे कि अन्य हल्के पेयों के मुकाबले पेय के तौर पर चाय को खपत बढ़ाना ।

(ग) लगभग 174 करोड़ रुपये ।

शिवरमन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें

1790. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत्चालित कर्घा उद्योग ने मंत्रालय को कड़ा विरोध प्रकट किया है और हथकरघा उद्योग पर शिवरमन समिति की रिपोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह एकतरफा है और पक्षपातपूर्ण है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) शक्तिचालित करघाक्षेत्र द्वारा किये गये विरोधों पर सिफारिशों पर विनिश्चय करते समय उचित ध्यान दिया जायेगा ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रुप बीमा योजना

1792. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, हरियाणा सरकार की तरह जिन्होंने हाल में यह योजना लागू की है, ग्रुप बीमा योजना, आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यन्) : (क) जी नहीं ।

(ख) तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग ने एक बीमा योजना की सिफारिश की थी, जिसमें प्रतिमाह 5 रु० का अंशदान करने पर, सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में 5,000 रुपये की बीमा-सुरक्षा की तथा सेवा-निवृत्ति पर अंशदान की मूल राशि बिना ब्याज के लौटाए जाने की व्यवस्था है। इस विषय पर कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ सितम्बर, 1973 में विचार-विमर्श किया गया था, किन्तु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उक्त योजना में निहित सावधि तत्व को वे अपर्याप्त समझते थे । इसके विपरीत हरियाणा सरकार की योजना में किसी सावधि तत्व की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है ।

भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए कार्यवाही

1793. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक इन दोनों देशों के बीच तस्करी को रोकने के लिए शीघ्र ही होने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो यह बैठक किन स्थान पर होगी और इसमें कौन-कौन से मुख्य विषय लिये जायेंगे ; और

(ग) भारत में प्रतिवर्ष चोरी छिपे लाई जाने वाली और यहां से ले जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इनकी लागत क्या है तथा इसका अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) फिलहाल, सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) तीसरे देश के मूल की वस्तुओं, जैसे लौंग, दालचीनी, कर्पूर, बालबोयरिंग, रसायन, घड़ियां फाउन्टेन पैन, ब्लैड और संश्लिष्ट धागे और बंगला देश के मूल की वस्तुओं जैसे कुक्कुट उत्पाद, मछली, चर्म और खालें, पशुधन, दालें, लाल मिर्च, लहसुन, इमली, जूट के बोरे, मुद्रा आदि का मुख्यत: बंगलादेश से भारत में तस्कर आयात किया जाता है। जिन वस्तुओं का भारत से बंगलादेश को तस्कर निर्यात किया जाता है उनमें मुख्यत: वस्त्र, सिले-सिलाये कपड़े, सूती धागा, बीड़ी की पत्तियां, कत्था, पान के पत्ते, ताजे फल, तेजपात, सरसों का तेल, नमक, कांच की चड़ियां, लोहे की मेखें, औषधियां और कई प्रकार की लेखन-सामग्री तथा बिलास-वस्तुएं आदि शामिल है ।

भारत-बंगलादेश सीमा पर पकड़ें गये तस्करी के माल का मूल्य निम्न प्रकार है :—

(लाख रु०)

1971-72	14.46
1972-73	53.93
1973-74	71.25

पकड़े गये माल के मूल्य से अनुमान लगाते हुए यह पता चलेगा कि भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्कर-व्यापार इतने बड़े पैमाने पर नहीं है, जिसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर कोई उल्लेखनीय बुरा प्रभाव पड़े ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन के साथ वित्त मंत्री की बैठक

1794. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमन के बीच कोई बैठक हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या-क्या निर्णय किये गये ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंको के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों की एक बैठक केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 26 अक्तूबर, 1974 को बुलाई थी। इस बैठक में बैंकिंग उद्योग की प्रवृत्तियां और समस्याओं, सबसे बड़े ऋण-खातों की जांच, आगामी व्यस्त मौसम के लिये ऋण योजना सम्बन्धी विषयों पर आम चर्चा हुई थी।

अक्तूबर, 1974 में आयकर प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापे

1795. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1974 के अन्तिम सप्ताह में देश के विभिन्न भागों में आयकर प्राधिकारियों द्वारा बहुत से छापे मारे गये थे ;

(ख) इनके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पकड़े गये दस्तावेजों और बहीखातों आदि की जांच की जा रही है। जिन मामलों में बहुमूल्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं, उनमें अप्रकट आय को सरकारी तौर पर निश्चित करने और कर-दायित्व की पूर्ति-योग्य परिसम्पत्तियों को रोक रखने के लिये आयकर अधिनियम 1961, की धारा 132 (5) के अन्तर्गत आदेश जारी करने की कार्यवाही चालू की जा चुकी है। आगे की कार्यवाही कानूनी दीक्षा के अनुसार की जायगी।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी धोखाधड़ी

1797. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री चन्द्रशेखर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकांशतया भारत के तटीय क्षेत्रों में काम कर रहे कुछ विदेशी तत्वों द्वारा बड़े पैमान पर चलायी गयी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी धोखाधड़ी का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा के अनियमित सौदों के बारे में अब तक कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ग) इस प्रकार पता लगायी गई धोखाधड़ी क्या है और इस मामले में, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में अवैध सौदों का पता लगाया जाना

1798. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क और आयकर विभागों ने 17 अक्टूबर, 1974 में उत्तर प्रदेश में दस करोड़ रुपये मूल्य के अवैध सौदों का पता लगाया था ;

(ख) क्या इस छापे में काले धन की बड़ी राशि पकड़ी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) सरकारने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) आय-कर अधिकारियों द्वारा 17 अक्तूबर, 1974 को कानपुर में 5 भिन्न-भिन्न मामलों में तलाशियां ली गयी थीं। इन मामलो में सब मिलाकर कुल छिपाई गई वस्तुओं का मूल्य कोई 23 लाख रुपये माल होने का अनुमान लगाया गया है। अन्य तलाशियां भी ली गई हैं, जिनमे अधिक बड़ी रकमों के काले धन का पता लगाया गया है। उस तारीख में सीमाशुल्क विभाग द्वारा कोई बड़ा छापा नहीं मारा गया।

(घ) जांच के लिये इन मामलों को एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी के पास केन्द्रित किया गया है।

कर्नाटक में लघु उद्योगों को स्टेनलेस स्टील का वितरण

1799. **श्री मधु दंडवते :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में लघु उद्योगों को मैसर्स कर्नाटक एक्सपोर्ट हाउस के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित स्टैनलेस स्टील की वास्तविक सप्लाई के बारे में जांच करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) मैसर्स कर्नाटक एक्सपोर्ट हाउस के विरुद्ध अवैध वितरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जांच के फलस्वरुप जो अनियमितताएं ध्यान में आई है, उनके संबंध में एक्सपोर्ट हाउस और कुछ अन्य पार्टियों के खिलाफ आयात व्यापार नियंत्रण विनियमो के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजारत के जिलों में ब्याज की अधिमान्य दरों पर की गई अदायगी

1800. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973–74 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजरात के प्रत्येक जिले में ब्याज की अधिमान्य दरों पर अदायगियों के लिए कोई आवेदनपत्र प्राप्त हुआ और अदायगियां की गईं ;

(ख) गुजरात के विभिन्न जिलों में कुल कितने लघु उद्योगों को कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ग) कितने आवेदनपत्र अभी विचाराधीन हैं और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत गुजरात के प्रत्येक जिले में दिये गये अग्रिमो की ओर है। इस संबंध में उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत दिये गये अग्रिमों संबंधी आंकड़े रखने की वर्तमान व्यवस्था में दिये गये अग्रिमों के क्षेत्रवार वितरण और अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या के आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था नहीं है ।

विवरण

दिसम्बर, 1973 के अंतिम शुक्रवार तक गुजरात राज्य में विधेयक ब्याज ऋण योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम

(रकम लाख रुपयों में)

जिले का नाम	खातों की संख्या	बकाया रकम
1. मेहसाणा	1517	6.68
2. बनासकांठा	673	3.41
3. साबरकांठा	645	3.80
4. पंच महल	3151	11.62
5. बड़ौदा	1500	7.97
6. भडौच	2128	8.60
7. बलसाड़	6298	14.58
8. सूरत	847	4.70
9. डांग	117	0.50
10. भावनगर	4048	16.25
11. अमरेली	362	1.13
12. जूनागढ़	746	3.55
13. सुरेन्द्र नगर	977	6.73
14. कच्छ	3068	10.58
जोड़	26077	100.10

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

आयात लाइसेंस कांड

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, before the discussion on the question of privilege is resumed, I want to draw your attention to the fact that although yesterday the Home Minister promised to arrange to make available the charge sheet to the Parliament Library, yet the same has not so far been done. How much time will the Minister take?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रम्हानंद रेड्डी) : इसे आज संसद ग्रन्थालय में रखा जा रहा है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Yeasterday, the Home Minister said that the accessible documents are not placed on the Table of the House. What is meant by the term "accessible documents" ? Accessible document is one which is available in the library.

Mr. Speaker : Wherefrom it is accessible? Kindly let us know so that it could be arranged.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Yesterday, the Home Minister stated that he was not quoting from the CBI Report but he referred to a letter regarding the school being opened in village Saraini after the name of the late father of Shri L. N. Mishra, about which I had made a mention. The Minister got this information from the CBI Report. Now will the Minister be allowed to put only that part of the report before the House, which is in favour of the Government and withhold the other part which is against them? If the Report of CBI has been referred to by the Minister, the whole of that Report should come before the House. If the House demands the placing of that report on the Table of the House, then the speaker can direct the Minister to do so. In the past, such directions have been given on many occasions and the ministers complied with them. Therefore, before we proceed with the further discussion, the speaker should dirct the Minister to lay that report on the Table of the House.

श्री श्यामनंद मिश्र (बेगुसराय) : यदि दस्तावेज का सार वही है जो कुछ मंत्री महोदय ने सभा को बताया है, तो यदि सभा की मांग यह है कि उस दस्तावेज को सभा-पटल पर रखा जाये तो मंत्री महोदय को उसे यहां पेश करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच सभा की इच्छानुसार की है और मंत्री महोदय ने भी सभा को बताया था कि किसी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व अन्य आवश्यक तथ्यों को प्रकाश में लाया जायेगा यदि इस बात को पूरा करना है कि इस मामले में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये ही जांच की गई है तो फिर यह सारा दस्तावेज सदस्यों को उपलब्ध किया जाना चाहिये और उसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये।

इस जांच का सम्बन्ध सदस्यों के आचरण और सभा की मान मर्यादा से है। ऐसी स्थिति में कोई भी दस्तावेज़ जिसमें व्यक्तिगत रुप से सदस्यों का सम्मान अन्तर्ग्रस्त हो, सरकार की ही अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। उसे सभा के समक्ष पेश करना ही होगा।

श्री एस० एन० बनर्जी (कानपुर) : यदि किसी दस्तावेज़ का कोई अंश या पंक्ति मंत्री अथवा सभा के किसी सदस्य द्वारा पढ़ी जाये तो नियमों के अनुसार सदस्य उस समूचे दस्तावेज़ को सभा-पटल पर पेश करने के लिए कह सकते हैं। यह दूसरी बात है कि मंत्री सरकारी हित में ऐसा न करने की मांग करे।

पहले भी इस तरह के प्रतिवेदन सभा-पटल पर पेश किए गये हैं। गृह मंत्री के लिये इसके सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है कि प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जाये, अन्यथा इस मामले पर चर्चा करना निरर्थक होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यदि एक मंत्री अथवा सदस्य साधारण सा उल्लेख करता है तो वह एक दूसरी बात है परन्तु यदि वह एक दो बार किसी दस्तावेज़ का उद्धरण देता है, तो नियम बहुत स्पष्ट है कि सदस्य उसे सभा पटल पर रखे जाने का अनुरोध कर सकते हैं।

जहां तक "एक्सैसिबल डाकुमैंट्स" का सम्बन्ध है, यह एक भिन्न मामला है। लाईब्रेरी में भी, बहुत से "एक्सैसिबल डाकुमैंट्स" मिल सकते हैं। हम अपने कर्मचारियों को विभिन्न मामलों के बयानों की प्रति दिन नक़ल बनाने के लिये नहीं कह सकते। इस बारे में निर्णय स्पष्ट है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप मंत्री महोदय को इसे सभा-पटल पर रखने के लिये कहें

गृह मंत्री (श्री ब्रह्मानंद रेड्डी) : क्या मैं कल की कार्यवाही आपके ध्यान में ला सकता हूं जिसमें मैंने कहा था कि मैं किसी रिपोर्ट से उद्धृत नहीं कर रहा हूं। जांच करने वाले अधिकारी से जो कुछ भी जानकारी मिली है वह मैंने सभा को दे दी है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : उसका यह मतलब हुआ कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। मंत्री महोदय 'हां' या 'ना' में इसका उत्तर दें। मैं स्पष्ट प्रश्न कर रहा हूं ......

(अन्तर्बाधाएं)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : वह देश को और सभा को धोखा दे रहे हैं। कोई रिपोर्ट नहीं है और सारा मामला मनगढ़न्त है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सभी अपनी बात कह नहीं चुके हैं। इस पत्र की ओर से क्यों नहीं ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : कल मंत्री महोदय ने बताया था कि श्री तुलमोहनराम ने दो जाली हस्ताक्षर बनाये थे और दो सदस्यों के नाम बताये हैं। अब उन्होंने उन 14 सदस्यों के नाम नहीं दिये हैं जो जाली हैं। जब तक वे नाम नहीं बताये जायगे तब तक सभा को दी गई जानकारी अपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जब गृह मंत्री ने कल वक्तव्य दिया तब मैं उपस्थित था। यह सही है कि कल मंत्री महोदय के पास वक्तव्य की एक प्रति थी तथा वह उससे पढ़ रहे थे और उन्होंने उस विभिन्न निष्कर्षों का उल्लेख किया जो उनके अनुसार जांच अधिकारियों ने निकाले थे। इस विशेष मामले में जो जांच अधिकारी है वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो है। अब वह इस तर्क को आड़ ले रहे हैं कि वह रिपोर्ट से उद्धृत नहीं कर रहे हैं बल्कि सभा को वह जानकारी दे रहे हैं जो उन्हें जांच अधिकारी से मिली थी। उसका मतलब यह हुआ कि वह रिपोर्ट का सारांश बता रहे थे। इस प्रकार उन्होंने सरकार के लिये स्थिति और बिगाड़ दी है। मेरा इतना ही कहना है कि सरकार को किसी मामले का उचित निष्कर्ष ही सभा को बताना चाहिये। मंत्री महोदय को इस मामले को तकनीकी तर्कों को आड़ में टालना नहीं चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : If your directions are clear that it should be laid on the table, I shall not speak. But if you have changed your mind after listening the hon. Minister, kindly listen us also.

Mr. Speaker : I am sorry. I have already given my ruling.

श्री पी० आर० शुक्ल (बहराइच) : अब अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेज़ बन गया है। एक बार जब इसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है तो इसकी प्रति प्राप्त की जा सकती है।

[श्री पी० आर० शुक्ल]

मैं विरोधी दलों के सदस्यों के इस तर्क से सहमत हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को सभा के सदस्यों के अवलोकन के लिये ग्रंथालय में रखा जाये। कानून की स्थिति यह है कि मामले में गवाह के रूप में न्यायालयों में उपस्थिति होने वाले व्यक्तियों द्वारा दिये गये बयान के अतिरिक्त गवाहों के बयानों का कोई भी अंश किसी व्यक्ति द्वारा काम में नहीं लाया जा सकता है। केवल न्यायालय ही गवाही का अवलोकन कर सकता है। अतः केवल न्यायालय को दिया गया आरोप-पत्र ही माननीय सदस्यों को दिया जा सकता है और उसका कोई अन्य अंश नहीं।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister of Home Affairs has just referred to debate of a previous day but yesterday he did not say, "I am not quoting....". I am asking you as to what is meant by quotation. Has the hon. Minister not taken this phrase from the report of the C.B.I. ? He has only dropped the quotation marks. Therefore, the Chair's ruling can never be based on such low trickery.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं अध्यक्ष महोदय से इस विचार को पुष्टि करना चाहूंगा कि आपने यह निश्चित विनिर्णय दिया है कि सम्बन्धित दस्तावेज़ को सभा-पटल पर रखा जायेगा हमारा जो सभा के सम्मान को रक्षा से सम्बन्ध है और गत सत्र में यह कहा गया था कि इस मामले के लेकर पूरे देश में बहुत उत्सुकता है कि यदि संसदीय संस्था का कोई भविष्य है तो सरकार से यह आशा की जाती है कि वह समूचे मामले को सच्चाई बताने में सहयोग करे।

अतः मैं अपील करता हूं कि आप अपने विनिर्णय के बाद इस मामले पर आगे कार्यवाही करायें।

मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ऐसी कार्यवाही करें जिससे सरकार इस मामले को और अधिक विचाराधिन न रखे।

श्री पीलू मोदी : मैं अध्यक्ष महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनके विनिर्णय में जो बात कही गई है वह ठीक है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दिया है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : यदि आपका यह विनिर्णय है कि सभा के सम्मान की रक्षार्थ इसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये तो मुझे कुछ नहीं कहना है परन्तु यदि आप नियमों के उपबन्धों का अध्ययन करें जिसका कल उल्लेख किया गया था और विनिर्णय उस नियम पर आधारित है तो मेरा निवेदन है कि यदि कार्यवाही के रिकार्ड से ऐसा लगता हो कि किसी त्रुटि के कारण विनिर्णय निष्फल कर दोषयुक्त दिया जाता हो तो आप उस पर पुनर्विचार करें। एक दूसरा परन्तुक भी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह था कि यदि सदस्य मंत्री दस्तावेज़ से उद्धृत करते हैं तो अन्य सदस्यों को यह कहने का अधिकार है कि उसे सभा-पटल पर रखा जाये। इस पर विवाद आरंभ हो गया।

इसके लिये परन्तुक भी है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल): प्रश्न यह है कि क्या यह दूसरे "परन्तुक" के अन्तर्गत आता है। दूसरा परन्तुक इस प्रकार है कि "जहां मंत्री ऐसे पत्र या सरकारी दस्तावेज का सारांश अपने शब्दों में देता है, वहां सम्बद्ध पत्रों को सभा पटल पर रखना आवश्यक नही है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यह बताया था कि वह उद्धरण नहीं दे रहे है बल्कि सामान्य रूप से जानकारी दे रहे हैं। इसी से संदेह पैदा हो गया था। इस सम्बन्ध मेरा विनिर्णय स्पष्ट है कि यदि

मंत्री किसी दस्तावेज स उद्धरण देता है, तो सदस्य गण उसे सभा पटल पर रखे जाने की मांग कर सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) : किन्तु आप यह पता कैसे लगायेंगे कि जो उन्होंने कहा था, वह उद्धरण है या नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : दस्तावेज तो मेरे पास है ही नही।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह दूसरे 'परन्तुक' के अन्तर्गत आता है। यदि यह दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत आता है तो आपके विनिर्णय के अनुसार मंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसे सभा पटल पर रखे। मैं आपके निर्णय का यह अर्थ निकालता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय स्पष्ट है कि यदि मंत्री ने किसी दस्तावेज से उद्धरण दिया हैं, तो उसे उस दस्तावेज को सभा पटल पर रखना होगा, यदि ऐसा करना जनहित के विरुद्ध नहीं है। मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने जानकारी दी थी, उद्धरण नहीं । कठिनाई यह हैं कि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी पर जिम्मेदारी डालना चाहता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कौनसी प्रक्रिया अपनायी जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार यह दावा नहीं करती कि पत्र विशेष का सभा पटल पर रखा जाना जनहित में नहीं है। दूसरे उन्होंने पत्र का सम्पूर्ण सारांश अपने शब्दों में भी नही दिया है। ऐसी स्थिति में आपने अपना विनिर्णय दिया है और उसके अनुसार सम्बन्धित पत्र सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। आपका विनिर्णय कार्यवाही में अंकित और उसे अब उलटा न जाये, अन्यथा हमें भी कोई दूसरा ही मार्ग अपनाना पडेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान): जहां तक दूसरे परन्तुक को लागू करने की बात है, उसके लिए मंत्री को पूर्ण दस्तावेज का सारांश अपने शब्दों में देना चाहिए न कि दस्तावेज के केवल कुछ भागों का सारांश ? इस "परन्तुक" की आड़ लेने के लिए मंत्री को सम्पूर्ण दस्तावेजों का सारांश देना होगा। अभी तक उन्होंने केवल यह कहा है यह जाली दस्तखतों का मामला है। मंत्री महोदय ने कहा है कि वह आरोप पत्र को ग्रंथालय में रख सकते हैं। हम यह देखना चाहते है कि क्या आरोपपत्र सी० बी० आई० की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है अथवा नहीं ? यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सी० बी० आई० की रिपोर्ट देखी जा सकती है अथवा नहीं ? यदि यह न्यायालय में पेश की जाती है तो उसकी प्रमाणित प्रति ली जा सकती है। कुछ व्यक्तियों को बचाने के लिए यह कहा जा रहा है कि यह रिपोर्ट नहीं दिखाई जा सकती। अतः वास्तविकता को जानेने के लिए संसद की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए तथा यह जानने के लिये कि क्या सरकार कुछ संसद सदस्यो, और मंत्रियों को बचाना चाहती, यह आवश्यक है कि उक्त रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये। आप सरकार को ऐसा करने का आदेश दें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्रीमान जी, तकनीकी कठिनाई के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। आपका विनिर्णय स्पष्ट है। दुख इस बात का है कि कुछ मंत्रियों को बचाने के लिए सरकार बार बार अपने कथनो से मुकरती जा रही है। और इससे सभा की प्रतिष्ठा को बट्टा लगता जा रहा है। इससे भी अधिक चिंता का विषय मेरे लिए यह है कि अब पीठासीन अधिकारी भी अपने विनिर्णय से पीछे हटते जा रहे हैं। सरकार द्वारा कभी कुछ के और कभी कुछ कहे जाने से मैं यह समझता हूं सरकार का पक्ष दुर्बल है और वहां कई वाटरगेट कांड छिपे पड़े हैं। अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि सरकार बेशक अपने कथन बदलती रहे परन्तुक पीठासीन अधिकारी को अपना विनिर्णय नहीं बदलना चाहिए और वह गृह मंत्री को उक्त रिपोर्ट यथाशीघ्र सभा पटल पर रखने का आदेश दें।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : विपक्षी सदस्य नियमों की व्याख्या ठीक प्रकार से नहीं कर रहे है। यदि यह मान भी लिया जायें कि सी० बी० आई० की रिपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है तो भी मंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसे सभा पटल पर रखे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) । माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा था, वह उद्धरण चिन्हों से युक्त उद्धरण है अथवा नहीं, प्रश्न यह इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण यह है कि जो उन्होंने कहा था क्या वह मूल रिपोर्ट के वाक्यों से मिलता है या नहीं। संसदीय लोकतंत्र के संरक्षक होने के नाते आप स्वयं ही मंत्री के कथन को मूल रिपोर्ट से मिलाकर देखें और अपने विचार व्यक्त करें।

श्री पी० के० देव (कालहांडी) : मंत्री महोदय ने वक्तव्य में कहा था कि वह सी० बी० आई० की रिपोर्ट से उद्धरण दे रहे हैं। परन्तु लोकसभा सचिवालय से जो बिना ठीक की गई कार्यवाही निकली उसमें से सी० बी० आई० शब्द ही निकाल दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सभा सचिवालय भी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त है। उसे टेप रिकार्ड से मिलाकर देखा जाये।

श्री के० लकप्पा : लोक सभा सचिवालय पर ऐसे आरोप न लगाये जायें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : First you gave a ruling which led us to understand that the concerned paper would be laid on the Table. Afterwards you interpreted it in the way that the Paper would not be laid on the Table. In the morning when I raised this point I knew that the hon. Minister would say that he had given information and not quoted from any document. But there are instances when papers were laid on the Table of the House on the demands made by the Members, though particular papers were not quoted by the Ministers. The Miniser of Home Affairs said in the House, "The chargesheet is really the result of the C.B.I. inquiryt" The chargesheet has been laid on the Table but not the C.B.I. report. How could we know whether it has been made in accordance with the C.B.I. report ? This question is not only related to rules but it is much more important than that. I want to make an allegation that efforts to shield some Ministers and big officers involved in this case are being made from the very beginning. It is the duty of the House to find out the truths. I request that all the facts should be brought before the house.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं यह बात श्री वाजपेयी के ध्यान में ला रहा हूं कि जब उन्होंने कार्यवाही का अवलोकन करने का उल्लेख किया था तब उनका वह उल्लेख श्री तुलमोहन राम या अन्य किसी के प्राप्त किसी पत्र के बारे में था। उसकी जांच के बाद मैंने उन्हें वह जानकारी दी। माननीय सदस्य ने अपनी पहली वाली टिप्पणी में स्कूल या रजिस्टर के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया था।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैंने 9 सितम्बर को उसका उल्लेख किया था।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी (बेगुसराय) : मैंने उस पत्र के बारे मे उस दिन जानकारी दे दी जिसका उन्होंने उल्लेख किया था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्षपीठ के समक्ष सभा के सदस्यों की यह साधारण मांग है कि वह विशेष दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराया जायें। इस मामले में अध्यक्षपीठ का क्या मार्गदर्शन है ? क्या यह मांग उचित है या नहीं ?

अध्यक्षपीठ को इस पर स्पष्ट विनिर्णय देना है कि क्या मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उसमें उस विशेष दस्तावेज का उद्धरण था या नहीं। यदि उस वक्तव्य में उद्धरण नहीं था तो सारांश का नियम लागू होगा।

उद्धरण के बारे में जो नियम है उसमें यह भी कहा गया है कि यदि मंत्री महोदय यह तर्क देते हैं कि यह सार्वजनिक हित में नहीं है तो इसे सभा के समक्ष नहीं रखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में तर्क नहीं दिया गया है अतः वह बात नहीं उठती है।

जब यह प्रश्न उठता है कि यह आवश्यक है या नहीं उसी समय अध्यक्षपीठ का निर्णय होता है कि क्या यह आवश्यक होगा या नहीं ? मैं उस बात पर बल देने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय को स्वयं विचार करना होगा कि क्या इस मामले में समूची सभा का मान और गरिमा अन्तर्ग्रस्त है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सभा के मान का प्रश्न है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा कि माननीय सदस्यों ने गत सत्र में वाद-विवाद के दौरान अनेक मामले उठाये थे। यह मामला यहां तक ही नहीं है कि कुछ सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं अथवा नहीं। मंत्री स्तर के उत्तरदायित्व के बारे में प्रश्न उठा था। हम जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच के बाद हमारी क्या स्थिति है।

मैंने विशेषाधिकार का ऐसा प्रश्न उठाया है जो न्यायनिर्णयाधीन नियम के अन्तर्गत नहीं आता है। इस विशेषाधिकार के मामले को इस दस्तावेज के आधार पर निर्णीत करना होगा।

मैंअध्यक्षपीठ से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में मार्गदर्शन करें। हमें तो इस दस्तावेज की आवश्यकता है।

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad) **:** May I know the names of the persons hose signatures have been forged by Shri Yogendra Jha ? I demand suspension of Shri Tulmohan Ram as his name is vitiating the dignity of the House.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस जांच का आदेश इस सभा ने दिया था अतः जांच का परिणाम इस सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये न कि मंत्री को।

दूसरी बात यह है कि जब हम स्वयं इस मामले की जांच करना चाहते थे तो हमें ऐसा करने से मना कर दिया गया था। अतः मैं सर्व प्रथम इस दुर्भावना का उल्लेख करूंगा कि सरकार ने सभा को अंधकार में रखना चाहा।

तीसरी बात यह है कि हमें जांच करने से रोक कर और स्वयं जांच करके तथा अपराध साबित करने वाली सामग्री पाकर भी सरकार हमें इस जानकारी से वंचित रखना चाहती है। सरकार हमें धोखे में रख कर बच नहीं सकती है।

मैंने जो वाद-विवाद देखा है और सुना है उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने का कोई आदेश नहीं दिया गया और प्रधान मंत्री सचिवालय में झूठी रिपोर्ट तयार की गई है। मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कोई रिपोर्ट नहीं है। सरकार हमें वह रिपोर्ट दिखाय।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह मामला अध्यक्ष महोदय सहित समूची सभा की गरिमा की रक्षा करने का है सरकार ने पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। हमें पूरी रिपोर्ट मिलनी चाहिये अन्यथा हम इस मामले में किसी का किसी प्रकार का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं। समूचे देश में संसद तथा दूसरे सदस्यों के प्रति सन्देह उत्पन्न हो गया है। हमें इस सन्देह को दूर करना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) **:** Mr. Speaker, Sir.....

Mr. Speaker : You have already spoken.

Shri Madhu Limaye : I can speak any number of times. You have been changing your ruling, so I have to speak again.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आपने यदि तथा लेकिन शब्द जोड़ जोड़ कर इस वादविवाद को भड़काया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आप अपने विनिर्णय के बारे में बताइये ।

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय यह है कि यदि कोई मंत्री अथवा सदस्य किसी दस्तावेज़ से कोई उद्धरण देता है तो अन्य सदस्यों का अधिकार है कि वे दस्तावेज़ को सभा पटल पर रखने के लिए कह सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : You will decide it whether he has quoted or not and what does he mean by quoting it.

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : आपको बताना चाहिये कि आप के विनिर्णय से दस्तावेज पेश कर दिया जायेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : How it will be verified that a particular thing has been quoted from a particular document?

अध्यक्ष महोदय : मैंने दस्तावेज़ सभापटल पर रखने के लिये कहा है । वह कहते हैं कि उधृत नहीं किया गया है । अब मुझे क्या करना चाहिये ।

श्री श्यामानंदन मिश्र : आपका क्या निर्णय है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : देश इस मामले के तकनीकी एवं राजनैतिक पहलुओं से भलीभांति परिचित है परन्तु दुर्भाग्य से ये मंत्री नहीं समझते हैं । मंत्रियों को संसद् का सम्मान करना चाहिये । अध्यक्षपीठ के विनिर्णय को क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया है ।

श्री पीलू मोदी : 'यदि' और 'लेकिन' शब्द लगाकर कोई विनिर्णय नहीं होता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह एक नियम है, व्यवस्था नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस दस्तावेज़ को सभा पटल पर रखने के लिये कहा है जिसमें से उद्धरण दिया गया है ।

Shri Madhu Limaye : They are dishonest.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What is your decision, you agree with us or with them?

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिये ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : उन्हें सदन की अवहेलना नहीं करने दी जायेगी, वे अपने दायित्व से नहीं मुकर सकते । उन्हें इस सदन के पटल पर रखना ही पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने विचार बता दिये है, विनिर्णय दे दिया है । इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता । **(व्यवधान)**

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी) : मैंने बताया है कि मैंने किसी रिपोर्ट से उधृत नहीं किया है । **(व्यवधान)** । आप मेरी बात सुनिये ।

श्री पीलू मोदी : हमें रिपोर्ट चाहिये, कोई तर्क नहीं ।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : श्री मधु लिमये के अनुसार मैंने जो कुछ कहा है यद्यपि वह उद्धरण नहीं हैं, सारांश है। चार्ज-शीट का सारांश है और वह चार्ज-शीट ग्रंथालय में रखी जा रही है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम मंत्री महोदय को ऐसा नहीं करने देंगे। इनसे और भी आशा की जा सकती है। एसे ऐसे लोग गृह मंत्री बनाये जाते हैं।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : श्री मिश्र को तो आत्मज्ञान भी प्राप्त नहीं जान पड़ता। **(व्यवधान)**

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : पीछे ऐसे मामलों में सदन का नेता सदन में उपस्थित रहा है परन्तु अब सदन के नेता यहां उपस्थित नहीं दीख पड़ते। हमारी इच्छा है कि ऐसी स्थिति में **प्रधान** मंत्री हमारा मार्गदर्शन करें **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूँ। **(व्यवधान)**

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Should we worship you? You are telling a lie. This is not Andhra Pradesh or Hyderabad, this is Delhi.

श्री एच० एन० मुकर्जी : सदन को आश्वासन दिया गया था कि जांच से सम्बन्धित सभी सामग्री उपलब्ध करायी जायगी परन्तु जांच का काल्पनिक सारांश बताया जा रहा है। यह संसदीय प्रक्रिया के विरुद्ध है। गृह-मंत्री द्वारा दिये गये सारे आश्वासनों को नकारा जा रहा है। यह सदन के विशेषाधिकार का मामला है विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया है। पहले यही विषय लिया जाना चाहिये। **(व्यवधान)**

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, do you think that the hon. Minister has fulfilled his assurances?

Mr. Speaker : This is going on since morning ....

Shri Shyam Nandan Mishra : Documents, should be placed first.

Mr. Speaker : Today is the last day of the week. It is going to be quarter and two. All the time has been consumed by this. Again at 3.30 your business will be taken up.

Shri Atal Bihari Vajpayee : If you like you can solve the problem.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस सम्बन्ध में अपना विनिर्णय दे दिया है तथा विचार प्रकट कर दिये हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You have stated that the Home Minister has shown the sections of Cr. P. C. and according to those sections it was necessary to take this matter to the Court and so this matter could not be brought before the House. I want to know which sections of Cr. P.C. come in the way of presenting the report in the House.

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मुझे जो कहना था वह मैं कह चुका हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : उक्त दस्तावेज अपने कर्तव्य का पालन करने के उद्देश्य से सभा को पहले दिये गये आश्वासन के अनुसार मांगा गया है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : विनिर्णय न्यायिक अथवा अधिकारपूर्ण निर्णय होता है। यह विनिर्णय केवल आपको देना होता है। आप कह सकते है कि प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाये अथवा न रखा जाये। लेकिन उक्त निर्णय आपको देना चाहिये। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम समझेंगे कि पीठासन अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले में कुछ भी सोच सकते हैं। मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम चाहते हैं कि वचन का पालन किया जाये। हमने नियम 368 के अन्तर्गत दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध नहीं किया है। आपका इस बारे में क्या विनिणय है। सभा द्वारा जांच की जाने की मांग के स्थान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई गई। अब जब इस बारे में जांच की गई है, तो क्या जांच प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिये, जैसा कि आश्वासन दिया गया था ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री एच॰ आर॰ गोखले ने 9 सितम्बर को बताया था कि जांच प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर हम सभा का विश्वास प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा था कि जैसे ही जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगी इसकी जानकारी संसद् को दी जायेगी और सदन से इस बारे में कार्यवाही करने का अनुरोध किया जायेगा।

यदि ऐसा नहीं किया जाता तो संसद को समाप्त कीजिये (**व्यवधान**) केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सभा-पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Government has committed two offences. Firstly it has taken this matter to the Court. Secondly, it is not presenting the C.B.I. report in the House.

श्री पीलू मोदी : यह दुःख की बात है कि आपने इस बारे में कोई विनिर्णय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय सब को सुनने के बाद दे सकता हूं। मैं अपना विनिर्णय हिस्सों में नहीं दे सकता।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 3 बज कर 30 मिनट म॰ प॰ तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fifteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 3 बज कर 30 मिनट म॰ प॰ पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty minutes pats fifteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मधु लिमये (बांका) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आज शुक्रवार है और आपको नियमों की जानकारी है कि प्रत्येक शुक्रवार को $2\frac{1}{2}$ घंटे का समय गैर-सरकारी कार्य के लिये दिया जाता है। मैं आप से यह जानना चहता हूं कि क्या गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य न लिया जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : We will not allow the business of the House to proceed unless the C. B. I. report is placed on the Table of the House, as promised by the Home Minister and the Minister of Law earlier.

श्री ज्योतिर्मय बसु : खातों तथा दस्तावेजों से ली गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आप अपने विचार व्यक्त करें कि क्या सरकार के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है या नहीं ।

श्री उमा शंकर दीक्षित ने यह वचन दिया था कि जांच के बाद इसकी जानकारी सर्वप्रथम संसद् को दी जायेगी । अब आप बतायें कि हम इस बारे में क्या कार्यवाही करें ।

श्री गोखले ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सभा का विश्वास प्राप्त किया जायेगा ।

अब केन्द्रीय जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन हमारे हाथ में है और सरकार ने यह मामला न्यायालय में उठाया है तो क्या सरकार उक्त प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करने के लिये बाध्य नहीं है? केन्द्रीय जांच ब्यूरो का समस्त प्रतिवेदन पढ़ा जाये और उसे सभा-पटल पर रखा जाय जिससे कि सभा इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने के बारे में सरकार को सलाह तथा निदेश दे सके । सरकार ने एसा नहीं किया है अतः दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए, पीठासिन अधिकारी सरकार को जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने के बारे में विनिर्णय दे क्योकि मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि मूल प्रतिवेदन में अब परिवर्तन किया जा रहा है और सरकार समय पा कर नकली प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने का प्रयास कर रही है ।

Shri T. Sohan Lal (Delhi-Karolbagh) : This time is meant for Private Members resolutions and proposals. May I know whe ther it is not an injustic e to cause interruption during this time ? I want your ruling thereon.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा ।

Shri Madhu Limaye : Certainly the proceedings of the House have been distirubed. The Government has quite shamelessly violated their assurance. Now it is not a matter of procedure but that of the prestige and dignity of this House. The Speaker himself had said on the 12th instant.

"वह आश्वासन बिलकुल स्पष्ट तथा विशिष्ट था और मैं इसलिये इससे संबंभित हूँ कि इसमें संसद-सदस्य भी अन्तर्ग्रस्त हैं । यदि बाहर के लोग होते तो यह मामला भिन्न हो सकता था । अब सभा की इस मामले में पूरी रूचि है । अब केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने अपने प्रतिवेदन को सभा के सामने लाये जाने से पूर्व अदालत में पेश कर दिया है और अब यह मामला न्याय-निर्णयाधीन हो गया है । परन्तु इस सभा का माननीय सदस्यों के सम्मान से सीधा संबंध है । अतः इस समस्या का कोई हल निकाला जाना चाहिये । संसद् सदस्यों के बारे में इस सभा को अपना मत व्यक्त करने दिया जाना चाहिये । संसद् की गरिमा को भी तो उज्वल रखना है । मुझे (अध्यक्ष का) कोई हल निकालना होगा ।"

He has also said that despite the matter being sub-judice the Parliament will have to look into this and for that he would find the way out. But how would the discussion take place, because for that we would require.The. facts about the C. B. I. investigations. It is said that Shri S. M. Pillai had quoted Shri N. K. Singh Special Assistant to the Commerce Minister, as saying to Shri Tulmohan Ram that a representation from several M. Ps. was necessary to strengthen the hands of the Commerce Minister in order to reopen the case, and also that Shri Tulmohan Ram, in turn, sought Rs. 20,000 for Shri N. K. Singh in this regard. Now, we would like to know what further investigations were made by the C.B.I. in this aspect? Had there been a Parliamentary Committee, it would have examined every body connected with this case, including Shri N. K. Singh, Shri K. N. R. Pillai and Tulmohan Ram. I allege that the Government has either not investigated into these matters or they are concealing the facts. Therefore, this Report of C. B. I. should come on the Table of the House to enable us to decide about the matter of privilege.

[Shri Madhu Limaye]

Now, Sir, since you claim to be well, enlightened about all the proceedings in the House, I request you to proceed according to the ruling of the Speaker.

He had said :

"यदि किसी दस्तावेज़ से उद्धरण दिया जाता है तो मेरा निर्णय है कि उसे सभा पटल पर रखा जाय"

It is not an incomplete ruling and you can ascertain it even by playing the tape. Now this matter should be decided upon. The Government cannot escape it.

As regards the word "quote", in the dictionary, it has got the following five meanings namely: (1) to refer to a document; (2) Cite; (3) adduce as authority; (4) give actual words; and (5) to enclose in quotation marks. Ignoring the first four, if the hon. home Minister did not put the quotation mark, that cannot deprive the hon. Members of their right. On the other hand, that reveals the dishonest conduct of the Government.

In reply to my letter Prof. Chattopadhyay had stated :

"आप के पत्र का उत्तर देने में विलम्ब इसलिये हुआ कि मैं कुछ दिन के लिये देश के बाहर था तथा साथ ही केन्द्रीय जांच ब्यूरों आदि से अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद अनुवर्ती कार्यवाही भी करनी थी।"

That means there were certain other Reports than that of C. B. I. Thus there was no one integrated report.

Shri S. M. Pillai has in his statement said that in regard to Shri N. K. Singh and the hon. Minister, the Prime Minister had asked to the C. B. I. not to investigate further. These days the C. B. I. and the Intelligence Bureau are not under the Home Minister.

Similar was the case of trafficking in the licences. Prof. D. P. Chattopadhyay said that it happened on the 9th and he claimed that there was no trafficking. But on 28th August it was reported that the raids were made on Indo-Bangla Desh Trading Corporation and other Offices. Who made the raids? That too was to be clarified. But the Prime Minister has directed not to proceed further in this aspect, otherwise, the matter would go a long way so, these were the interim reports. Only disjointed reports were there.

I therefore, demand that all the reports should be called for here. Besides that, the statements given by Shri Brahmananda Reddy would also have to be considered wherein you would find the words, "to give actual words." The quotas' were eliminated on the advice of the officials in the Prime Minister's Secrertariat.

Yesterday I had raised the point that Shri Tulmohan had stated before the newsmen that the did not know English and knew only to sign in English. But, then, this questions remains unanswered as to who drafted his letter in English.

Shri Hukam Chand Kachwai : Lallu Bhai must have done that.

Shri Madhu Limaye : Lallu Bhai does not have that much sense. It was Hari Bhai who directed that that was to be written. This matter was somehow to be made as *sub-judice*. This is my direct allegation. (**interruption**)

आप अपराधियो को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस पर खण्डन कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री एच० आर० गोखले : वह श्री तुलमोहन राम द्वारा अध्यक्ष महोदय को लिखे गये पत्र का संदर्भ दे रहे हैं। उनका आरोप है कि वह पत्र मेरी सलाह से तैयार किया गया था या स्वयं मैंने ही उस पत्र का मसौदा तयार किया था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यद्यपि श्री तुलमोहन राम इस सभा के सदस्य रहे हैं परन्तु मैंने उनकी शक्ल तक नही देखी है। मैं उनके द्वारा लिखित किसी पत्र के बारे में कुछ नहीं जानता हूं।

Shri Madhu Limaye : I congratulate Shri H. R. Gokhale for drafting such an intelligent letter. Shri Reddy or Shri L. N. Mishra can never do that.

Finally, I demand that all the reports should be laid on the Table of the House.

Shri M. C. Daga (Pali) : I would draw your attention to the revised list of Business and also to Rule 26, which says that the last two and a half hours of the sitting on Friday shall be allotted for the transaction of private member's business. This revised list of business fixes the time from 3 p.m. to 5-30 p.m. So that business should be taken up now.

Thus, this matter is already *sub-judiced* . . Why then is it being raised again and again The Speaker has already given his ruling to that effect. The house should agree with that Why are they making a noise ? All the requisite papers have already been laid on the Table A copy of the Charge-sheet has also been laid on the Table. I donot know why they are obstructing the proceedings of the House. The Speaker has given his ruling. He should not be allowed to create such confusion.

श्री के० ब्रम्हानंद रेड्डी : मैंने अध्यक्ष महोदय को उनकी सलाह लेने के लिए पत्र लिखा है।

श्री० मधु लिमये : वे ऐसा नहीं कर सकते (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने कहा है कि उन्होंने सलाह के लिए अध्यक्ष को पत्र लिखा है, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है ?

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : मैंने उनसे यह सलाह मांगी है 'कि कन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये या नहीं ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे मंत्री महोदय के विरुद्ध पीठासीन अधिकारी का अवमान करने के कारण अवमान प्रस्ताव लाने की अनुमती दी जाये, हम आपकी अध्यक्षता में इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और इतने में मंत्री महोदय यह विषय यहां से लेकर बाहर अध्यक्ष महोदय के पास ले गए। यह पीठासीन अधिकारी का अवमान है, आप इस बारे में अपना विनिर्णय दीजिए जब हम इस विषय पर यहां चर्चा कर रहे है, इस मामले को अध्यक्ष महोदय के पास नहीं भेजा जा सकता है मंत्री महोदय पर सभा का अवमान करने का आरोप लगाया जा सकता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जब श्री मिश्र बोल रहे थे तब उधर से एक माननीय सदस्य ने गृह मंत्री को 'चोर' कहा . . .

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : उन्हें यहां . . . से बोलने का कोई अधिकार नहीं है, वो पीछे की सीट पर जाकर बैठें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 273 में लिखा है कि कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य के विचाराधीन विषय का स्पष्टीकरण केवल पीठासीन अधिकारी के द्वारा मांगा जा सकता है, इसीलिए यहां मंत्रीं महोदय ने विचाराधीन विषय को अध्यक्ष को सौंप कर पीठासीन अधिकारी और सभा का अनादर किया है। आपको उन्हें अभी इसी समय फटकार सुनानी चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We are forced to debate this issue. Under what rule the Home Minister is seeking guidance from the Speaker ? The Speaker has already stated that he has no objection to laying of C.B.I. report on the Table. Why the hon. Minister is prolonging the debate ? Is it proper to seek guidance from outside when you are presiding in the House ? He should seek guidance from you. You provide guidance to him or hold him responsible for contempt of the House.

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतूल) : इसमें कोई शक नहीं है कि पीठासीन अधिकारी होने के नाते आपका निर्णय ही मान्य होगा, परन्तु इस बारे में व्यर्थ ही समय बरबाद किया जा रहा है और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे है, मध्याह्न भोजन के पूर्व अध्यक्ष महोदय ने नियम 368 के तहत अपना विनिर्णय दिया था परन्तु हममें से कोई नहीं जानता कि क्या उस विनिर्णय के तहत कतिपय कागजातों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिये या नहीं, यदि मंत्री महोदय अध्यक्ष से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगते है तो यह सभा की अवहेलना कैसे हो सकती है, अध्यक्ष के विनिर्णय की यहां विभिन्न रूप से व्याख्या की जा रही है, इसलिए यदि मंत्री महोदय ने अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है तो इसमें सभा की अवहेलना करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : आज सवेरे अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय दिया जो सरकार ने अपनी हठधर्मी के कारण लागू नहीं किया, उन्होंने अध्यक्ष महोदय के कुछ देर और बैठने के लिए नहीं कहा ताकि वे अपने विरोध का औचित्य उन्हे बता सकते, वस्तुतः सरकार चुप बैठी रही और उन्होंने उनके विनिर्णय का पालन नहीं किया।

इस असामान्य स्थिति को गृह मंत्री ने अपना व्यक्तव्य देकर और भी अधिक उलझा दिया। यदि मध्याह्न भोजन के समय सरकार विभिन्न नेताओं से सलाह मशविरा करती तो इस स्थिति को टाला जा सकता था परन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया, परन्तु जब आपकी अध्यक्षता में इस मामले पर विचार किया जा रहा है तब गृह मंत्री आकर कहें कि हमने इस विषय पर अध्यक्ष की राय माँगी है; क्या यह आपका तथा कुर्सी का अपमान नहीं है अब जो सुझाव दिया गया है उससे अध्यक्ष पद पर आक्षेप आता है। हम अध्यक्ष का सम्मान करते है तथा इस प्रकार की बात हम सहन नहीं कर सकेंगें। हम इस प्रकार सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं पडने देंगें।

प्रधान मंत्री को अनेक स्थानों का भ्रमण करना पड़ता है। उनकी सदन से कभी भी अनुपस्थिति की बात कुछ समझ में आ जाती है परन्तु प्रत्येक बार सदन की ता होने के नाते वह सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहें तो यह हमारी समझ में नही आता है। अब स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री और श्री उमाशंकर दीक्षित यहां नहीं है। विधि त्री मौन धारण किये हुये है। गृह मंत्री महोदय ने बताया है कि अध्यक्ष महोदय को पत्र भेजा गया है, इसलिए कार्यवाही समाप्त की जाये। वास्तव में इन्हीं परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही तो यह प्रस्ताव लाया गया है। अतः यह प्रस्ताव पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए तथा उस पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुकर्जी ने अपने भाषण के दौरान जो 'बांस' शब्द का प्रयोग किया है, उसके बारे में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में "बांस" का सम्बन्ध नहीं होता। दोनों ही पदाधिकारी संविधान की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित किये जाते है तथा उसी के अनरूप ही वह सदन की कार्यवाही चलाते है। दोनों से अपने अलग अलग कृत्य होते हैं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराईच) : मेरा निवेदन भी यही है कि जो भी पत्र अध्यक्ष महोदय को भेजा जाता है उसके बारे में यह समझ लिया जाता है कि वह आपको भेज दिया गया है क्योंकि आप दोनों ही समयानुसार पीठासीन होते रहते है। अतः अगर पत्र आपके पास नहीं है, तो भी आप उसके बार में भूल जाइये तथा स्वतंत्र रूप से अपना विनिर्णय दीजिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरे माननीय मित्रों द्वारा जो कुछ भी कहा गया है मैंने उसे ध्यान पूर्वक सुना है। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई है कि गृहमंत्री ने अध्यक्ष महोदय से निदेश देने को कहा है। अध्यक्ष महोदय को मालूम होना चाहिये आज प्रातः जो कुछ भी हुआ वह अध्यक्ष के विनिर्णय पर ही आधारित था और अध्यक्ष महोदय अनेक बार इस प्रकार का विनिर्णय दे चुके हैं कि यदि किसी दस्तावेज से कुछ उद्धरित किया जाता है, तो वह दस्तावेज सभा पटल पर रखा जाना चाहिये। उद्धरण तो आखिर उद्धरण ही होता है। श्री रेड्डी को अभी से ही इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाना चाहिये। जो भी व्यक्ति अध्यक्षपद पर आसीन होता है, अध्यक्ष पद के दायित्वों का पालन करना उसी का कर्त्तव्य हो जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह बात पूर्णतया स्पष्ट है कि यदि मंत्री महोदय ने प्रतिवेदन से उद्धरण दिये हैं तो प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा ही जाना चाहिये। आज प्रातः पूरे समय मंत्री महोदय और कांग्रेस सदस्य इसका विरोध करते रहे हैं। भोजनकाल के उपरान्त यह पत्र अध्यक्ष महोदय को भेजा गया था तथा जानबूझकर यह चर्चा उपाध्यक्ष महोदय के सभापतित्व में कराने का प्रयत्न किया गया है। इसका तात्पर्य यही था कि वह इस पात्र के संबंध में अध्यक्ष के निर्णय की प्रतीक्षा करें तथा स्वतंत्र रुप से इसके बारे में कोई निर्णय न ले पायें। नियमों के अनुसार अध्यक्ष से निदेश देने की कोई व्यवस्था नहीं है। सभापति का आसन ग्रहण करने पर उपाध्यक्ष को अध्यक्ष को पूरी शक्तियां प्राप्त होती हैं अतः उपाध्यक्ष महोदय को इस संबंध में अपनी अन्तरात्मा की आवाज के अनुसार निर्णय देना चाहिय।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : Mr. Deputy Speaker, Sir, a ruling was given by the Speaker when the House was adjourned for lunch. Many of us could not understand the ruling given by the Speaker. Now a clarification has been sought by the Home Minister on that ruling and that is why a letter has been sent to Speaker and not to you.

It is not correct to call it a contempt of the House as contended by my friends. Shri Shyamanandan Mishra and Shri H. N. Mukherjee. Home Minister has simply called for a direction from the Speaker on his ruling.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि कोई सदस्य या मंत्री निजी रूप से कोई पत्र अध्यक्ष महोदय को लिखता है तो उस से हमारा कोई संबंध नहीं है। परन्तु यदि कोई मंत्री अध्यक्ष के साथ सभा में बातचीत करता है तो उसे लोकसभा को कार्यवाही का अंग मानना चाहिये। यदि सभा के बाहर कोई बातचीत की जाती है तो उससे सभा का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस मामले में गृह मंत्री ने अध्यक्ष महोदय को पत्र ही नहीं भेजा बल्कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवदन के बारे में कार्यवाही के संबंध में पथ-प्रदर्शन भी मांगा है। उन्होंने आपकी और उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में कहा है कि उन्होंने अध्यक्ष से स्पष्टीकरण और पथप्रदर्शन मांगा है। पीठासीन कोई भी व्यक्ति हो, हमें तो अध्यक्षपीठ का सम्मान करना है (**व्यवधान**) अतः हमारे विचार में अध्यक्ष से पथ प्रदर्शन मांगना सभा के प्राधिकार का अपमान करना है। अतः उन्हें क्षमा याचना ही नहीं करनी चाहिये बल्कि श्री एस० एन० मिश्र के सभा की चिन्ता व्यक्त करने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा भी की जानी चाहिये।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी) : मेरे मन में पीठासीन अधिकारी के लिये अन्य सदस्यों की कहीं अधिक इज्जत है। मैंने यह पत्र मध्याहन भोजन के अवकाश के दौरान लिखा था।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह समझ या व्याख्या की बात है कि किसी मंत्री द्वारा अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा जाना और विशेषकर इस मामले में, अध्यक्षपीठ का अपमान करना है। अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्याह्न पूर्व कहा गया था कि यदि किसी दस्तावेज से कुछ उद्धृत किया जाता है तो सदस्य उसको सभा-पटल पर रखने की मांग कर सकते हैं। यह निर्णय इस मामले विशेष में दिया गया था क्योंकि मंत्री महोदय एक दस्तावज से कुछ उद्धृत कर रहे थे। उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। उन्होंने विनिर्णय दिया था। परन्तु कुछ ही मिनट बाद विरोधी पक्ष की और से पूछा गया था कि उस दस्तावेज का क्या हुआ? इस बीच मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने उद्धृत नहीं किया था। जब सदस्यगण उठे तो सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित हो गयी।

[श्री भागवत झा आजाद]

दोनों पक्षों के सदस्यों को इस विनिर्णय की समझ नहीं आई और मंत्री महोदय भी इस विनिर्णय का आशय जानना चाहते थे। अतः उन्होंने भोजन अवकाश के दौरान अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा कि क्या उन्हें उसे सभा-पटल पर रखना है या नहीं। मंत्री महोदय का अध्यक्षपीठ का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। अब चूंकि आप पीठासीन हैं, अतः आप यदि चाहें तो अपना विनिर्णय दे सकते हैं। परन्तु इससे पहले दिये गये विनिर्णय का अधिलंघन होगा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the chair*.]

मंत्री महोदय ने विनिर्णय का स्पष्टीकरण मांग कर अध्यक्षपीठ का कोई अनादर नहीं किया है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मंत्री महोदय ने इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि वह पत्र मध्यान्ह भोजन के अवकाश के दौरान भेजा गया था। उन्होंने इस बात का उल्लेख बाद में किया था जिसे हम स्वीकार करते हैं। फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि उन्होंने ऐसा किया था तो उन्हें सभा के पुनः समवेत होने पर तत्काल सूचना देनी चाहिये थी। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? मंत्री महोदय ने जिस दस्तावेज से उद्धृत किया था उसे प्राप्त करना हमारा अधिकार है। उन्होंने उद्धृत न भी किया हो तो भी उसको उपलब्ध किया जाना चाहिये। वास्तविकता तो यह है कि यहां कुछ दिनों से तमाशा चल रहा है। जो कुछ श्री रेड्डी ने कहा है, वह उन्होंने अपने मन से नहीं बल्कि सीधे प्रतिवेदन से उद्धृत करके कहा है। इस प्रतिवेदन के बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं।

इसके पहले प्रो० मुकर्जी कह चुके हैं कि सदन की नेता को यहां उपस्थित रहना चाहिये। वे अधिकांशतः अनुपस्थित ही रहती हैं। अतः मुझे खुले तौर पर मानना पड़ेगा कि वे सदन नेता नहीं हैं।

रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने सम्बन्धी स्पष्ट निर्णय न होने के फलस्वरूप संसद का समय बर्बाद हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री का पत्र मेरी अनुपस्थिति में प्राप्त हुआ। मध्याह्न भोजन के बाद 4 बजे जब मैं आया तो मैंने पत्र को देखा और मुझे उसी समय यह भी पता चला कि इसकी चर्चा इससे पहले सदन में शुरू हो चुकी है। इसलिये मुझे तो इतना ही कहना है कि श्री पीलू मोदी को जिम्मेदारी की भावना से बोलना चाहिये। मैंने अपने निर्णय को 5 अथवा 6 बार दोहराया है।

श्री पीलू मोदी : कोई निर्णय ही नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : हर बात का मजाक न उड़ाया कीजिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी : हमारे विचार में आपके निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न बात है। निर्णय दिया गया था। इसे कार्यान्वित न किया जाना मेरा दोष नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि आपका निर्णय स्पष्ट है तो ये संकोच क्यों कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने एक भिन्न रवैया अपनाया है कि वे उद्धृत नहीं कर रहे जबकि इस ओर के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह एक उद्धरण है। यदि आप सब सहमत हो जायें तो इस पत्र को सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह सभा का अपमान है। हम इसे नहीं चाहते। चर्चा के दौरान हम कोई पत्र स्वीकार नहीं करते (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपकी अनुपस्थिति में श्री श्यामनंदन मिश्र ने गृह मंत्री द्वारा सभा के अवमान का प्रश्न उठाया था। अब श्री श्यामनंदन मिश्र को सभा के अवमान पर बोलने.... (**व्यवधान**)

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : There has been a countraversy over the quotation by the Home Minister from C. B. I. Report. He informed the House at quarter past four that a communication has been sent to the speaker. We felt that it was a controversy to prevent us from speaking on this issue. The Home Minister has been changing his stand every now and then.

We request you to satisfy yourself, by calling the Home Minister in your chamber and see the report with a view to know whether the Home Minister has quoted from the C. B. I. report. We still hold that he has quoted from the report. This Government has been continuously trying not to hold a parliamentary probe into this scandle. We apprehend the tempering of the C. B. I. report.

The Home Minister takes pleasure in spreading misunderstanding throughout the country. He has insulted the Presiding officer by sending a communication in your chambers. You should take immediate action in the matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस निर्णय को वापिस लेने को तैयार हूं। आप उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य पीठासीन अधिकारी को यहां आने तथा निर्णय देने के लिये कह सकते हैं। मैं ऐसी बातें सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इसे वापिस नहीं ले सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस चर्चा को सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप के निर्णय को कार्यान्वित किया जाये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपके मन में अध्यक्ष के प्रति कुछ संदेह है। मैं इसे दूर करना चाहता हूं।

श्री मधु दंडवते : यह सदन के प्रति अनुचित है। परंतु अवमान प्रस्ताव का क्या हुआ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : You have said that you have given your ruling...

Mr. Speaker : So far as its implementations is concerned it is a different matter. So far as the question of contempt and privilege is concerned I leave it to be dealt with by any colleague. I will gladly accept his findings and of all of you.

प्रो० मधु दंडवते : हम आप से एक अनुरोध करना चाहते हैं। आप की अनुपस्थिति में श्री श्यामनन्दन मिश्र ने अवमान प्रस्ताव की सूचना दी और उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : में इस सब से तंग आ चुका हूं। आप समय रहते अपना मत निश्चित क्यो नहीं करते?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने अध्यक्ष पीठ और सदन के अवमान के बारे में कुछ कहा हैं। इस बारे में मैंने जबानी सूचना भी दी थी। सदन की जानकारी के लिए मैं उसे पढ़ना हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*.]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाए। मुझे विचार करने कर का अवसर दे...

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उस समय अध्यक्ष महोदय ने उसे स्वीकार किया था। मुझे प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी और मैंने उसे प्रस्तुत कर दिया है ... **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : श्री मिश्रा का प्रस्ताव अब सदन के सम्मुख है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि उन्होंने प्रस्ताव गृहीत किया है।

श्री डी० एन० तिवारी : कभी नहीं।

श्री मधु लिमये : परन्तु उन्होंने अस्वीकार भी तो नहीं किया था। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे कई बार हो जाता है कि हम औपचारिक स्वीकृति से पूर्व प्रस्ताव पढ देते हैं। सदस्यों द्वारा लगभग 2 घंटे से इसे स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सबसें पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जब श्री श्यामनन्दन मिश्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उठे तो यदि अध्यक्ष महोदय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर कोई आपत्ति होती तो उन्होंने उसी समय उन्हें रोक कर कहा होता कि मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे रहा। ऐसा न करने का अर्थ है उहोंने कि अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव को ठीक माना गया।

कुछ समय पूर्व मेरे एक सहयोगी ने कहा कि सदन के नेता द्वारा इस सदन के अस्तित्व को निरर्थक के समान बता दिया गया है। पिछले दो वर्ष से अधिक समय से मैं देख रहा हूं कि सदन की नेता बुधवार के अतिरिक्त अन्य दिनों सदन में बहुत कम बैठती हैं। 1946-56 की अवधि में भी मैं सदन को कार्यवाही दर्शक दीर्घा से देखता रहा हूं। ऐसा बहुत ही कम होता था जब तत्कालीन प्रधान मंत्री सदन से अनुपस्थित हो। अनुपस्थित रहने पर जब कोई अवसर आया भी तो उन्होंने अध्यक्ष महोदय से उसके लिये पूर्व अनुमति ली। परन्तु आज की स्थिति पूर्णतः भिन्न है। प्रधान मंत्री अपने दलगत कार्य के लिये दिल्ली से बाहर गयी हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब विषय से संबंधित नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह सब कुछ पूर्णतया संगत है। गृह मंत्री की कार्यवाही से अध्यक्षपीठ की अवहेलना हुई है। मेरा अनुरोध है कि सदन की नेता के अनुपस्थिति होने पर बिना विभाग के मंत्री को सदन में उपस्थित होना चाहिये था। इस बारे में उन्होने ही 9 सितम्बर को आश्वासन दिया था कि जांच के परिणाम सदन की सम्पत्ति होगी और जांच के पश्चात् सरकार सदन से आगे कार्यवाही करने का निर्देशन प्राप्त करेगी।

परंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया। अध्यक्षपीठ पर आप विराजमान थे परंतु आपको, अध्यक्षपीठ, को पत्र न भेज कर उसे अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में दिया गया। सरकार ने जानबूझ करके ऐसा किया है। इसी आधार पर श्री मिश्रा का प्रस्ताव ठीक है। सरकार द्वारा गृह मंत्री द्वारा भेजने के समय के बारे में भी गलत सूचना दी गयी। इसका अर्थ केवल यही है कि सरकार अध्यक्षपीठ पर आसीन उपाध्यक्ष की व्यवस्था से घबराती थी। गृह मंत्री ने जानबूझ करके आपकी, अध्यक्षपीठ की, और सदन की अवहेलना की और संसदीय प्रक्रियाओं की सभी प्रथाओं की अवहेलना की। अतः इस प्रस्ताव के लिये अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों ने प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में अनुरोध किए हैं। जो सदस्य बोल चुके हैं उन्हें और बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव के तकनीकी पहलुओं पर बात नहीं कर रहा और न ही इस प्रकार के प्रस्ताव पर तकनीकी को पहलुओं पर विचार करना चाहिये। गृह मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अध्यक्षपीठ और सदन का अवमान किया है। इस बारे में मैं यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा ऐसा न तो कभी किया गया और न भविष्य में ऐसा किया जायेगा। **(व्यवधान)**

श्री जोतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री के० रघुरामैया : इस प्रकार की अन्तर्बाधाएं उत्पन्न करना उचित नहीं। आज सुबह जब अध्यक्ष महोदय द्वारा अपना विनिर्णय दिया गया तो विपक्ष के सदस्यों द्वारा अनेक विचार प्रकट किए गए। उन्होंने सी०बी०आई० की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखने की मांग की। तत्पश्चात् सदन मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित हो गया। गृह मंत्री ने कुछ शंकाओ के निराकरण के लिये अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा। तत्पश्चात् आप अध्यक्षपीठ पर आसीन हुए। यदि सदस्यों के आरोप को माना जाए कि आपका अवमान किया गया है तो मेरे विचार से गृह मंत्री के लिये यह बताना आवश्यक नहीं था कि इस बारे में अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा गया है। इस बताने मात्र से स्पष्ट है कि इसमें आपका अवमान होने की कोई बात नहीं थी। उन्होंने तो आपको सूचित किया कि इस बारे में अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा गया है। आपको बताने का उद्देश्य यह था कि आप इस बारे में अन्धेरे में न रहे। इस प्रकार मेरा अनुरोध है कि इस सदन के अवमान का इसमें कोई प्रश्न नहीं है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सरकार बार-बार अपना रवैया बदलने का प्रयास कर रही है और तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रही है। यही बात हमें परेशान कर रही है।

हम यह जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री ने अध्यक्ष को कब पत्र लिखा और क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन भी इस पत्र के साथ भेजा गया था। यदि, माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय से मार्गदर्शन प्राप्त करने के मामले में गम्भीर हैं, तो उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री उपाध्यक्ष महोदय का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। इसी आशय से उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि गृह मंत्री ने अध्यक्ष महोदय को मार्गदर्शन के लिये पत्र लिखा है। उक्त सूचना तो बहुत पहले ही दी जानी चाहिये थी। 3.30 बजे मध्याह्न पश्चात् जब सभा की बैठक पुनः आरम्भ हुई तब गृह मंत्री को सर्वप्रथम यह सूचना देनी चाहिये थी कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सम्भवतया गृह मंत्री इस मामले में उपाध्यक्ष के स्वतंत्र निर्णय की संभावना को दबाना चाहते हैं।

मामला न केवल प्रक्रिया बल्कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकार के बारे में भी गम्भीर हो गया है। इस मामले पर समस्त देश का ध्यान लगा हुआ है क्योंकि इस मामले का संबंध संसद् के मान गरिमा और ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। अतः आशा है कि आप इस प्रस्ताव को गृहित करेंगे और इस पर चर्चा करने की अनुमति देंगे।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : चूंकि अध्यक्ष महोदय ने पहले ही संकेत दिया है कि उन्हें इस पत्र को सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है, अतः मैं अनुरोध करता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय वह पत्र पढ़कर सुना दें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में मेरी अपनी राय है। मैं इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि माननीय सदस्य पहले अपने विचार प्रकट कर लें फिर मैं इस मामले में अपनी टिप्पणी दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मेरा यह विचार है कि जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तो उस समय जो प्रस्ताव मैंने पढ़ा था उसे ग्रहित किया जाना चाहिये क्योंकि सभा में अध्यक्ष की अनुमति के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जब सभा के समक्ष कोई अवमान होता है तो सभा को उस विषय पर चर्चा करने के लिये सभा को पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी कोई व्यक्ति गैलरी से सभा में कोई पर्चे फेंकता है तो सभा उस पर शीघ्र कार्यवाही करती है और जब इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। जब हम आपसे सभा को दस्तावेज उपलब्ध कराने के बारे में विचार-विमर्श कर रहे थे तब गृह मंत्री ने यह बताया कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा है। कुछ सदस्यों का विचार है कि ऐसा करना सभा का अवमान नहीं है। वह तो अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये विनिर्णय के बारे में स्पष्टीकरण चाहते थे। तब उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि इस मामले पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वह अपने वचन से अब कैसे मुकर सकते हैं ?

मेरे विचार से जन रुचि का इससे बड़ा मामला नहीं हो सकता जिसमें अध्यक्षपीठ की गरिमा को कम करने और सभा के सम्मान को कम करने, की बात हो। मेरा प्रस्ताव बहुत महत्व का है और इस पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिय।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि यह पूरा मामला गृह मंत्री द्वारा एक विशेष पत्र के बारे में कही गई बात से उत्पन्न हुआ है और चूंकि उक्त पत्र भोजन काल के दौरान अध्यक्ष महोदय को लिखा गया था, अतः यह उचित ही होगा कि उक्त पत्र से सभा को अनभिज्ञ न रखा जाय। उस पत्र द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन के लिये अनुरोध करते हुए कहा गया है कि जब सी०बी०आई० को कुछ विशिष्ट अपराधों की जांच करने का कार्य सौंपा गया तो उन्होंने शीघ्रता से जांच पूरी की। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने जांच के निष्कर्षों को एक प्रतिवेदन के रूप में रखा है जिससे यह फैसला किया जा सके कि मुकदमा चलाया जाये अथवा न चलाया जाये इसका निर्णय लिया जाये। प्रतिवेदन में जाँच के दौरान लिये गये साक्ष्य तथा प्राप्त संबंधित दस्तावेजों का सार दिया गया है। इसमें जाँच अधिकारियों द्वारा बताये गये साक्ष्यों संबंधी गुण दोष भी शामिल हैं। लाइसेंस धारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय से भी पत्राचार किया था और इस बारे में मैं सभा को अवगत करा चुका हूं। सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जो कानूनी कार्यवाही में बाधक हो। अतः प्रतिवेदन को हम सभा पटल पर नहीं रखना चाहते। इसके साथ ही सरकार को खेद है कि सदन में यह भावना उत्पन्न हो गई है कि हम उससे कुछ बात छिपा रहे हैं। माननीय सदस्यों के अवलोकन के लिये केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से सम्बन्धित प्रतिवेदन की एक प्रति तैयार कर रहा हूं और वह आज शाम तक आपके पास पहुंच जायेगी।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने समस्त सदन को गुमराह किया है। उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के तत्संगत प्रतिवेदन के भाग में से उद्धरण दिये हैं।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : उसमें तत्संगत भाग का उल्लेख नहीं है, उसमें स्पष्ट रूप से 'तत्संगत प्रतिवेदन' कहा गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : पत्र से यह प्रतीत होता है कि उस बारे में अनेक प्रतिवेदन हैं। इस बात का निर्णय कौन करें कि प्रतिवेदन तत्संगत है अथवा नहीं ? यह बात गृह मंत्री पर नहीं छोड़ी जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पत्र सदन को पढ़कर सुना दिया है जो अब सभा की कार्यवाही का भाग है और सभा उस पत्र के बारे में जो उचित समझे, वह कार्यवाही कर सकती है। इस समय हम उस पत्र पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

अब प्रश्न यह है कि गृह मंत्री ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखकर और सभा को सूचित कर सभा का अवमान किया है अथवा नहीं। श्री मिश्र ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और वह यह कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना सभा में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसका यह अर्थ है कि अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसके दो चरण हैं। पहला चरण प्रस्ताव की सूचना और दूसरा चरण प्रस्ताव उठाने के लिये अध्यक्ष की अनुमति। अध्यक्ष महोदय इस पर अपने कक्ष में विचार कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में निर्णय लेने से पूर्व उन्होंने माननीय सदस्यों के विचार भी सुने हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अवमान सभा के समक्ष किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है। यदि सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाती है तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रस्ताव ग्रहित कर लिया गया है।

दुर्भाग्य से यहां दोनों पदों में भ्रांति है। ऐसी परिस्थिति में यदि गृहमंत्री को भी भ्रांति हो जाती है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अतः इसमें मुझे कुछ भी अनुचित नहीं लगता कि गृह मंत्री ने अध्यक्ष को स्पष्टीकरण के लिये लिखा है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय को जो कुछ भी लखा है उसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने अध्यक्ष का अपमान किया है।

Shri Madhu Limaye : He should be excused for his action and Shri Mishra should withdraw his motion.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि उपाध्यक्ष महोदय यह ठीक समझते हैं तो मैं अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं दे रहा हूं (**व्यवधान**)। मैं दया की भावना से अपने प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही नहीं करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि प्रस्तावक को अपने प्रस्ताव को कभी भी वापिस लेने का अधिकार है। लेकिन उन्हें अभी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई है। अतः प्रस्ताव वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 25 नवम्बर, 1974/4 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 25th November, 1974/ Agrahayana 4, 1896 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 8—37लोक सभा/74—21-2-75—200